


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए

Laid on the Table of the
Lok Sabha and Rajya Sabha
00.....


17 AUG 2001

संघ सरकार
(अप्रत्यक्षकर - सीमाशुल्क)
2001 की संख्या 10



विषय सूची


	अध्याय	पृष्ठ
प्रस्तावनात्मक टिप्पणियां		iii
विहंगावलोकन		v
प्राप्तियों का विश्लेषण	1	1
शुल्क हकदारी पासबुक योजना	2	8
कर विवाद समाधान योजना	3	33
गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	4	50
छूट के गलत रूप से प्रदान किए जाने के कारण कम उद्ग्रहण	5	56
अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण	6	63
विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण	7	66
शुल्क छूट योजना	8	68
ध्यान देने योग्य अन्य विषय	9	75



प्रस्तावनात्मक टिप्पणियाँ

31 मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए यह रिपोर्ट, जो नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अनुसार भारत संघ की सीमाशुल्क प्राप्तियों की लेखापरीक्षा पर आधारित है, संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गयी है।

रिपोर्ट में उल्लेख किए गए मामले उन मामलों में से हैं जो 1999-2000 के दौरान लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आए और जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए परन्तु जिनको पहले सूचित नहीं किया जा सका।



विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में दो समीक्षाएं तथा 222 पैराग्राफ शामिल हैं जिनमें 1796.69 करोड़ रूपए के सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण अंतर्ग्रस्त है। प्रतिवेदन में शामिल किए गए कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का नीचे उल्लेख किया गया है :

I. सामान्य

1999-2000 के दौरान सीमाशुल्क से संगृहीत 48,334 करोड़ रूपए की निवल प्राप्तियां बजट अनुमानों से 2035 करोड़ रूपए तक कम रह गईं। वास्तव में सभी पूर्व चार वर्षों में संग्रहण बजट अनुमानों से कम रह गए जिसमें कमी 4 प्रतिशत से 24 प्रतिशत तक थी।

(पैराग्राफ 1.1)

वर्ष के दौरान निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़े गये शुल्क की कुल राशि 18,166 करोड़ रूपए थी जो कुल सीमाशुल्क प्राप्तियों का 38 प्रतिशत थी।

(पैराग्राफ 1.5)

II. शुल्क हकदारी पास बुक (शु ह पा बु) योजना पर समीक्षा

➤ जबकि शु ह पा बु योजना का उद्देश्य प्रयोज्य सामग्री पर आयात शुल्क के भार को निष्प्रभावित करना था तथापि उद्योग प्रतिमानों के आधार पर वास्तविक भार की बजाय माने गए आयात अवयव पर शु ह पा बु क्रेडिट के परिकलन के परिणामस्वरूप उन निर्यातों के लिए लाभ प्रदान किए गए जिनमें बहुत कम या कोई वास्तविक आयात अवयव नहीं था उदाहरणार्थ समुद्री उत्पाद, कॉटन मेड अपस, ग्रेनाईट, चमड़े का माल। नमूना जांच में पता चला कि इन उत्पादों के निर्यातों के लिए 158.33 करोड़ रूपए का अनभिप्रेत क्रेडिट प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ 2.5(क))

➤ 15 अप्रैल 1998 से शु ह पा बु के अन्तर्गत क्रेडिट दरों के नियतन के लिए म नि वि व्या द्वारा विशेष सीमाशुल्क (वि सी शु) को ध्यान में रखा गया जबकि आयात निर्यात नीति में आवश्यक संशोधन केवल 30 अप्रैल 1998 से किया गया जिसके परिणामस्वरूप 19.65 करोड़ रूपए के राजस्व की अप्रतिप्राप्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5(ख))

➤ पास बुक में विशेष अतिरिक्त शुल्क (वि अ शु) को डेबिट न करने और क्रेडिट दर के नियतन के लिए इसके भार को हिसाब में लेने की बजाय वि अ शु से छूट के प्रदान करने से आयातकों को अनुचित लाभ प्रदान किए गए जिसके कारण 666 करोड़ रूपए के राजस्व की अप्रतिप्राप्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5(ग))

- योजना में निर्यात विकास पूंजीगत माल योजना के अन्तर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए किए गए निर्यात परेषणों के प्रति क्रेडिटों की अनुमति दी गयी जिससे 193.91 करोड़ रूपए की सीमा तक अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ 2.5(घ))

- 7 जून 1999 से पहले योजना में नकारात्मक मूल्यवर्धन की जांच करने के लिए प्रावधान शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 7.34 करोड़ रूपए की सीमा तक वि अ शु की हानि के अतिरिक्त 189.84 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा का परिहार्य बहिर्गमन हुआ।

(पैराग्राफ 2.5(ङ))

- क्रेडिट दरों के गलत नियतन, दरों के नियतन के लिए नकारात्मक प्रयोज्य सामग्री की सूची को गलत विचार करने और शु ह पा बु दरों के संशोधन न करने/विलम्ब से संशोधन करने के परिणामस्वरूप 155.88 करोड़ रूपए की राशि का अनुचित क्रेडिट रहा/राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6(क)(ख))

III कर विवाद समाधान योजना (क वि स यो) पर समीक्षा

- कर विवाद समाधान योजना (क वि स यो) कर प्रशासन में बाधा न डालने और राजकोषीय महत्त्व के राजस्व की उगाही करने के अपने उद्देश्य प्राप्त करने में विफल रही। 22 सीमाशुल्क कमिश्नरियों में 31 अगस्त 1998 को लम्बित 3205.33 करोड़ रूपए के राजस्व वाले 21134 मामलों में से मात्र 1178 मामले 124.89 करोड़ रूपए की उगाही के बाद निपटाए गए थे जोकि कर बकाया का सिर्फ 3.9 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 3.4)

- लेखापरीक्षा में नमूना जांच की गयी 945 घोषणाओं में से निपटाए गए 108 मामलों में निर्यात संवर्धन योजनाओं से सम्बन्धी प्रावधानों, सीमाशुल्क अधिसूचनाओं की अंत उपयोग शर्तों का उल्लंघन और फिरती का अधिक भुगतान अंतर्ग्रस्त था। इनमें कर देयता पर कोई वाद/विवाद अंतर्ग्रस्त नहीं था और क वि स यो द्वारा चूककर्ताओं के लिए एक बचाव मार्ग प्रदान किया गया जिसके कारण 29.36 करोड़ रूपए का राजस्व अधित्याग हुआ।

(पैराग्राफ 3.5)

- अक्टूबर 1998 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी क वि स यो के प्रावधानों/स्पष्टीकरणों के उल्लंघन में अन्य 59 मामले निपटाए गए जिससे 1.90 करोड़ रूपए के ब्याज सहित 8.28 करोड़ रूपए के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.6)

- लोक लेखा समिति की सिफारिश के बावजूद छह महीने के अन्दर 32 मांग मामलों का न्यायनिर्णयन न करने से क वि स यो का लाभ उठाने में निर्धारिती सक्षम रहे और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के विभिन्न प्रावधानों/न्यायिक उद्घोषणाओं के उल्लंघन में 18 मामलों के निपटान में 22.17 करोड़ रूपए की राशि के राजस्व की हानि अन्तर्ग्रस्त थी।

(पैराग्राफ 3.7 से 3.9)

IV निर्धारणों में अनियमितताएं

- 43 मामलों में शुल्क योग्य आयातित माल का गलत ढंग से वर्गीकरण किया गया और कम दरों पर शुल्क के लिए निर्धारित किया गया जिसके कारण 2.77 करोड़ रूपए का कम उद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 4.1 से 4.5)

- छूट अधिसूचनाओं के अन्तर्गत शामिल न किए गए शुल्क योग्य माल के लिए उनका लाभ देने के परिणामस्वरूप 29 मामलों में 11.86 करोड़ रूपए के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 5.1 से 5.4)

- 2.43 करोड़ रूपए की राशि का उद्ग्रहण अतिरिक्त शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत 32 मामलों में नहीं लगाया गया/कम लगाया गया।

(पैराग्राफ 6.1 से 6.3)

- 2.47 करोड़ रूपए की राशि का उद्ग्रहण विशेष अतिरिक्त शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत 17 मामलों में नहीं लगाया गया/कम लगाया गया।


(पैराग्राफ 7.1 से 7.2)

- अग्रिम लाइसेंसिंग योजनाओं और ई ओ यू जैसी कतिपय शुल्क छूट योजनाओं के लागू करने से उद्भूत सीमाशुल्क राजस्व का अनुद्ग्रहण/हानि 137.28 करोड़ रूपए बनती थी।

(पैराग्राफ 8.1 से 8.5)

- भांडागार से निकासी किए गए माल पर राजस्व की हानि, भांडागार से माल की निकासी में विलम्ब, जब्त किए गए माल का निपटान न होने, फिरती प्रतिदाय के अनियमित भुगतान आदि जैसी अन्य अनियमितताओं के कारण 76 मामलों में 23.46 करोड़ रूपए की हानि हुई।

(पैराग्राफ 9.1 से 9.12)



अध्याय 1 : प्राप्तियों का विश्लेषण

1.1 सीमाशुल्क प्राप्तियां

1999-2000 के लिए बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के साथ 1998-99 और 1999-2000 वर्षों के दौरान सीमाशुल्क से प्राप्तियां नीचे तालिका में प्रस्तुत की गयी है:-

(करोड़ रूपए में)

निम्न से निवल सीमाशुल्क प्राप्तियां	वास्तविक प्राप्तियां 1998-99	बजट अनुमान 1999-2000	संशोधित अनुमान 1999-2000	वास्तविक प्राप्तियां 1999-2000
आयात	40414	49937	47091	47541
निर्यात	2	3	1	1
निर्यातों पर उपकर	112	135	129	136
जब्त किए गए माल की बिक्री प्राप्तियां	21	24	09	00
अन्य प्राप्तियां	729	270	570	656
निवल प्राप्तियां	41278	50369	47800	48334

(नोट: (i) दर्शाए गए आंकड़े प्रदत्त प्रतिदाय और फिरती को कम करने के बाद प्राप्त किए गए हैं)

(ii) आयात शुल्कों से संग्रहण विशेष अतिरिक्त शुल्क और विशेष सीमाशुल्क को सम्मिलित करके हैं।

स्रोत: वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली

सीमाशुल्क प्राप्तियां बजट अनुमानों से 2035 करोड़ रूपये तक कम रहीं। वास्तव में यह पिछले चार वर्षों में एक आवर्ती आभास रहा है जो बजट को अंतिम रूप देते समय अधिक आवकलन करने का सूचक है।

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	आधिक्य/कमी	प्रतिशतता आधिक्य/कमी
1996-1997	44435	42851	1584 (कमी)	4 (कमी)
1997-1998	52550	40193	12357 (कमी)	24 (कमी)
1998-1999	48148	41278	6870 (कमी)	14 (कमी)
1999-2000	50369	48334	2035 (कमी)	4 (कमी)

मंत्रालय ने ऐसी आवर्ती कमी के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किए।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1995-96 से 1999-2000 तक के दौरान संगृहीत तदनुरूपी निवल सीमाशुल्क के साथ कुल वर्षवार आयातों की तुलना निम्न तालिका में दर्शायी गयी है :

आयातों का मूल्य और संगृहीत आयात शुल्क
1995-96 से 1999-2000 (वर्षवार)

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आयातों का मूल्य	आयात शुल्क	आयातों के मूल्य की प्रतिशतता के रूप में आयात शुल्क
1995-96	121647	34717	28.54
1996-97	138920	42110	30.31
1997-98	154176	41480	26.90
1998-99	176099	42110	23.91
1999-2000	204583	49517	24.20

1.3 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की तुलना में आयातों की प्रवृत्ति

1995-96 से 1999-2000 तक के दौरान आयातों की तुलना में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में प्रतिशतता परिवर्तन 2000-2001 के अनुमानित आंकड़ों के साथ नीचे दिए गए हैं

वर्ष	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में प्रतिशतता परिवर्तन	अम.डालर में आयातों में प्रतिशतता परिवर्तन	आयात शुल्क से संग्रहण में प्रतिशतता परिवर्तन
1994-95	8.9	23.0	20.0
1995-96	13.1	28.1	33.5
1996-97	6.1	6.6	21.3
1997-98	6.6	6.0	-1.5
1998-99	3.8	2.0	1.5
1999-2000	8.1	11.5	14.9
2000-2001	5.5*	18.0*	9.4**

* अनुमानित ** बजटीय

स्रोत : भारतीय अर्थव्यवस्था मानीटरिंग केन्द्र द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा

1999-2000 और 2000-2001 के दौरान आयातों में वृद्धि अधिकांशतः तेल आयात बिल के कारण रही। तेल आयातों के कारण वृद्धि को छोड़कर 1999-2000 में वृद्धि मात्र 2 प्रतिशत थी तथा 2000-2001 में कमी 7 प्रतिशत थी।

1.4 सीमाशुल्क प्राप्ति का पण्यवार विवरण

आयातों और निर्यातों का प्रमुख पण्यवार मूल्य और वित्तीय वर्ष 1999-2000 तथा पूर्व वर्ष 1998-99 के दौरान उनसे उगाही किया गया सकल शुल्क नीचे दिये गये है:-

क) आयात

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	पण्य	आयातों का मूल्य*		आयात शुल्क**		कुल आयात शुल्क संग्रहण में प्रतिशतता शेयर	
		98-99	99-2000	98-99	99-2000	98-99	99-2000
1.	खाद्य और खाद्य के लिए मुख्यतया जीवित पशु	3167	3374	1456	1952	2.33	3.94
2.	खनिज, ईंधन और संबंधित सामग्री	27064	51290	5070	6766	12.92	13.66
3.	ईंधन को छोड़कर अखाद्य क्रूड मेटेरियल	5217	7550	3230	6257	11.73	12.64
4.	रसायन और संबंधित उत्पाद	19769	23907	3475	4011	9.08	8.10
5.	विनिर्मित माल	27854	32454	4078	3961	8.82	8.00
6.	मशीनरी और परिवहन उपस्कर	17520	16611	9403	10473	20.27	21.15
7.	व्यवसायिक उपकरण आदि	3418	3532	2486	3014	5.67	6.09
8.	अन्य	72090	65865	12912	13083	29.18	26.42
	जोड़	176099	204583	42110	49517		

ख) निर्यात

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	पण्य	निर्यातों का मूल्य * *		निर्यात शुल्क और उपकर *	
		98-99	99-2000	98-99	99-2000
1.	खाद्य मर्दे	21250	19319	9	11
2.	पेय और तम्बाकू	779	1063	16	13
3.	ईंधन (अभ्रक सहित) को छोड़कर अखाद्य क्रूड मेटेरियल	4035	4594	2	2
4.	खनिज, ईंधन, स्नेहक और संबंधित सामग्री	989	1004	--	--
5.	रसायन और संबंधित उत्पाद	2291	2829	--	--
6.	मोती, कीमती, अर्धकीमती पत्थरों और कारपेट्स को छोड़कर विनिर्मित माल, हस्तनिर्मित चमड़ा और तैयार वस्त्रों तथा वस्त्र उपसाधनों सहित चर्म उत्पादन	17759	37229	--	--
7.	हस्तशिल्प, जेम और ज्वैलरी सहित विविध विनिर्मित वस्तुएं	35287	40076	--	--
8.	अन्य	59213	56811	87	111
	निर्यातों और पुनःनिर्यातों का जोड़	141603	162925	114	137

स्रोत - * वित्त मन्त्रालय, नई दिल्ली

** सांख्यिकीय और आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली

1.5 छोड़ा गया शुल्क

1.5.1 निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत

(क) 1996-97 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए निर्यात विकास योजनाओं यथा अग्रिम लाइसेंस, शु ह पा बु, नि वि पूं मा, ई पी जेड, ई ओ यू, फिरती तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत शुल्क के प्रतिदाय के संबंध में छोड़े गए शुल्क का विवरण नीचे की तालिका में दर्शाये गए हैं :

निर्यात विकास योजनाओं और शुल्क फिरती योजना के अंतर्गत छोड़ा गया सीमाशुल्क

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	अग्रिम लाइसेंस	शु ह पा बु	नि वि पूं मा	ई पी जेड	ई ओ यू	शुल्क फिरती	अन्य	जोड़
1996-97	3430	--	2421	1269	2067	2927	847	12961
1997-98	3547	469	1385	1200	2004	3661	891	13157
1998-99	3615	2631	1343	974	2178	4081	670	15492
1999-2000	3804	4063	1299	1096	2938	4257	709	18166

शुल्क छूट योजनाओं की लेखापरीक्षा में नियमित रूप से समीक्षा की जाती रही है और राजस्व हानि सहित कमियों पर पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में टिप्पणी की गयी थी। 'शुल्क हकदारी पासबुक योजना' पर एक मूल्यांकन इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 में शामिल किया गया है।

(ख) 1996-97 से 1999-2000 तक की अवधि के लिए विभिन्न निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया कुल शुल्क नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

छोड़ा गया सीमाशुल्क

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	संगृहीत सीमाशुल्क	निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया कुल शुल्क	सीमाशुल्क प्राप्ति की प्रतिशतता के रूप में छोड़ा गया शुल्क
1996-97	42851	12961	30
1997-98	40193	13157	33
1998-99	41278	15492	38
1999-2000	48334	18166	38

निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत छोड़ा गया शुल्क 1996-97 में सीमाशुल्क प्राप्ति के 30 प्रतिशत से बढ़कर 1999-2000 में सीमाशुल्क प्राप्ति के 38 प्रतिशत तक हो गया।

(ग) निर्यात विकास योजनाओं के अंतर्गत किए गए आयातों पर शुल्क के छोड़े जाने का मूल उद्देश्य विदेशी मुद्रा आय को बढ़ाना था और इस प्रकार व्यापार शेष में घाटे को कम करना था। लेखापरीक्षा जांच और अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि निर्यात दायित्व की एक वचनबद्धता के आधार पर आयात के समय शुल्क छूटें अनुमत की गई थीं और निर्यात के लदान दस्तावेजों

के आधार पर फिरती अनुमत की जाती है। तथापि सीमाशुल्क गृहों और महानिदेशक, विदेश व्यापार के कार्यालयों में प्रचलित मानीटरिंग तंत्र उन्हें यह सुनिश्चित करने में समर्थ नहीं बना सका कि निर्यात गृहों द्वारा प्रस्तुत लदान बिलों पर घोषित निर्यात मूल्य के प्रति देय विदेशी मुद्रा की पूरी राशि की वास्तव में उगाही की गयी थी।

1.5.2 छोड़ा गया अन्य शुल्क

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 25(1) और (2) के अंतर्गत 1996-97 से 1999-2000 तक के दौरान छोड़ा गया शुल्क {पैरा 1.5(ख) के अनुसार निर्यात विकास योजनाओं के संबंध में शुल्क से इतर} नीचे की तालिका में दर्शाए गए हैं :-

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	25(1) के अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं की संख्या	25(2) के अंतर्गत जारी कुल अधिसूचनाओं की संख्या	जारी अधिसूचनाओं की कुल संख्या	25(1) के अंतर्गत छोड़ा गया शुल्क	25(2) के अंतर्गत छोड़ा गया शुल्क	छोड़ा गया शुल्क
1996-97	63	174	237	934.50	178.90	1113.40
1997-98	76	136	212	2624.00	16.80	2640.80
1998-99	57	उ.न	उ.न	4184.85	उ.न	उ.न
1999-2000	प्रतीक्षित					

धारा 25(1) सामान्य छूट

धारा 25(2) तदर्थ छूट

1.6 सीमाशुल्क प्राप्तियों के संग्रहण की लागत

वर्ष 1999-2000 के दौरान सीमाशुल्क के संग्रहण पर किया गया व्यय पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ नीचे दिये गए हैं :-

(करोड़ रूपए में)

संग्रहण की लागत	98-99	99-2000
राजस्व एवं आयात निर्यात और व्यापार नियंत्रण कार्य	109.41	97.26
निवारक और अन्य कार्य	356.77	382.20
जोड़	466.18	479.46
सीमाशुल्क प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में संग्रहण की लागत	1.12	0.99

1.7 तलाशियां और अभिग्रहण

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा की गयी तलाशियों और प्रभावित अभिग्रहणों के विवरण, जो मंत्रालय द्वारा दिये गये, नीचे दर्शाए गए हैं-

तलाशियां और अभिग्रहण

क्र.सं.	विवरण	98-99	99-2000
1.	तलाशियों की संख्या	653	1376
2.	अभिगृहीत माल का मूल्य (करोड़ रूपए में)	449.79	276.98
3.	न्यायनिर्णीत अभिग्रहण मामलों की संख्या	1127	1201

ये आंकड़े 9 कमिश्नरियों से सम्बन्धित हैं

जबकि तलाशियों की संख्या में 110 प्रतिशत तक वृद्धि हुई वहीं अभिगृहीत माल का मूल्य 38 प्रतिशत तक कम हो गया।

1.8 वसूली के लिए सीमाशुल्क का बकाया

31 मार्च 2000 तक निर्धारित सीमाशुल्क की राशि, जिसकी 30 जून 2000 तक अभी भी उगाही की जानी थी, 25 सीमाशुल्क गृहों और कमिश्नरियों में 1144 करोड़ रूपए थी।

1.9 समय सीमा द्वारा बाधित शुल्क की मांगें

31 मार्च 2000 तक विभाग द्वारा की गयी मांगें, जो 30 जून 2000 को उगाही के लिए लम्बित थीं तथा जहां वसूली समय सीमा द्वारा बाधित थी, 25 सीमाशुल्क गृहों और कमिश्नरियों में 0.31 करोड़ रूपए बनती थीं।

1.10 बट्टेखाते डाला गया शुल्क

वर्ष 1998-99 और पूर्ववर्ती दो वर्षों के दौरान बट्टे खाते डाले गए सीमाशुल्क, अधित्याग की गयी शास्तियां और किए गए अनुग्रह पूर्वक भुगतान नीचे दिए गए हैं :-

वर्ष	(लाख रूपए में)	
	वर्ष	राशि
1999-2000		77.10
1998-1999		7.90
1997-1998		21.13

1.11 लम्बित लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या

31 मार्च 2000 तक लेखापरीक्षा में की गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों की संख्या और विभिन्न सीमाशुल्क गृहों और संयुक्त केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क कमिश्नरियों में 30 सितम्बर 2000 को निपटान के लिए लम्बित निपटान की संख्या नीचे दी गयी है-

बकाया आपत्तियाँ और अंतर्ग्रस्त राशि

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	कमिश्नरी	संख्या	राशि
1.	अहमदाबाद	43	287.36
2.	अहमदाबाद (प्रिव)	46	86.01
3	भुवनेश्वर	29	80.40
4	कलकत्ता	998	400.42
5	कोचीन	159	58.86
6	दिल्ली	1116	31.37
7	हैदराबाद	409	266.78
8	कर्नाटक	635	57.54
9	मुम्बई (हवाई)	142	11.92
10	मुम्बई (समुद्री)	231	546.56
11	पश्चिम बंगाल (प्रिव)	188	31.68
12	अन्य	348	110.43
	जोड़	4344	1969.33

1.12 बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों की श्रेणी

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं	आपत्तियों की श्रेणी	आपत्तियों की संख्या	राशि
1.	गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण	1049	32.52
2.	छूट की गलत मंजूरी के कारण कम उद्ग्रहण	663	81.56
3.	आयात शुल्कों का अनुद्ग्रहण	312	21.95
4.	अवमूल्यांकन के कारण कम उद्ग्रहण	219	13.72
5.	फिरती की मंजूरी में अनियमितताएं	254	4.35
6.	प्रतिदाय की मंजूरी में अनियमितताएं	39	7.41
7.	निर्यात शुल्क के उद्ग्रहण और संग्रहण में अनियमितताएं	90	5.59
8.	अन्य अनियमितताएं	1718	1802.23
	जोड़	4344	1969.33

1.13 प्रतिवेदन का सार

प्रतिवेदन में कर विवाद समाधान योजना (59.81 करोड़ रूपए) और शुल्क हकदारी पासबुक योजना (1554.08 करोड़ रूपए) पर दो समीक्षाएं शामिल हैं जिनमें 1274.74 करोड़ रूपए की अप्रतिप्राय राजस्व हानि और 339.15 करोड़ रूपए की सीमा तक राजस्व के निःसरण का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त कुल 182.27 करोड़ रूपए के राजस्व के निःसरण को दर्शाने वाले लेखापरीक्षा में नमूना जांच से महत्वपूर्ण निष्कर्ष से उद्भूत 222 पैराग्राफ हैं (कुल अवनिर्धारण के 112 मामलों सहित) जिनका अलग अलग या समूह में उल्लेख किया गया है। इसमें से वित्त विभाग/मंत्रालय ने जनवरी 2001 तक 146.05 करोड़ रूपए वाले 157 पैराग्राफों में लेखापरीक्षा अभ्युक्ति स्वीकार की तथा 3.32 करोड़ रूपए की वसूली सूचित की।

अध्याय 2 : शुल्क हकदारी पास बुक योजना

2.1 मुख्य बातें

- जबकि शु ह पा बु योजना का उद्देश्य प्रयोज्य सामग्री पर आयात शुल्क के भार को निम्नभाषित करना था तथापि उद्योग प्रतिमानों के आधार पर वास्तविक भार की बजाय माने गए आयात अवयव पर शु ह पा बु क्रेडिट के परिकलन के परिणामस्वरूप उन निर्यातों के लिए लाभ प्रदान किए गए जिनमें बहुत कम या कोई वास्तविक आयात अवयव नहीं था उदाहरणार्थ समुद्री उत्पाद, कॉटन मेड अपस, ग्रेनाईट, चमड़े का माल। नमूना जांच में पता चला कि इन उत्पादों के निर्यातों के लिए 158.33 करोड़ रुपए का अनभिप्रेत क्रेडिट प्रदान किया गया। इनमें से अधिकांश लाइसेंस निर्यातकों द्वारा बेचे गए। भारतीय निर्यातों की लागत प्रभावकारिता को आवश्यक रूप से न बढ़ाने वाले वास्तविक आयात।

(पैराग्राफ 2.5(क))

- 15 अप्रैल 1998 से शु ह पा बु के अन्तर्गत क्रेडिट दरों के नियतन के लिए म नि वि व्या द्वारा विशेष सीमाशुल्क (वि सी शु) को ध्यान में रखा गया जबकि आयात निर्यात नीति पैरा में आवश्यक संशोधन केवल 30 अप्रैल 1998 से किया गया जिसके परिणामस्वरूप 19.65 करोड़ रुपए के राजस्व की अप्रतिप्राप्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.5(ख))

- पास बुक में विशेष अतिरिक्त शुल्क (वि अ शु) को डेबिट न करने और क्रेडिट दर के नियतन के लिए इसके भार को हिसाब में लेने की बजाय वि अ शु से छूट के प्रदान करने से आयातकों को अनुचित लाभ प्रदान किए गए और इसके कारण 666 करोड़ रुपए के राजस्व की अप्रतिप्राप्य हानि हुई

(पैराग्राफ 2.5(ग))

- योजना में निर्यात विकास पूंजीगत माल योजना के अन्तर्गत निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिए किए गए निर्यात परेषणों के प्रति क्रेडिटों की अनुमति दी गयी जिससे 193.91 करोड़ रुपए की सीमा तक अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ 2.5(घ))

- उसी विवरण वाले परन्तु भिन्न क्रम संख्या वाले माल के लिए भिन्न दरों के परिणामस्वरूप 5.82 करोड़ रुपए का क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ 2.5 (ड.))

- जून 1999 से पहले योजना में नकारात्मक मूल्यवर्धन की जांच करने के लिए प्रावधान शामिल नहीं था। इसके परिणामस्वरूप 7.34 करोड़ रुपए की सीमा तक वि अ शु की हानि के अतिरिक्त 189.84 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का परिहार्य बहिर्गमन हुआ।

(पैराग्राफ 2.5(ख))

- शु ह पा बु क्रेडिटों के गलत नियतन के कारण 95.65 करोड़ रुपए की अप्रतिप्राप्य हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6(क)(i) से (iv))

- आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के विपरीत शु ह पा बु के अन्तर्गत क्रेडिट दरों के नियतन के लिए प्रयोज्य सामग्री की नकारात्मक सूची के गलत विचार करने के परिणामस्वरूप 53.37 करोड़ रुपए का अनुचित क्रेडिट रहा।

(पैराग्राफ 2.6(क)(v))

- शु ह पा बु दरों के संशोधन न करने/विलम्ब से संशोधन करने के परिणामस्वरूप 6.86 करोड़ रुपए की राशि के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6(ख))

- आयात निर्यात नीति के पैरा 7.25 में दिए गए प्रावधानों के उल्लंघन में शु ह पा बु में क्रेडिट की गयी राशि के प्रति नकारात्मक/प्रतिबंधित सूची में प्रकट होने वाली मदों के आयात पर शुल्क के गलत समंजन के परिणामस्वरूप 9.83 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6(ग))

- अधिनियम के प्रावधानों और योजना के अननुपालन के परिणामस्वरूप गलत वर्गीकरण हुआ, शु ह पा बु क्रेडिट अधिक/अनियमित प्रदान किया गया, वैल्यू केप लागू नहीं हुआ/विलम्ब से कटौती नहीं दी गयी और निर्यात आदेश देने की तारीख को दर लागू नहीं हुई जिसके कारण 10.99 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6(ङ)(च)(छ)(ज)(i)(ट))

- पूर्व निर्यात शु ह पा बु लाइसेंसों में निर्यात बाध्यता को पूरा न करने से 21 लाइसेंसों से 8.62 करोड़ रुपए की वसूली का भार पड़ा।

(पैराग्राफ 2.6(ज)(i))

- वास्तविक उपयोक्ता शर्तों का उल्लंघन होने के कारण पूर्व निर्यात लाइसेंसों के प्रति मा इ आ प्र के अनुसार प्रयोज्य सामग्री के आयातों के प्रतिबंध न होने के परिणामस्वरूप 5.34 करोड़ रुपए के शुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 2.6 (ज)(ii))

> निर्यात उत्पादों के अधिक मूल्यांकन के परिणामस्वरूप पांच लाइसेंसधारियों को 2.21 करोड़ रूपए का अनुचित क्रेडिट प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ 2.6(i))

> निर्यात उत्पादों, जिसके लिए दर सूची में कोई दरें निर्दिष्ट नहीं की गयीं, पर क्रेडिट के गलत प्रदान किए जाने और दरों के लागू करने से पहले किए गए निर्यातों पर क्रेडिटों की अनुमति के परिणामस्वरूप 2.44 करोड़ रूपए का क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया।

(पैराग्राफ 2.6(ii), (iii))

> नमूना जांच में 1859 मामलों का पता चला जहां विदेशी मुद्रा की वास्तव में उगाही नहीं की गयी। इससे न केवल निर्यात विकास योजना का मूल उद्देश्य विफल हुआ बल्कि ब्याज सहित 305.64 करोड़ रूपए की राशि की उगाही न की गयी निर्यात प्राप्तियों के प्रति अनुमत क्रेडिट की वसूली भी नहीं हुई।

(पैराग्राफ 2.7)

2.2 प्रस्तावना

शुल्क हकदारी पास बुक (शु ह पा बु) योजना आयात निर्यात नीति 1997-2002 में 1 अप्रैल 1997 से लागू की गयी।

शु ह पा बु योजना का उद्देश्य, जैसाकि आयात निर्यात नीति 1997-2002 के पैरा 7.25 में व्यक्त किया गया, निर्यात उत्पादों के आयात अवयवों पर मूल सीमाशुल्क, विशेष सीमाशुल्क और अधिभार (1 अप्रैल 1999 से निगमित) के भार को निष्प्रभावित करना है। निष्प्रभावित निर्यात परेषणों के मूल्य के प्रति प्रयोजनार्थ रखा गया एक पासबुक में शुल्क क्रेडिट करके प्रदान किया जाना था। एक निर्यात उत्पाद के लिए स्वीकार्य क्रेडिट का निर्यात उत्पाद के माने गए आयात अवयव, मानक इनपुट-आऊट-पुट प्रतिमान (मा इ आ प्र) में यथा निर्धारित उत्पाद के निर्यात द्वारा प्राप्त किए जाने वाले मूल्यवर्धन और आयात अवयव पर उद्ग्राह्य मूल सीमाशुल्क, विशेष सीमाशुल्क/अधिभार को हिसाब में लेकर परिकलित किया जाता है।

वाणिज्य मंत्रालय में म नि वि ब्या का कार्यालय शु ह पा बु क्रेडिट जारी करने के लिए प्राधिकृत है। क्रेडिट का दावा या तो 3 पूर्ववर्ती वर्षों के औसत निष्पादन के आधार पर निर्यातों से पहले या निर्दिष्ट दरों पर निर्यातों के बाद किया जा सकता है। बाद वाले मामले में शुल्क क्रेडिट का नकारात्मक सूची में मदों को छोड़कर किन्हीं मदों का आयात करने के लिए उपयोग किया जा सकता था (अप्रैल 1999 के बाद भारतीय व्यापार वर्गीकरण हार्मोनाइज्ड सिस्टम) सूची में प्रतिबंधित मदों को छोड़ कर।

शु ह पा बु योजना ने मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना और पुरानी आयात निर्यात नीति की पासबुक योजना को प्रतिस्थापित किया। आयात और निर्यात के बीच मात्रात्मक सम्बन्ध के

अभाव और आयातक द्वारा अपने आवेदनपत्र में प्रस्तुत की गयी कीमत सूचना के सत्यापन न करने ने वाबाल योजना के व्यापक दुरुपयोग को सक्षम बनाया। इसके परिणामस्वरूप निर्यातों के लिए अपेक्षित राशि से काफी अधिक मात्रा में प्रयोज्य सामग्री का शुल्क मुक्त आयात हुआ। अधिक प्रयोज्य सामग्री की बिक्री कर के अप्रत्याशित लाभ हुए जिनका घरेलू बाजार में भारी प्रीमियम में उपयोग किया गया। सरकार को वाबाल योजना के इस दुरुपयोग की जानकारी थी जैसाकि फरवरी 1997 में लोक लेखा समिति के समक्ष सचिव, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किए गए एक बयान में स्पष्ट होता है। मार्च 1998 में समाप्त हुई वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में वाबाल योजना के दुरुपयोग का विवरण दिया गया जिसमें 3532.20 करोड़ रूपए की सीमा तक राजस्व की हानि का भार डाला गया।

2.3 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

शु ह पा बु योजना का दिसम्बर 1999 तक इसके प्रचालन के तीन वर्षों के लिए एक मूल्यांकन लेखापरीक्षा में किया गया। मूल्यांकन में निम्नलिखित शामिल था :

- (क) क्या योजना के अन्तर्गत अनुमत शुल्क क्रेडिट के लाभ निर्यात उत्पादों द्वारा वहन किए गए सीमाशुल्क के वास्तविक भार के अनुरूप थे।
- (ख) क्या योजना सुसंगत अधिसूचना, नियमों और कार्यविधियों आदि के अनुसार लागू की गयी।
- (ग) मानीटरिंग तथा अन्तर्विभागीय समन्वय तंत्रों की प्रभावोत्पादकता।
- (घ) क्या शु ह पा बु यो ने वाबाल योजना के बचाव के रास्ते बंद कर दिए।

32 क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (क्षे ला प्रा) में से 27 द्वारा कुल 1,42,661 शु ह पा बु लाइसेंस जारी किए गए जिनमें अप्रैल 1997 से दिसम्बर 1999 की अवधि के दौरान निर्यात पूर्व/निर्यात के उपरान्त शु ह पा बु लाइसेंसों के अन्तर्गत 7175.47 करोड़ रूपए का क्रेडिट अनुमत किया गया। इनमें से 3094.47 करोड़ रूपए (अर्थात् 43.13%) के क्रेडिट वाले 53,641 लाइसेंसों (अर्थात् 37.60%) की लेखापरीक्षा में जांच की गयी। लेखापरीक्षा के परिणाम आगामी पैराग्राफों में दिए गए हैं।

2.4 मैक्रो प्रवृत्तियां

27 लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए शु ह पा बु लाइसेंसों के वर्षवार विवरण आगे दिए गए हैं :

(करोड़ रूपए में)

वर्ष	लाइसेंस का प्रकार	जारी की गयी शु ह पा बु की संख्या	निर्यातों का मूल्य	अनुमत क्रेडिट का मूल्य	आयातों का मूल्य
1997-98	निर्यात पूर्व	76	92.23	72.02	153.01
	निर्यात के बाद	17470	11861.39	983.82	2886.67
1998-99	निर्यात पूर्व	101	86.69	79.84	189.94
	निर्यात के बाद	59594	26107.74	3113.03	8537.35
1999-2000 (12/99 तक)	निर्यात के बाद	65420	27541.80	2926.76	9863.85
जोड़		142661	66689.85	7175.47	21630.82

यह देखा जा सकता है कि अनुमत क्रेडिट की राशि 1997-98 में 1055.84 करोड़ रूपए से बढ़कर 1998-99 में 3192.87 करोड़ रूपए हो गयी और आगे 1999-2000 में दिसम्बर 1999 तक 2926.76 करोड़ रूपए हो गयी (वार्षिक आधार पर 3900 करोड़ रूपए)। निर्यात पूर्व आधार पर लिए गए क्रेडिट की प्रतिशतता पहले वर्ष में कुल का 7 प्रतिशत थी परन्तु दूसरे वर्ष में कम होकर 2.5 प्रतिशत रह गयी।

2.5 योजना में कमी जिसके कारण राजस्व की हानि हुई

(क) शुल्क के वास्तविक भार से असम्बद्ध शुल्क क्रेडिट

आयात निर्यात नीति 1997-2000 के पैरा 7.25 में यथापरिभाषित शु ह पा बु योजना का उद्देश्य “निर्यात उत्पाद के आयात अवयव पर मूल सीमाशुल्क और अधिभार के भार को निष्प्रभावित करना” था। सीमाशुल्क के ऐसे निष्प्रभावन की सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 75 में भी परिकल्पना की गयी है जिसमें माल, जिनका निर्यात किया जाता है, के विनिर्माण या संसाधन करने में प्रयुक्त किसी आयातित सामग्री पर अधिनियम के अन्तर्गत प्रभार्य सीमाशुल्क की अनुमत की जाने वाली फिरती के लिए प्रावधान किया गया है। अन्य शब्दों में शु ह पा बु और फिरती के उद्देश्य एक समान हैं। तथापि शु ह पा बु योजना में एक निर्यात पूर्व आधार पर भी क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए एक विकल्प का प्रावधान किया गया जबकि फिरती केवल पश्च निर्यात दी जाती है। निर्यात पूर्व क्रेडिट का लाभ योजना के प्रचालन के तीन वर्षों में 142484 लाइसेंसों में पश्च निर्यात शु ह पा बु के प्रति मात्र 177 मामलों में लिया गया था। तब प्रश्न यह है कि और अधिक निर्यातकों ने शु ह पा बु का विकल्प क्यों दिया।

इसका कारण दरों के परिकलन की पद्धति में खोजा जाना है। जबकि फिरती दरें विनिर्माण करने की प्रक्रिया में प्रयुक्त वास्तविक प्रयोज्य सामग्री के आधार पर परिकलित की गयीं तथापि शु ह पा बु दरें मानक इनपुट/आऊटपुट प्रतिमानों के अनुसार आदर्शी आधारों पर परिकलित की गयीं। जबकि वित्त मंत्रालय फिरती दरों के आयात अवयव का अवधारण करने से पहले वास्तविक बाजार पद्धतियों का अध्ययन करेगा वहीं वाणिज्य मंत्रालय, जिसने शु ह पा बु दरें नियत कीं, सिर्फ मानक इनपुट/आऊटपुट प्रतिमानों तक इस बात का लिहाज़ किए बिना सीमित रहा कि क्या विशेष उद्योग ने निर्यात उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से किसी माल का

आयात किया। इसलिए शु ह पा बु दरें उन्हीं निर्यात मर्दों के लिए फिरती दरों से सामान्यतया काफी अधिक थीं विशेषकर उन मामलों में जहां प्रचलित आयात अवयव मा इ आ प्र से कम था।

उपरोक्त विसंगति के कारण शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत प्रदान किए गए अनभिप्रेत लाभों का अवधारण करने के लिए लेखापरीक्षा ने तीन निर्यात मर्दों नामत : समुद्री उत्पाद, काटन मेड अपस/फैब्रिक्स, चमड़े की वस्तुओं आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विश्लेषण किया। आर एल ए चेन्नई, मद्रुई, पांडिचेरी, मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोचीन, बंगलूर, कानपुर, नई दिल्ली और जयपुर द्वारा जारी 2065 लाइसेंसों की संवीक्षा से पता चला कि इन उत्पादों के निर्यातकों को कम आयातित सामग्री या किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं थी परन्तु 1997-98 से 1999-2000 के दौरान 158.33 करोड़ रूपए की शु ह पा बु दरों के आधार पर क्रेडिट प्रदान किए गए। लेखापरीक्षा निष्कर्ष कि ये अनभिप्रेत लाभ थे, का इस तथ्य द्वारा समर्थन किया गया है कि इन अधिकांश पश्च निर्यात लाइसेंसों का निर्यातक द्वारा आयात के प्रति उपयोग नहीं किया गया बल्कि बाजार में बेचे गए। इन लाइसेंसों के प्रति वास्तविक आयात कोई भी मर्दें हो सकती थीं चाहे उनका निर्यातों के प्रति उपयोग किया गया हो या न किया गया हो।

अन्य शब्दों में शु ह पा बु का लाभ चाहे निर्यातक द्वारा या लाइसेंस के आगामी क्रेता द्वारा मात्र वास्तविक आयातों के बाद अर्जित किया जा सकता था। इसलिए योजना द्वारा नकद प्रतिपूर्ति (जैसेकि फिरती) की तुलना में आयातों को समवायी रूप से प्रोत्साहित किया गया।

अन्य शब्दों में शु ह पा बु धारक को अपने विनिर्माण/निर्यात के साथ असम्बद्ध मर्दों का आयात करने और ऐसी आयातित सामग्री/मर्दों को लाभ पर बेचने के लिए या आयात हकदारी और लाभ को बेचने के लिए साधन प्रदान किए गए।

ऐसे कुछेक मामले आगामी पैराग्राफों में सोदाहरण दिए गए हैं :-

समुद्री उत्पाद

(i) समुद्री उत्पादों यथा मछली उत्पादों के निर्यात के लिए 340 लाइसेंस दो लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (चेन्नई और मद्रुई) द्वारा 21 लाइसेंसधारियों को जारी किए गए जिन्हें 5/10 प्रतिशत पर 28.13 करोड़ रूपए का पश्च निर्यात क्रेडिट अनुमत किया गया। सभी शु ह पा बु पर्चियाँ बाजार में बेच दी गईं चूंकि यह उद्योग वास्तव में किसी प्रयोज्य सामग्री का आयात नहीं करता।

(ii) 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के लिए मछली और मछली के उत्पादों के निर्यात के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी, विशाखापत्तनम द्वारा 18 लाइसेंसधारियों को 91.07 करोड़ रूपए का शु ह पा बु क्रेडिट अनुमत किया गया। निर्यातों का नब्बे प्रतिशत स्पीसीज ब्लेक टाइगर, व्हाईट श्रीमपस के संसाधित और अभिरक्षित तथा फ्रोज़न हैड आन/हैडलैस श्रीमपस का द्योतक था। लदान बिलों के अनुसार उपरोक्त उत्पादों के लिए औसत पो प निःशुल्क मूल्य प्रति कि ग्रा 550/- रूपए था। शु ह पा बु दर के 10 प्रतिशत होने के कारण प्रति कि ग्रा क्रेडिट 55/- रूपए बनता था। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मा इ आ प्र के अनुसार उपरोक्त उत्पाद के निर्यात के लिए प्रयुक्त सुरक्षित तथा पैकिंग सामग्री की लागत प्रति कि ग्रा मात्र 8.50 रूपए बनती थी। भले ही सुरक्षित तथा पैकिंग सामग्री की पूरी लागत आयातित के रूप में ली जाती है

तथा पूरी राशि को आयात शुल्क के भार के रूप में लिया जाता है तथापि निर्यातकों ने शु ह पा बु क्रेडिट के द्वारा प्रति कि ग्रा 46.50 रूपए (55.00 रूपए-8.50 रूपए) का अतिरिक्त लाभ अर्जित किया। 14901.82 मी. टन के निर्यातों पर अतिरिक्त लाभ 69.29 करोड़ रूपए बनता था।

(iii) मंत्रालय के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मछली के उत्पादों के लिए शु ह पा बु दरें मछली के उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के मूल्यवर्धन और पो प निः शुल्क मूल्य, आयातित प्रयोज्य सामग्री विशेषकर प्रीमिक्स विटामिन (डी-3 श्रेणी के लिए एक प्रमुख प्रयोज्य सामग्री*) के ला बी भा मूल्य से सम्बन्धित द्योतक आंकड़ों की उपलब्धता के बिना नियत की गयीं थीं। झींगा-आहार, जो निर्यातों की डी-3 श्रेणी के लिए एक प्रमुख प्रयोज्य सामग्री है, पर सीमा शुल्क और अतिरिक्त शुल्क की प्रभावी दरें शून्य हैं जिसे क्रेडिट की दर नियत करते समय हिसाब में नहीं लिया गया। पूर्वानुमेय तौर पर ऐसे निर्यातकों को जारी किए गए लाइसेंसों में से किसी का भी मछली के उत्पादों के निर्यात के लिए अपेक्षित प्रयोज्य सामग्री का आयात करने के प्रति उपयोग नहीं किया गया। मछली उत्पाद के निर्यातकों को आर एल ए कोचीन द्वारा 1 अप्रैल 1998 से 31 दिसम्बर 1999 के दौरान 633 लाइसेंस जारी किए गए और 566.79 करोड़ रूपए के पो प निःशुल्क मूल्य पर 29.37 करोड़ रूपए का क्रेडिट अनुमत किया गया।

कॉटन मेडअपस/फैब्रिक्स

(iv) चार लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (पांडिचेरी, कानपुर, दिल्ली और जयपुर) ने बैड स्प्रेड, बिस्तर बंद, तकिये के कवर, सोफा कवर, डार्ई किए गए और प्रिंट की गयी मेड अपस जैसी कॉटन मेड अपस के निर्यात के लिए 137 लाइसेंस जारी किए तथा 15 करोड़ रूपए का क्रेडिट अनुमत किया। इनपुट आऊटपुट प्रतिमानों (क्रम संख्या 211/टैक्सटाइलस एच पी बी वाल्यूम-II) के अनुसार काटन मेडअपस का उत्पादन करने के लिए केवल काटन फैब्रिक्स और कपास प्रयोज्य सामग्री थीं तथा इन प्रयोज्य सामग्री के देशी रूप से उत्पादित किए जाने के कारण सीमाशुल्क का निष्प्रभावन अपेक्षित नहीं था। इसमें आश्चर्य नहीं कि संयुक्त म नि वि व्या, नई दिल्ली द्वारा एक फर्म (गाज़ियाबाद) को जारी 97 लाइसेंसों में से 93 अन्य पार्टियों को हस्तांतरित किए गए।

चमड़े की वस्तुएं

(v) चमड़े की वस्तुओं जैसे कि चमड़े के बैग, वालेटस आदि के सम्बन्ध में 12 प्रतिशत के शु ह पा बु क्रेडिट की दर 4.5 प्रतिशत की फिरती की दर से काफी अधिक थी (केवल सीमाशुल्क आवंटन)। दो फर्मों ने 1999-2000 के दौरान 16.08 करोड़ रूपए मूल्य के चमड़े के बैग, वालेटस आदि का निर्यात किया तथा उन्हें 12 प्रतिशत पर संयुक्त म नि वि व्या, कानपुर द्वारा 1.94 करोड़ रूपए का शु ह पा बु क्रेडिट प्रदान किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप 1.21 करोड़ रूपए का लाभ प्रदान किया गया।

पशमीना शालें

(vi) निर्यात उत्पाद '100 प्रतिशत ऊन से बनी शालें' के लिए शु ह पा बु क्रेडिट दर 1 अप्रैल 1997 से 10 प्रतिशत पर निर्धारित की गयी जिसे संशोधित करके 15 अप्रैल 1998 से 14

* पोलीबेग में ब्लाक फ्रोज़न हैडलैस/हैडलान स्केमपी

प्रतिशत कर दिया गया। इस उत्पाद के लिए मात्र एक प्रयोज्य सामग्री यथा 'कच्ची ऊन' मानक इनपुट आऊटपुट प्रतिमानों के अनुसार अनुज्ञेय है।

पशमीना शालों के निर्यात से सम्बन्धित शु ह पा बु फाईलों की संवीक्षा से पता चला कि सात निर्यातकों ने 4.62 करोड़ रूपए के कुल पो प निःशुल्क मूल्य के लिए प्रति शाल 13869 रूपए और 44873 रूपए के बीच दरों पर 100 प्रतिशत ऊन से बनी 2748 शालों का निर्यात किया और कुल 63.04 लाख रूपए के क्रेडिट के लिए 13 शु ह पा बु लाइसेंस जारी किए गए।

चूंकि पशमीना ऊन एक देशी प्रयोज्य सामग्री है इसलिए इस निर्यात उत्पाद के लिए आयातित प्रयोज्य सामग्री अपेक्षित नहीं थी और इसलिए ऐसी शालों के लिए शु ह पा बु क्रेडिट दर निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

(ख) विशेष सीमाशुल्क के कारण क्रेडिट का अनियमित प्रदान किया जाना

आयात निर्यात नीति 1997-2002 के पैराग्राफ 7.25 के अनुसार आयात घटकों पर मूल सीमाशुल्क के अतिरिक्त विशेष सीमाशुल्क का भार 30 अप्रैल 1998 से निष्प्रभावन के लिए अनुमत किया गया। तथापि 15 अप्रैल 1998 से आयात पर विशेष सीमाशुल्क की राहत प्रदान करने के विचार से शु ह पा बु दरों में संशोधन किया गया।

चूंकि वि सी शु के निष्प्रभावन के लिए राहत प्रदान करने वाली आयात निर्यात नीति में प्रावधानों को केवल 30 अप्रैल 1998 को शामिल किया गया इसलिए उस से पूर्व वि सी शु को शामिल करते हुए शु ह पा बु की क्रेडिट दरों का संशोधन आयात निर्यात नीति प्रावधानों के अनुरूप नहीं था और इसलिए 15 अप्रैल 1998 से 29 अप्रैल 1998 के दौरान किए गए निर्यात के लिए अनुमत संशोधित दरों में शामिल किया गया वि सी शु का घटक अनियमित था।

15 अप्रैल 1998 और 29 अप्रैल 1998 के बीच 19 कमिश्नरियों के माध्यम से शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत 982.63 करोड़ रूपए मूल्य के माल का निर्यात किया गया। इस निर्यात पर 2 प्रतिशत की आनुमानिक औसत दर पर परिकलित शु ह पा बु क्रेडिट 19.65 करोड़ रूपए बनता था जोकि अनियमित था।

(ग) विशेष अतिरिक्त शुल्क (वि अ शु) से छूट

(i) पासबुक में वि अ शु का डेबिट न करना

देशी माल द्वारा वहन किए गए बिक्री कर और अन्य स्थानीय करों के निष्प्रभावन द्वारा घरेलू उद्योग को एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराने के लिए आयातों पर 2 जून 1998 से वि अ शु लगाया गया।

शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत आयातित माल को सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 34/98 सी शु दिनांक 13 जून 1998 के अन्तर्गत वि अ शु के भुगतान से छूट थी जोकि पासबुक में वि अ शु के डेबिट करने के अध्यक्षीन था। पासबुक में वि अ शु के डेबिट करने को 17 जुलाई 1998 से वापस ले लिया गया।

सात कमिश्नरियों (हैदराबाद-II, कलकत्ता(समुद्री), चेन्नई (समुद्री और वायु), त्रिची, अहमदाबाद और कोचीन) में अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि 13 जून 1998 से 16 जुलाई 1998 के बीच किए गए आयातों के सम्बन्ध में 6.87 करोड़ रूपए का विशेष अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया और शु ह पा बु की पासबुकों में भी डेबिट नहीं किया गया जिसके कारण उतनी सीमा तक राजस्व की हानि हुई।

(ii) वि अ शु से अनुचित छूट

17 जुलाई 1998 से शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत आयातों के लिए अधिसूचना 56/98-सी शु दिनांक 1 अगस्त 1998 के साथ पठित अधिसूचना संख्या 48/98-सी शु दिनांक 17 जुलाई 1998 के माध्यम से वि अ शु की 'शून्य' दर लागू की गयी।

आयात निर्यात नीति के अनुसार शु ह पा बु के अन्तर्गत निष्प्रभावन के लिए केवल मूल सीमाशुल्क और मूल सीमाशुल्क पर विशेष सीमाशुल्क/अधिभार पर विचार किया गया। अतिरिक्त शुल्क, जिसपर शु ह पा बु योजना में निष्प्रभावन के लिए विचार नहीं किया गया, पास बुक में डेबिट किया जा रहा था या नकद में भुगतान किया जा रहा था। वि अ शु को प्रदान की गयी छूट पर पालिसी में विचार नहीं किया गया और इसलिए शु ह पा बु योजना के मूल प्रावधानों/उद्देश्यों के अनुरूप नहीं था।

इसके अतिरिक्त क्रेडिट दर के नियतन के लिए वि अ शु को हिसाब में लेने की बजाय वि अ शु से शु ह पा बु आयातों के लिए छूट प्रदान करने से आयातकों को भी अतिरिक्त अनुचित लाभ प्रदान किए गए तथा राजस्व की तदनु रूपी हानि हुई। जैसाकि पैरा 3 में बताया गया कि 1998-99 के दौरान शु ह पा बु लाइसेंसों का तकरीबन 97 प्रतिशत पश्च निर्यात आयात पर थे जिसमें से अधिकांश का हस्तांतरण किया गया। निर्यातित मर्दों और इन मामलों में आगामी आयातों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं था। 7 जून 1999 तक शु ह पा बु के अन्तर्गत नकारात्मक मूल्यवर्धन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था। इसलिए यह सम्भव था कि शु ह पा बु पर्ची का उस माल के आयात के लिए उपयोग किया जा सकता था जिसपर निर्यात उत्पाद के लिए मा इ आ प्र प्रयोज्य सामग्री से कम मूल सीमाशुल्क लगा जिससे प्रयोज्य सामग्री के अधिक मूल्य और राशि, जो प्रयोज्य सामग्री के मा इ आ प्र स्तर द्वारा वहन की गयी होती, से अधिक वि अ शुल्क से छूट प्राप्त करने में समर्थ बनाया गया। निम्नलिखित दृष्टांत से यह स्पष्ट होगा :

क)	आयातित माल का ला बी भा मूल्य	100 रूपए
ख)	शुल्क भार: 35 प्रतिशत की दर पर बी सी डी	35.00 रूपए
ग)	मूल सीमाशुल्क के 10 प्रतिशत की दर पर अधिभार	3.50 रूपए
घ)	ला बी भा+शुल्क के 4 प्रतिशत की दर पर वि अ शु (क + ख + ग)	5.54 रूपए
ड.)	निर्धारित मूल्य वर्धन	100 प्रतिशत
च)	पो प निःशुल्क मूल्य (क + ड.)	200 रूपए
छ)	वि अ शु के बिना क्रेडिट $\{(ख+ग)/च \times 100\}$	19.25 प्रतिशत
ज)	वि अ शु के साथ क्रेडिट $\{(ख + ग + घ)/च \times 100\}$	22.02 प्रतिशत

200 रूपए के निर्यात के प्रति 38 रूपए के क्रेडिट (वि अ शु के बिना) का 16.72 रूपए की वि अ शु छूट प्राप्त करके 380 रूपए तक 10 प्रतिशत शुल्क के साथ माल का आयात करने के लिए उपयोग किया जा सकता है { 4%(380+38=418)}। चूंकि इसके प्रति मात्र 5.54 रूपए का शुल्क क्रेडिट उपलब्ध रहा होता यदि शु ह पा बु दर नियत करते समय वि अ शु को हिसाब में लिया गया होता। इस प्रकार एक आयातक को सदा लाभ होगा और सीमाशुल्क विभाग को राजस्व की हानि होगी जबतक कि एक शु ह पा बु लाइसेंस के प्रति वास्तव में आयातित मर्दों पर शुल्क की दर निर्यातित उत्पाद के लिए मा इ आ प्र प्रयोज्य सामग्री पर शुल्क की दर से कम हो।

इस प्रकार शु ह पा बु दर में इसके भार को बनाने की बजाय वि अ शु से शु ह पा बु आयात छूट प्रदान करने के निर्णय से पालिसी में परिकल्पित सीमा से काफी अधिक वि अ शु से छूट प्राप्त करने का कई निर्यातकों को अवसर प्रदान किया गया। शु ह पा बु लाइसेंसों के हस्तांतरण के प्रति प्रभावी वास्तविक प्रयोज्य सामग्री के विवरणों के अभाव में राजस्व की हानि की वास्तविक मात्रा का लेखापरीक्षा में अवधारण नहीं किया जा सकता।

14 कमिश्नरियों के माध्यम से शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत आयातों के सम्बन्ध में 17 जुलाई 1998 से 30 सितम्बर 1999 तक की अवधि के दौरान छोड़ा गया वि अ शु 659.29 करोड़ रूपए बनता था (अनुमानतः)।

(घ) नि वि पूं मा दायित्व पूरा करने में प्रयुक्त शु ह पा बु लदान बिल

आयात निर्यात नीति के पैरा 6.5(vi) के अनुसार नि वि पूं मा लाइसेंसधारक उन निर्यात परेषणों के सम्बन्ध में भी शु ह पा बु लाभ प्राप्त कर सकता था जिनमें नि वि पूं मा योजना के अन्तर्गत रियायती आयातों के सम्बन्ध में निर्यात दायित्व पूरे किए जा रहे थे। किसी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा उगाही के अभाव में यह अनुचित था।

एक नमूना जांच से पता चला कि 13 आर एल ए में 588 लाइसेंसों में 193.91 करोड़ रूपए की राशि का शु ह पा बु क्रेडिट नि वि पूं मा योजना के अन्तर्गत किए गए निर्यात दायित्व को पूरा करने में किए गए निर्यात परेषणों के लिए अनुमत किया गया विशेष रूप में चूंकि शु ह पा बु लाभ निर्यातों, जो आयातित प्रयोज्य सामग्री पर आधारित नहीं थे, के लिए प्रदान किए गए।

(ङ) शु ह पा बु क्रेडिट के अनभिप्रेत लाभ

सुसंगत सार्वजनिक नोटिसों के साथ शु ह पा बु दर सूची के परिशीलन से पता चला कि वैल्यू कैंप के विलम्ब से नियतन/अभाव, पालीस्टर अवयवों की प्रमात्रा के समाप्त करने और दोहरी दरों के प्रचलित होने के कारण छह आर एल ए (कलकत्ता, नई दिल्ली, मुरादाबाद, कोयम्बटूर, मडुरई और चेन्नई) द्वारा शु ह पा बु लाइसेंसधारकों को 5.82 करोड़ रूपए के शु ह पा बु क्रेडिट का अनभिप्रेत लाभ अनुमत किया गया।

एक मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है :-

मूल्यांकन पर नियंत्रण रखने के लिए 28 अक्टूबर 1997 से सी डी रोमस के निर्यात पर प्रति पीस 750 रूपए का वैल्यू कैप नियत किया गया। तथापि वर्ष 1998-99 (15 अप्रैल 1998 से प्रभावी) के लिए दरों में संशोधन करते हुए मूल्य कैप को सी डी रोमस पर लगाए जाने के लिए छोड़ दिया गया। इसे 8 जून 1998 से उसी दर पर पुनः लागू किया गया। अन्तरिम अवधि के दौरान तीन फर्मों ने दावा किया और 15 अप्रैल और 7 जून 1998 के बीच निर्यातित कुल 401750 पीस के लिए प्रति सी डी रोम 772 रूपए और 2117 रूपए के बीच पो प निःशुल्क मूल्य पर कुल 7.98 करोड़ रूपए का शु ह पा बु लाभ प्रदान किया गया। मूल्य कैप को अधिसूचित करने की चूक के परिणामस्वरूप 3.93 करोड़ रूपए का अधिक शु ह पा बु क्रेडिट रहा।

(च) नकारात्मक मूल्यवर्धन को रोकने के लिए प्रावधानों का अभाव

शु ह पा बु योजना में प्रारम्भ में नकारात्मक मूल्यवर्धन, सभी पुरानी निर्यात वर्धन योजनाओं द्वारा बरती गयी सावधानी, के प्रति बचाव करने के लिए आयात निर्यात नीति में एक प्रावधान शामिल नहीं था। इस उद्देश्य से एक प्रावधान 7 जून 1999 से अर्थात् योजना के चालू होने से दो वर्ष से अधिक के बांद किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि 7 जून 1999 से पहले जारी किए गए शु ह पा बु लाइसेंसों के सम्बन्ध में नौ कमिश्नरियों के माध्यम से किए गए आयातों के 261 मामलों में 189.84 करोड़ रूपए की विदेशी मुद्रा का अधिक बहिर्प्रवाह रहा जो निर्यातों के पो प निःशुल्क मूल्य से अधिक आयातों के ला बी भा मूल्य के बराबर था। इसने 7.34 करोड़ रूपए के वि अ शु का भी भार डाला चूंकि ऐसे अधिक आयातों पर वि अ शु नहीं लगाया गया।

एक मामला सोदाहरण नीचे दिया गया है :

एक विनिर्माता, जिसने 11.56 करोड़ रूपए मूल्य के एच आर कायल्स का निर्यात किया, को एक लाइसेंसिंग प्राधिकारी (कलकत्ता) द्वारा मई 1999 में 14 प्रतिशत की दर पर 1.66 करोड़ रूपए का शु ह पा बु क्रेडिट जारी किया। शु ह पा बु लाइसेंसधारक ने अन्य के साथ-साथ 5.5 प्रतिशत पर शुल्क का डेबिट करके 25.56 करोड़ रूपए के ला बी भा मूल्य के कोकिंग कोल का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप 1.36 करोड़ रूपए के वि अ शु की हानि के अलावा 54.74 प्रतिशत का नकारात्मक मूल्यवर्धन हुआ और 13.99 करोड़ रूपए तक विदेशी मुद्रा का परिणामी अधिक बहिर्प्रवाह हुआ।

2.6. कार्यान्वयन में चूकें

(क) शु ह पा बु क्रेडिट दरों का गलत नियतन

आयात निर्यात नीति 1997-2002 के पैरा 7.25 के अनुसार शु ह पा बु क्रेडिट दरें मा इ आ प्र के आधार पर निर्यातों के पो प निःशुल्क मूल्य की विशेष प्रतिशतता, मूल्यवर्धन और मूल सीमा

शुल्क/विशेष सीमाशुल्क की औसत दर और उक्त निर्यात उत्पाद के माने गए आयात अवयवों पर अधिभार पर महानिदेशक, विदेश व्यापार (म नि वि व्या) द्वारा नियत की जाती हैं। 715 मदों, जिनके लिए म नि वि व्या द्वारा 1997-98 और 1998-99 के दौरान क्रेडिट दरें अधिसूचित की गयी, की लेखापरीक्षा समीक्षा से 120 मदों में अधिक नियतन का पता चला। म नि वि व्या ने 104 मदों में दरों के बढ़े हुए नियतन को स्वीकार किया जो सीमाशुल्क को अधिक अपनाने के कारण परिकलन में गलतियों के कारण रहा। उन्होंने वसूलियों को प्रभावी बनाने में मजबूरी व्यक्त की चूंकि निर्यातकों ने अधिसूचित दरों के अनुसार क्रेडिट का सही ढंग से लाभ उठाया। सभी 104 स्वीकृत मदों के सम्बन्ध में 1 अप्रैल 1999 से क्रेडिट दरों की कमी के रूप में उपचारी कार्रवाई की गयी।

15 आर एल ए के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 7694 पश्च निर्यात शु ह पा बु लाइसेंसों में शु ह पा बु क्रेडिट दरों के गलत नियतन के परिणामस्वरूप 95.65 करोड़ रूपए के राजस्व की अप्रतिप्राप्य हानि हुई।

कुछेक मामले सोदाहरण नीचे दिए गए हैं :

(i) **आटोमोटिव कास्टिंग्स**

इंजीनियरिंग उत्पाद ग्रुप की क्रम संख्या 67 और 68 में आटोमोटिव कास्टिंग्स (रफ और मशीनड) कवर किए गए थे। उनके विनिर्माण के लिए अपेक्षित प्रयोज्य सामग्री 80 प्रतिशत इस्पात छीजन और 20 प्रतिशत कच्चे लोहे के अनुपात में थीं जिनपर क्रमशः 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत की दर पर सीमाशुल्क उद्ग्राह्य था। इन मदों के लिए 125 प्रतिशत मूल्यवर्धन प्राप्त करना पड़ा। पो प नि:शुल्क की प्रतिशतता के रूप में सीमाशुल्क की दर 1997-98 के लिए 8 प्रतिशत और 1998-99 के लिए 10 प्रतिशत बनती थी। तथापि विभाग ने 1997-98 के लिए 13 प्रतिशत और 1998-99 के लिए 15 प्रतिशत की क्रेडिट दर निकाली। आटोमोटिव कास्टिंग्स (रफ/मशीनड) के लिए दो लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (चेन्नई और कोयम्बटूर) द्वारा जारी किए गए 147 लाइसेंसों में अधिक क्रेडिट 2.03 करोड़ रूपए बनता था।

म नि वि व्या, नई दिल्ली ने उत्तर दिया कि छीजन के लिए 20 प्रतिशत और कच्चे लोहे के 10 प्रतिशत का सीमाशुल्क सशर्त था और उसी रूप में ये दरें शु ह पा बु दरों की संगणना के लिए अपनायी नहीं जा सकीं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूंकि ये दरें सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 11/97 दिनांक 1 मार्च 1997 की क्रम संख्या 113 और 107 के अनुसार सभी उपयोक्ताओं के लिए प्रभावी दरें थीं और अधिसूचना की शर्तों द्वारा इन शुल्क दरों के लागू करने पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया।

(ii) **सल्फामीथोक्साज़ोल**

म नि वि व्या ने अप्रैल 1997 से मार्च 1998 और अप्रैल 1998 से मार्च 1999 तक की अवधियों के लिए क्रमशः 18 प्रतिशत और 17 प्रतिशत पर निर्यात उत्पाद 'सल्फामीथोक्साज़ोल' (ग्रुप 62/क्रम संख्या 68) के लिए शु ह पा बु क्रेडिट दरें अधिसूचित कीं (देखें सार्वजनिक नोटिस

दिनांक 21 मई 1997 और 5 जून 1998)। दर को 18 प्रतिशत से कम करके 17 प्रतिशत कर दिया गया जो 15 अप्रैल 1998 से मूल्यवर्धन के लिए प्रतिमानों में 60 प्रतिशत से वृद्धि कर के 85 प्रतिशत करने के कारण रही। शु ह पा बु दरों का परिकलन करते समय 'सल्फामीथोक्साज़ोल' के विनिर्माण के लिए एक प्रयोज्य सामग्री अर्थात् 'ईथायल एलकोहल' का शुल्क भार 10 प्रतिशत की बजाय 30 प्रतिशत लिया गया। स्वीकार्य दरें 1997-98 और 1998-99 की अवधियों के लिए क्रमशः 14 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बनती थीं। आपत्ति को स्वीकार करते हुए म नि वि व्या ने 'सल्फामीथोक्साज़ोल' के लिए क्रेडिट दरों को संशोधित करके अप्रैल 1999 से 15 प्रतिशत कर दिया।

नमूना जांच से पता चला कि दर के इस गलत नियतन के परिणामस्वरूप 1997-98 और 1998-99 के दौरान आर एल ए हैदराबाद द्वारा 103 लाइसेंसों में 6 निर्यातकों को 2.92 करोड़ रूपए और संयुक्त म नि वि व्या, मुम्बई द्वारा 176 लाइसेंसों को 1.45 करोड़ रूपए तक अधिक क्रेडिट प्रदान किया गया।

(iii) प्रोसेसड कॉटन मेडअपस

केवल एक प्रयोज्य सामग्री यथा प्रोसेसड कॉटन फ़ैब्रिक्स दो निर्यात उत्पादों यथा 'ग्रे से इतर अन्य प्रोसेसड कॉटन मेड अपस नामतः बैड स्प्रेड/बैड कवर/गद्दे के कवर/सोफा कवर/रजाई के कवर' (टेक्सटाईल की क्रम संख्या 69) और 'ग्रे से इतर और टेक्सटाईल ग्रुप की क्रम संख्या 72 के अन्तर्गत आने वाली क्रम संख्या 69 के अन्तर्गत शामिल न किए गए क्विलटिड कॉटन मेड अपस सहित सभी प्रोसेसड कॉटन मेड अपस' के लिए कार्यविधियों की पुस्तिका-खंड II 1997-1998 की क्रम संख्या जे-119 पर मा इ आ प्र के अनुसार स्वीकार्य है। फिर भी क्रम संख्या 69 पर उत्पादों के लिए शु ह पा बु क्रेडिट दर 1 अप्रैल 1997 से 23 प्रतिशत पर नियत की गयी जबकि क्रम संख्या 72 पर उत्पाद के लिए दर 10 प्रतिशत पर नियत की गयी। चूंकि दोनों उत्पादों के लिए प्रयोज्य सामग्री समान थी इसलिए क्रम संख्या 69 के लिए शु ह पा बु क्रेडिट दर 23 प्रतिशत की बजाय 10 प्रतिशत पर नियत की जाने योग्य थी। इसे लेखापरीक्षा के कहने पर 15 अप्रैल 1998 से कम करके 12 प्रतिशत कर दिया गया।

संयुक्त म नि वि व्या, नई दिल्ली के कार्यालय में अभिलेखों की एक नमूना जांच से पता चला कि 1 अप्रैल 1997 से 15 अप्रैल 1998 के दौरान किए गए 59.24 करोड़ रूपए के पो प निःशुल्क मूल्य के लिए कॉटन मेड अपस के निर्यातों पर 23 प्रतिशत की दर पर क्रेडिट अनुमत करते हुए 289 शु ह पा बु लाइसेंस जारी किए गए। इन मामलों में अनुमत क्रेडिट की कुल राशि 10 प्रतिशत की दर के संदर्भ में परिकलित 5.92 करोड़ रूपए के प्रति 13.53 करोड़ रूपए बनती थी। इस प्रकार निर्यातकों को 7.61 करोड़ रूपए का अतिरिक्त क्रेडिट अनुमत किया गया।

(iv) काजू की गिरियां

'काजू की गिरी' निर्यात की एक मद है जिसके लिए कोई विशेष शु ह पा बु दर अधिसूचित नहीं की गयी है। इस उत्पाद को दिए गए क्रेडिट की दर शु ह पा बु दरों के विविध ग्रुप-क्रम संख्या 22(क), (ख) या (ग) के अन्तर्गत इसे वर्गीकृत करते हुए 1% और कतिपय मामलों में 2% है।

काजू की गिरियों के मामले में मा इ आ प्र ने एक किग्रा काजू की गिरियों के लिए 4 कि ग्रा कच्चे काजू निर्धारित किए। कच्चे काजू पर शुल्क की शून्य दर लगायी जाती है। मा इ आ प्र के अनुसार निर्धारित केवल प्रयोज्य सामग्री पर शुल्क की शून्य दर के प्रभारित होने के कारण निर्यात उत्पाद के लिए अनुमत क्रेडिट सही नहीं था। आर एल ए, कोचीन द्वारा जारी 1490 लाइसेंसों में इस उत्पाद के लिए अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1999 के दौरान अनुमत कुल अनुचित क्रेडिट 30.80 करोड़ रूपए बनता था।

(v) **क्रेडिट दरों के नियतन के लिए नकारात्मक सूची की प्रयोज्य सामग्री का गलत विचार**

आयात निर्यात नीति के पैरा 7.25 के अनुसार आयातों के नकारात्मक/प्रतिबंधित सूची में प्रकट होने वाली मदों को छोड़कर किन्हीं मदों को शु ह पा बु लाइसेंस के प्रति आयातों के लिए अनुमत किया जाएगा। तथापि 1 अप्रैल 1997 से शु ह पा बु दरों को नियत करते समय नकारात्मक सूची में शामिल की गयी मदों पर देय शुल्क का घटक भी हिसाब में लिया गया। इस विसंगति का 15 अप्रैल 1998 से सुधार किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि आठ आर एल ए (मुम्बई, कलकत्ता, कोचीन, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और मुरादाबाद) द्वारा जारी किए गए 719 लाइसेंसों में नकारात्मक सूची में प्रकट होने वाली प्रयोज्य सामग्री पर शुल्क के गलत विचार के कारण 53.37 करोड़ रूपए का अधिक क्रेडिट निर्यातकों को अनुमत किया गया।

एक मामला सोदाहरण नीचे दिया है:

निर्यात उत्पाद हैक्साहाइड्रोथाइमोल बी पी/यू एस पी (रसायन गुप की क्रम संख्या 755) के लिए मात्र एक प्रयोज्य सामग्री यथा 'मैथा ऑयल' को क्रियाविधि की पुस्तिका खंड II -आयात निर्यात नीति अप्रैल 1997-मार्च 2002 के मा इ आ प्र ए-257 के अनुसार अनुमत किया गया है। यह प्रयोज्य सामग्री आयातों की नकारात्मक सूची में शामिल की गयी है और इसलिए इसका आयात एक शु ह पा बु लाइसेंस के अन्तर्गत अनुज्ञेय नहीं है। चूंकि अनुमत की गयी मात्र प्रयोज्य सामग्री नकारात्मक सूची में थी और इसका विरले ही आयात किया जाता है क्योंकि यह देश में बहुलता में उपलब्ध है इसलिए इस उत्पाद के लिए कोई शु ह पा बु दर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं थी। 1.4.1997 से इस उत्पाद के लिए 20 प्रतिशत की काफी ऊंची दर अधिसूचित की गयी। तथापि मद को 15 अप्रैल 1998 से शु ह पा बु सूची से निकाल दिया गया।

संयुक्त म नि वि व्या, नई दिल्ली के कार्यालय में अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 1 अप्रैल 1997 से 14 अप्रैल 1998 तक की अवधि के दौरान 113.49 करोड़ रूपए के पो प नि: शुल्क मूल्य के लिए 'हैक्साहाइड्रोथाइमोल बीपी/यू एस पी' के निर्यात के प्रति कुल 21.60 करोड़ रूपए के क्रेडिट के लिए 128 शु ह पा बु लाइसेंस जारी किए गए। ग्यारह फर्मों को अनुमत किया गया 21.60 करोड़ रूपए का पूरा क्रेडिट अनुचित लाभ था। जारी किए गए 128 लाइसेंसों में से 13.37 करोड़ रूपए के कुल क्रेडिट के लिए अकेली एक फर्म द्वारा 43 लाइसेंस प्राप्त किए गए। सभी लाइसेंस पश्च निर्यात और हस्तांतरणीय आधार पर जारी किए गए थे इसलिए इन लाइसेंसों के प्रति किए गए आयातों का लेखापरीक्षा में सत्यापन नहीं किया जा सका।

(ख) क्रेडिट दरों का संशोधन न करना/संशोधन में विलम्ब

शु ह पा बु क्रेडिट दरों के सीमाशुल्क की दरों और मूल्यवर्धन पर निर्भर होने के कारण इसके किसी संशोधन से शु ह पा बु दरों के परिणामी संशोधन की आवश्यकता होती है।

निर्यात उत्पाद 'सी डी आर ओ एम के लिए शु ह पा बु दरें 28 प्रतिशत के औसत सीमाशुल्क और 40 प्रतिशत के मूल्यवर्धन के आधार पर 20 प्रतिशत पर दिनांक 21 मई 1997 के सार्वजनिक नोटिस के अनुसार अधिसूचित की गयी। इस उत्पाद के लिए मूल्यवर्धन को अक्टूबर 1997 में संशोधित करके 106 प्रतिशत और आगे 125 प्रतिशत कर दिया गया। मूल्यवर्धन में इस वृद्धि में निर्यात की प्रत्येक इकाईयों पर आयात शुल्क का घटा हुआ भार अन्तर्निहित था जिससे शु ह पा बु दर में कमी की आवश्यकता अनुभव हुई। तथापि निर्यात उत्पाद के लिए शु ह पा बु क्रेडिट दर को मूल्यवर्धन में संशोधन करने के छह महीने बाद केवल 15 अप्रैल 1998 से संशोधित करके 14 प्रतिशत कर दिया गया। वास्तव में नए मूल्यवर्धन प्रतिमानों पर स्वीकार्य दर केवल 12 प्रतिशत थी।

चार फर्में (नई दिल्ली-3, कलकत्ता-1), जिन्होंने अक्टूबर 1997 से 14 अप्रैल 1998 तक की अवधि के दौरान 90.14 करोड़ रूपए मूल्य के सी डी (आर ओ एम एस)/सी डी (आडियो) का निर्यात किया, ने 12 प्रतिशत की दर की बजाय 20 प्रतिशत की दर पर क्रेडिट का दावा किया और उन्हें अनुमत किया गया जिसके परिणामस्वरूप 6.86 करोड़ रूपए का अतिरिक्त क्रेडिट हुआ।

(ग) क्रेडिट दरों के प्रति नकारात्मक सूची की प्रयोज्य सामग्री के आयात पर शुल्क का गलत समंजन

आयात निर्यात नीति के पैरा 7.25 के प्रावधानों के अनुसार नकारात्मक/वर्जित/प्रतिबंधित सूची में प्रकट होने वाली प्रयोज्य सामग्री और केनाब्लाइज्ड मर्चे शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत आयात के लिए पात्र नहीं होती।

तीन आर एल ए (मुम्बई, कलकत्ता और बंगलूर) द्वारा जारी 206 लाइसेंसों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अपात्र मर्चों के आयात पर 9.83 करोड़ रूपए की राशि को शुल्क क्रेडिट की गयी राशि के प्रति समंजन किए जाने के लिए गलत ढंग से अनुमत किया गया। इसके परिणामस्वरूप आयात निर्यात नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में शु ह पा बु क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ।

(घ) शु ह पा बु में निर्धारित सीमा से अधिक आयात

नकारात्मक मूल्यवर्धन पर रोक लगाने वाले और इस प्रभाव का एक पृष्ठांकन समाविष्ट करने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से अपेक्षा करने वाले और शु ह पा बु पर पो प निःशुल्क मूल्य का उल्लेख करने वाले पी एन नं.10 (आर ई-99)/1997-2002 दिनांक 7 जून 1999 के जारी करने के बाद भी विभाग द्वारा उचित जांच लागू नहीं की जा सकी। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पता चला कि दो लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (कलकत्ता, बंगलूर) द्वारा 7 जून 1999 के बाद जारी किए गए पांच लाइसेंसों के सम्बन्ध में शु ह पा बु क्रेडिट का उपयोग करते हुए दो कमिशनरियों (कलकत्ता और बंगलूर) के माध्यम से किए गए 14.54 करोड़ रूपए के आयातों का ला बी भा

मूल्य 8.03 करोड़ रूपए के निर्यातों के पो प नि; शुल्क मूल्य से अधिक हो गया। इसके कारण 27.46 लाख रूपए के वि अ शु सहित 63.26 लाख रूपए की सीमा तक सीमाशुल्क का अनुद्ग्रहण हुआ। विभाग ने बेंगलूर कमिश्नरी के एक निर्यातक से 3.90 लाख रूपए की वसूली सूचित की है।

(ड.) निर्यात आदेश देने की तारीख को दरों का लागू न करना

क्रियाविधियों की पुस्तिका, खंड I के पैरा 15.15 के साथ पठित शु ह पा बु दर सूची के परिशिष्ट 28 ए के अनुसार शु ह पा बु दर लागू होगी जो निर्यात आदेश देने की तारीख को मौजूद हो।

आठ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए उन्नीस लाइसेंसों के सम्बन्ध में शु ह पा बु क्रेडिट उस दर के संदर्भ में संस्वीकृत किया गया जो निर्यात आदेश देने की तारीख को प्रचलित दर के प्रति लदान बिलों की तारीख को प्रचलित हो। इसके परिणामस्वरूप 47.45 लाख रूपए का शु ह पा बु क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया। विभाग ने बेंगलूर और हैदराबाद कमिश्नरियों के चार मामलों में 1.13 लाख रूपए की वसूली सूचित की है।

(च) शु ह पा बु क्रेडिट का अधिक/अनियमित प्रदान किया जाना

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि उन्नीस मामलों में तीन लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (अहमदाबाद, बेंगलूर और वडोदरा) द्वारा प्रदान किए गए क्रेडिट नीति के प्रावधानों के उल्लंघन में थे जिसके परिणामस्वरूप 5.91 करोड़ रूपए का क्रेडिट अनियमित प्रदान किया गया। अठारह अन्य मामलों में आठ लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा शु ह पा बु क्रेडिट गलत ढंग से निकाले गए और इसके कारण 28.72 लाख रूपए का शु ह पा बु क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया। विभाग ने हैदराबाद, लुधियाना और विशाखापत्तनम के आठ मामलों में 3.54 लाख रूपए की वसूली सूचित की है।

कुछेक मामलों पर नीचे चर्चा की गयी है :

(i) क्रियाविधियों की पुस्तिका 1997-2002 खंड-I के पैरा 7.42 के अनुसार जहां कहीं सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनन्तिम लदान अनुमत किया गया है वहां ऐसे निर्यातों के प्रति शु ह पा बु लदान बिलों के जारी करने के मात्र बाद ही प्रदान की जाएगी।

सीमाशुल्क गृह, कांडला के माध्यम से दो निर्यातकों द्वारा सी डी रोमस (जनवरी 1999) के निर्यात से सम्बन्धित लदान बिलों का सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष सीमाशुल्क जांच और अन्वेषण ब्यूरो से प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने तक अनन्तिम रूप से निर्धारण किया गया। लाइसेंसिंग प्राधिकारी (अहमदाबाद) ने इन निर्यातों के प्रति 4.45 करोड़ रूपए के कुल क्रेडिट के साथ नौ शु ह पा बु लाइसेंस प्रदान किए (जून -जुलाई 99) हालांकि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अभी भी लदान बिल जारी नहीं किए गए थे।

(ii) क्रियाविधियों की पुस्तिका खंड I के पैरा 15.16 के साथ पठित पूर्वोक्त को पैरा 7.39 के अनुसार पश्च निर्यात आधार पर शु ह पा बु क्रेडिट के लिए प्रार्थनापत्र अनन्तिम निर्धारणों के सम्बन्ध में प्रार्थनापत्र को छोड़कर लदान की तारीख से 360 दिनाकी अधिकतम अवधि के अन्दर दाखिल किया जाएगा।

एक फर्म ने लदान बिलों, जो शु ह पा बु के लिए नहीं थे, पर अप्रैल 97 से नवम्बर 1997 के दौरान माल का निर्यात किया और निर्यात की तारीख से 19 से 23 महीने बीतने के बाद मार्च से मई 99 के दौरान शु ह पा बु क्रेडिट प्रदान करने के लिए आवेदनपत्र दाखिल किए। दावे को सम्बन्धित लाइसेंसिंग प्राधिकारी (बेंगलूर) द्वारा प्रारम्भ में कालबाधित के रूप में अस्वीकार कर दिया गया। महानिदेशक, विदेश व्यापार, नई दिल्ली के कार्यालय से निदेशों, कि 12 महीनों की अनन्तिम निर्धारण की तारीख से संगणना की जा सकती है, पर 10 प्रतिशत पर विलम्ब से कटौती लगाने के बाद दावा अनुमत किया गया। 80.52 लाख रूपए के शु ह पा बु क्रेडिट का प्रदान किया जाना सही नहीं था चूंकि निर्धारणों को एक लदान बिल, जो शु ह पा बु के लिए नहीं था, पर प्रथमतः अंतिम रूप दिया गया चूंकि इस मामले में अन्तर्ग्रस्त कोई अनन्तिम निर्धारण नहीं था जैसा कि विभाग द्वारा तर्क दिया गया।

(घ) विलम्ब से कटौती

क्रियाविधियों की पुस्तिका, खंड I के पैरा 7.39 और जारी किए गए सम्बन्धित अनुदेशों में सभी दस्तावेजों के साथ शु ह पा बु क्रेडिट प्राप्त करने के लिए आवेदनपत्र दाखिल करने के लिए समय सीमाएं निर्धारित की गयीं।

उपरोक्त निर्धारित अवधि के बाद शु ह पा बु क्रेडिट के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के मामलों में लाइसेंसिंग प्राधिकारी क्रियाविधि की पुस्तिका, खंड- I के पैरा 15.16 के अनुसार हकदारी पर 10 प्रतिशत पर विलम्ब से कटौती लगा सकता था।

आवेदनों के विलम्बित प्रस्तुतिकरण के लिए विलम्ब कटौती नहीं की गई। गलत ढंग से लौटाया गया जिसके कारण ग्यारह अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा जारी तिरासी अनुज्ञप्तियों के संबंध में 1.13 करोड़ रू. का शु.ह.पा.बु. क्रेडिट की अधिक अनुमति दी गई। विभाग ने क्षे.अ.प्रा. हैदराबाद, लुधियाना और चेन्नई के 16 मामलों में 7.47 लाख रू. की सूचना दी है।

(ज) निर्यात पूर्व शु.ह.पा.बु. के संबंध में अनियमिततायें

(1) निर्यात बाध्यता का पूरा न करना

दिनांक 7 अप्रैल 1997 की अधिसूचना सं. 34/97-कस के साथ पढ़े गये एक्जिम नीति के पैरा 7.37 तथा कार्यविधि की हैंड बुक खण्ड रु के पैरा 7.45/7.46 के अनुसार निर्यात पूर्व आधार पर शु.ह.पा.बु. के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख के बाद में किये गये निर्यात की गणना करके शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से बारह महीनों की अवधि के अन्दर क्रेडिट का प्रतिसंतुलन किया जायेगा। निर्यात के साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफलता की दशा में, सीमा शुल्क गृह को 24 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज सहित क्रेडिट की वसूली लागू करनी चाहिये। वित्त मंत्रालय के दिनांक 17 अप्रैल 1997, 17 दिसम्बर 1998 तथा 15 मार्च 1999 के परिपत्रों के अनुसार, शु.ह.पा.बु. योजना के अन्तर्गत टेलीग्राफिक रिलीज एडवाइस के माध्यम से आयातों के अतिरिक्त जैसा कि शु.ह.पा.बु. में उद्धृत है, आयात एवं निर्यात केवल पंजीयन पत्तन से होगा।

सात अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों (चेन्नई, दिल्ली, अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर, लुधियाना और कानपुर) द्वारा जारी 21 अनुज्ञप्तियों के संबंध में निर्यात बाध्यतायें या तो पूरी नहीं की गई या

गलत रूप से गणना की गई जिसके परिणामस्वरूप क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया जो ब्याज सहित वसूली योग्य है। इस प्रकार जून 2000 तक 2.90 लाख रू. के ब्याज सहित कुल वसूली योग्य राशि की गणना 8.62 करोड़ रू. की गई।

निर्यात बाध्यताओं की गलत गणना या तो पंजीयन पतन के इतर पतन के माध्यम से या अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख के एक वर्ष बाद या अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से पूर्व किये गये निर्यातों की गिनती के कारण थी।

कुछ मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

(i) 2.35 करोड़ रू. के अनंतिम क्रेडिट के साथ 1997-98 के दौरान जारी की गई तीन पूर्व शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियों (चेन्नई-2 तथा अहमदाबाद-1) के संबंध में अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से पहले किये गये निर्यातों को निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिये हिसाब में लिया गया था। अन्यथा निर्यातक निर्यात बाध्यता पूरी करने में विफल हो गये थे और 2.86 करोड़ रू. की राशि के शु.ह.पा.बु. क्रेडिट एवं ब्याज (जून 2000 तक) अदा करने के लिए दायी थे।

आपत्ति किये जाने पर (नवम्बर 1999 से मई 2000) चेन्नई के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने आपत्ति को स्वीकार किया (मई 2000)। वसूली के ब्यारे प्रतीक्षित हैं। अन्य अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों से उत्तर प्रतीक्षित हैं (अगस्त 2000)।

(ii) एक अनुज्ञप्ति धारी (स.म.नि.वि. व्या. नई दिल्ली) को 2.75 करोड़ रू. के कुल क्रेडिट के लिये वर्ष 1998-99 के दौरान दो पूर्व-निर्यात शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियाँ जारी की गई थीं। यद्यपि निर्यात बाध्यता को पूरा करने के लिये एक वर्ष की अवधि दिसम्बर 1999 तथा मार्च 2000 में समाप्त हो गई थी, निर्यातों को साबित करने वाले दस्तावेज मई 2000 तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। जिससे 3.90 करोड़ रू. की राशि के ब्याज सहित क्रेडिट (जून 2000) की वसूली आवश्यक हो गई।

इसे बताए जाने पर (मई 2000) स.म.नि.वि.व्या. नई दिल्ली ने निर्यात बाध्यता को पूरा किये जाने को दिखाने वाले दस्तावेज प्रस्तुत करने को फर्म से कहा (जून 2000)। फर्म ने जून 2000 में कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किये जो त्रुटिपूर्ण पाये गये थे। 15 दिनों के अन्दर पुनः प्रस्तुत करने के अनुदेशों के साथ ये वापस कर दिये गये थे (अगस्त 2000) जिसकी विफलता पर प्रासंगिक नियमों के अन्तर्गत आगे की कार्रवाई की अनुज्ञप्तिधारी को चेतावनी दी गई थी। अनुज्ञप्तिधारी ने प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये और नवम्बर 2000 तक 1.15 करोड़ रू. के ब्याज सहित 2.75 करोड़ रू. वसूलने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी।

(II) आयातित प्रयोज्य सामग्री और निर्यातित उत्पाद के बीच सम्बन्ध का अभाव

एक्जिम नीति के पैरा 7.33 के अनुसार पूर्व-निर्यात आधार पर शु.ह.पा.बु. का लक्ष्य प्रयोज्य सामग्री जो निर्यातों के उत्पादन के लिये आवश्यक है, के आयात के लिए पात्र निर्यातकों को

सुविधा मुहैया कराना है। पैरा 7.40 विशेष रूप से उल्लेख करता है कि शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति के प्रति आयातित मर्दे वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अध्यक्षीन होगी।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पाँच अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों (चेन्नई 3, मदुरई 1, कलकत्ता 5, दिल्ली 1 तथा लुधियाना 7) द्वारा 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान जारी 17 पूर्व-शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियों के संबंध में आयातित प्रयोज्य सामग्री या तो निर्यातित उत्पाद के लिए आवश्यक/प्रासंगिक नहीं थे या एस आई ओ एन के सन्दर्भ में अधिक आयात किये गये थे। नीति में एस आई ओ एन के अनुपालन से सम्बन्धित प्रावधानों की अनुपस्थिति में, शु.ह.पा.बु. योजना में अपेक्षित वास्तविक प्रयोक्ता शर्त को निरर्थक कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप निर्यात के लिये आवश्यक मात्राओं से अधिक शुल्क मुक्त आयातों के कारण 5.34 करोड़ रूपए के शुल्क की हानि हुई।

ऐसे दो मामलों की नीचे चर्चा की गई है:

- (i) एक पूर्व निर्यात शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति मुख्य रूप से लोहे तथा सैनेटरी कासटिंस के निर्यात के लिये 2.52 करोड़ रू. के क्रेडिट सहित एक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (कलकत्ता) द्वारा जारी की गई थी (सितम्बर 1999)। शु.ह.पा.बु. धारक द्वारा आयातित धातुकर्मीय कोयला एस आई ओ एन के अनुसार निर्यात मद के उत्पादन के लिये एक आवश्यक प्रयोज्य सामग्री नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप 2.52 करोड़ रू. तक के शु.ह.पा.बु. क्रेडिट का अनियमित उपयोग हुआ।
- (ii) दूसरी फर्म को पोलियस्टर फिल्म के निर्यात के लिये 1.85 करोड़ रू. के क्रेडिट के लिये सितम्बर 1997 (दिल्ली) में एक पूर्व निर्यात शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति जारी की गई थी। तथापि अनुज्ञप्ति के प्रति 1.33 करोड़ रू. की राशि के शुल्क से अंतर्ग्रस्त आयातित सामान जैसे फाइबर ग्लास, शोधित टैरिफैलिक अम्ल तथा टिटैनियम डाइआक्साइड का निर्यात उत्पाद से कोई सम्बन्ध नहीं था और एस.आई.ओ.एन. के अनुसार निर्यातित उत्पाद के लिये अनुमेय आयातों के रूप में निर्धारित नहीं थे जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त सीमा तक के शुल्क की हानि हुई।

(झ) सामान का अधिक मूल्यांकन

उत्पादों, जहाँ शु.ह.पा.बु. योजना के अन्तर्गत क्रेडिट पात्रता की दर 15 प्रतिशत या अधिक थी, के बारे में कार्यविधि की हैंडबुक खण्ड I 1997-2002 के पैरा 7.36 ए के अनुसार ऐसे प्रत्येक निर्यात उत्पाद के प्रति क्रेडिट की राशि वर्तमान बाजार मूल्य (व.बा.मू.) के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रभाव की एक घोषणा लदान बिलों पर निर्यातक द्वारा दर्ज करना आवश्यक था। 1 अप्रैल 1999 से ऐसी घोषणा उन मामलों में आवश्यक होगी जहाँ शु.ह.पा.बु. के अन्तर्गत क्रेडिट की दर 10 प्रतिशत से अधिक होगी। यह प्रावधान शु.ह.पा.बु. के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाले सामान के अधिक मूल्यांकन के रोकने के लिए बनाया गया था।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में क्षेत्रीय अनुज्ञप्ति प्राधिकारी चेन्नई, मुम्बई तथा दिल्ली में 2.21 करोड़ रु. के अधिक क्रेडिट से अंतर्ग्रस्त अधिक मूल्यांकन के 14 मामले प्रकट हुये। कुछ निदर्शी मामले नीचे दिये गए हैं:

(i) सी डी-आर ओ एम एस के निर्यात के लिये अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (चेन्नई) द्वारा 1998-99 के दौरान एक फर्म को चार शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियां जारी की गईं। सीमा शुल्क प्राधिकारियों को अनुज्ञप्तिधारकों द्वारा प्रारम्भिक रूप से प्रस्तुत 82.72 लाख रु. के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के लिये लदान बिलों को स्वीकार कर लिया गया था। पंजीयन के लिये फर्म द्वारा प्रस्तुत किये जा रहे 14.30 लाख रु. के क्रेडिट सहित शु.ह.पा.बु. पावती पर सीमा शुल्क विभाग ने 71.72 लाख रु. तक अधिक मूल्यांकन का संदेह किया और पंजीयन प्रदान करने में विलम्ब किया। फर्म द्वारा दायर रिट याचिका के आधार पर उच्च न्यायालय चेन्नई ने इस आधार पर पंजीयन अनुमत किया कि सीमाशुल्क विभाग द्वारा निर्यात के तीस दिनों के अन्दर कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था {ई एल टी 1999 (105 ई एल टी 258) मद्रास उच्च न्यायालय}*

निर्धारित अवधि के अन्दर आवश्यक जाँच करने में विभाग की विफलता से अधिक मूल्यांकन का पता लगाने में विभाग वंचित रह गया जिसके परिणामस्वरूप 12.39 लाख रूपए की राशि के अधिक क्रेडिट की अनुमति दी गई।

(ii) 1.24 करोड़ रु. के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के लिये “स्टील गोलों” के 7292.60 किग्रा. के निर्यात के प्रति 24.78 लाख रु. के क्रेडिट के लिये एक अनुज्ञप्ति धारक (दिल्ली) को एक शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति जारी की गई। इस उत्पाद का प्रति किलोग्राम औसत जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य 1699 रु. परिकलित किया गया।

उत्पाद “स्टील गोलों” निर्यात के लिये कार्यविधि की पुस्तक खण्ड II (इन्जीनियरिंग ग्रुप का एस.आई.ओ.एन 560) में 60 प्रतिशत मूल्य वर्धन सहित केवल एक प्रयोज्य सामग्री जैसे कि अमिश्रधातु स्टील तार छड़/मुलायम स्टील तार छड़ ही निर्धारित है। लेखा परीक्षा पृष्ठताछ से प्रकट हुआ कि उक्त अवधि के दौरान प्रयोज्य सामग्री की लागत लगभग 20 रु. प्रति किलोग्राम थी। लेखा परीक्षा में यह भी पाया गया कि पाँच अन्य निर्यातकों ने 178 रु. प्रति किग्रा. से 300 रु. प्रति किग्रा. तक की दरों पर स्टील गोलों का निर्यात किया था। इसकी तुलना में, फर्म द्वारा घोषित 1699 रु. प्रति किग्रा. का जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य बहुत उच्च प्रतीत होता था। अन्य निर्यातकों द्वारा घोषित 300 रु. प्रति किग्रा. के उच्चतम मूल्य के आधार पर फर्म द्वारा निर्यातित 7292.60 किग्रा. स्टील गोले का मूल्य 21.88 लाख रु. निकलता था जिस पर 4.38 लाख रु. का क्रेडिट मान्य था। तथापि फर्म ने 24.78 लाख रु. के क्रेडिट का दावा किया और अनुमत किया गया जिसके परिणामस्वरूप 20.40 लाख रु. के अतिरिक्त क्रेडिट की अनुमति हुई।

(iii) 1998-99 के दौरान दिल्ली की दो फर्मों ने 5.87 करोड़ रु. के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के लिये सिन्थैटिक इनेमल पेन्ट के 49260 लीटर का निर्यात किया और 22 प्रतिशत की निर्धारित दर पर 1.29 करोड़. रूपए के क्रेडिट के लिये पांच शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियां प्राप्त कीं। लदान बिलों में दिखाये गये जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के आधार पर प्रतिलीटर मूल्य 1046 रु. और 1269 रु. के बीच था जो विभाग द्वारा स्वीकार किया गया था। लेखा परीक्षा संवीक्षा से

प्रकट हुआ कि बाजार में उपलब्ध सर्वोत्तम सिन्थैटिक इनैमल पेन्ट की कीमत 150 रु. से 400 रु. प्रति लीटर के बीच थी। इस प्रकार, निर्यातकों द्वारा दिखाए गए उत्पाद के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य समग्र रूप से अधिक लिखे प्रतीत होते थे। 400 रु. प्रति लीटर के उच्चतम मूल्य को लेते हुये जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य 1.97 करोड़ रु. निकलता था जिसपर विभाग द्वारा प्रदान किये गये 1.29 करोड़ के प्रति 43.34 लाख रु. का क्रेडिट ही मान्य था, इसके परिणामस्वरूप 85.66 लाख रु. का अतिरिक्त क्रेडिट दिया गया।

(ज) सामान का गलत वर्गीकरण और शु.ह.पा.बु. क्रेडिटों का गलत प्रदान करना

शु.ह.पा.बु. क्रेडिट अधिसूचित दरों पर विशेष रूप से उल्लिखित सामान के निर्यात पर उपयुक्त हैं। परिशिष्ट 28 ए में दिये गये शु.ह.पा.बु. दर सूची के अन्तर्गत किसी विशेष मद के लिये जहाँ कहीं कोई विशेष दर विद्यमान है, ऐसी मदें 5 जून 1998 के नीति परिपत्र के साथ पठित कार्यविधि की पुस्तक, खण्ड I के परिशिष्ट 7.11 के अन्तर्गत अनुदेशों के अनुसार शु.ह.पा.बु. दर सूची के किसी सामान्य विवरण के अन्तर्गत नहीं आएंगी।

अठारह उत्पादों से अंतर्ग्रस्त उनहत्तर अनुज्ञप्तियों के संबंध में सात अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों (बडोदरा 1, दिल्ली 3, चेन्नई 26, कोयम्बटूर 8, कलकत्ता 26, जयपुर 2 तथा मुम्बई 3) द्वारा निर्यातित सामान का गलत वर्गीकरण किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 2.78 करोड़ रु. का शु.ह.पा.बु. क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया। विभाग ने क्षे.अ.प्रा.चेन्नई के दो मामलों के संबंध में 0.72 लाख रु. की वसूली सूचित की है।

निदर्शी मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(i)(क) जबकि शु.ह.पा.बु. दर सूची की क्रम संख्या 363/इंजीनियरिंग जस्तेदार चादरों को कवर करते थे, क्रम सं.91/इंजीनियरिंग ने जस्तेदार रंग लेपित चादरों को कवर किया। एक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वर्ष 1999-2000 के दौरा निर्यातित 4.36 करोड़ रु. मूल्य की जिक लेपित चादरों को क्रम सं. 91/इंजीनियरिंग के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकृत किया गया और एक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (बडोदरा) द्वारा क्रम सं. 363/इंजीनियरिंग के अन्तर्गत 20,000/- रु. प्रति एम टन की मूल्य सीमा सहित 18 प्रतिशत की सही दर के प्रति 29000/- रु. प्रति एम टन की मूल्य सीमा सहित 20 प्रतिशत की दर से क्रेडिट अनुमत किया जिसके परिणामस्वरूप 17.80 लाख रु. का शु.ह.पा.बु. क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया।

(ख) स्प्रिन टाइप इन्स्यूलेटर- 9 प्रतिशत के शु.ह.पा.बु. क्रेडिट वाले क्रम सं 779/उत्पाद कोड सं. 62 (कैमिकल) के अन्तर्गत वर्गीकरणीय थे। तथापि एक फर्म, जिसने दिसम्बर 1998 तथा जनवरी 1999 के दौरान 3.53 करोड़ रु. मूल्य के स्क्रैप और पिन टाइप इन्स्यूलेटर- का निर्यात किया था, को उत्पाद कोड सं 62 की क्रम.सं. 747 कैमिकल जिसके अन्तर्गत 'एंटीफौग इन्स्यूलेटर' आते थे के अन्तर्गत गलत रूप से वर्गीकरण द्वारा 15 प्रतिशत पर एक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (चेन्नई) द्वारा शु.ह.पा.बु. क्रेडिट प्रदान किया गया था जिसके परिणामस्वरूप 21.19 लाख रु. का क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया।

(ii) शु.ह.पा.बु. दर सूची में विशेष रूप से उल्लिखित न होने वाली मदों के लिए क्रेडिट प्रदान करना

शु.ह.पा.बु. दर सूची के अन्तर्गत कवर ना होने वाले इक्कीस उत्पादों को 8 अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों (बंगलौर 3, हैदराबाद 3, अहमदाबाद 12, दिल्ली 2, चेन्नई 4, कोयम्बटूर 37, मदुरई 1 तथा कलकत्ता) द्वारा 1.52 करोड़ रु. का शु.ह.पा.बु. क्रेडिट गलत रूप से प्रदान किया गया था। विभाग ने हैदराबाद, चेन्नई तथा मदुरई के पाँच मामलों में 11.42 लाख रु. की वसूली बतायी।

कुछ मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(क) जून 1997 से दिसम्बर 1999 तक की अवधि के दौरान एक विनिर्माता द्वारा निर्यातित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के उपशीर्ष 8708.31 के अन्तर्गत लदान बिल में वर्गीकृत मोटर वाहन के हिस्से (ब्रेक ड्रम) को अनुज्ञप्ति अधिकारी द्वारा उत्पाद की कोड नं. 61 (इंजीनियरिंग) की क्रम सं 67 के अन्तर्गत 'आटोमोटिव कासटिंग्स (मशीनड)' के रूप में गलत रूप से वर्गीकृत किया गया था। क्योंकि मोटर वाहन के हिस्से शु.ह.पा.बु. दर सूची के अन्तर्गत कवर नहीं होते थे, 39.16 लाख रु. के क्रेडिट का प्रदान किया जाना उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त निर्यातित उत्पाद के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रयोजन के लिये तथा शु.ह.पा.बु. के दावे के लिये भिन्न विवरण नहीं थे।

(ख) शु.ह.पा.बु. दर सूची का क्रम सं. 40(ए) ग्रुप कोड 62 थोक दवाओं के प्रतिपादन तथा इन्जैक्शन को कवर करता था। तथापि 1997-98 से 1999-2000 के दौरान किये गये निर्यातों के लिये इन्जैक्शन के लिये विसंक्रमित पानी, जिसके लिये कोई शु.ह.पा.बु. दर विद्यमान नहीं थी, को एक अनुज्ञप्ति प्राधिकारी (अहमदाबाद) द्वारा क्रम सं. 40(ए) के अन्तर्गत क्रेडिट प्रदान किया गया था। अनियमित रूप से प्रदान किया गया क्रेडिट 53 लाख रु. था।

(iii) दर के लागू होने से पूर्व निर्यातित उत्पादों के लिये क्रेडिट प्रदान करना

सामान, जिसके लिये कोई क्रेडिट दरें घोषित नहीं की गई थीं, के निर्यात के लिये दो अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों (कोयम्बटूर तथा मदुरई) द्वारा उनतीस शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियां जारी की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 92.52 लाख रु. के शु.ह.पा.बु. क्रेडिट की गलत अनुमति हुई। विभाग ने क्षे.अ.प्रा. मदुरई के एक मामले में 0.83 लाख रु. की वसूली सूचित की है।

ऐसे दो मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(क) अमिश्रधातु इस्पात/कार्बन इस्पात/स्टेनलैस इस्पात मशीन्ड कासटिंग्स इंजीनियरिंग की क्रम सं. 474/501 और गोलाकार ग्रे (एस जी) मशीन्ड लोहा कासटिंग्स (इंजीनियरिंग की क्रम सं. 475) के लिये शु.ह.पा.बु. क्रेडिट क्रमशः 15 अप्रैल 1998 और 8 मई 1999 से लागू की गई थी। तथापि क्रमशः मई 1997 से अप्रैल 1998/अप्रैल 1998 से अप्रैल 1999 की अवधि के दौरान किये गये अमिश्रधातु इस्पात/कार्बन इस्पात/स्टेनलैस इस्पात/गोलाकार ग्रे लोहा मशीन्ड कासटिंग्स

के निर्यात के लिये कोयम्बटूर के अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा क्रेडिट दिया गया जो ऐसे उत्पादों के लिये क्रेडिट दरों के लागू होने की तारीखों से पहले का था। शु.ह.पा.बु. क्रेडिट के गलत अनुमति की गणना 91.69 लाख रु. की बनती थी।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 1999 से मई 2000) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी ने एक मामले को छोड़कर सभी मामलों के बारे में आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2000)।

(ट) मूल्य सीमा का लागू न करना

कार्यविधि की पुस्तक खण्ड I के पैरा 7.38 के अनुसार शु.ह.पा.बु. क्रेडिट की दर निर्यातित सामान के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर लागू होगी। तथापि जहाँ कहीं मूल्य सीमा विद्यमान है, जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य ऐसे मूल्य तक सीमित होगा।

तेईस शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियाँ मूल्य सीमा रखने वाले उत्पादों के निर्यात के लिये छः अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा निर्यात के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य पर आधारित जारी की गई थी। ऐसे उत्पादों के लिये नियत मूल्य सीमा पर शु.ह.पा.बु. क्रेडिट सीमित करने में चूक के परिणामस्वरूप 40.70 लाख रु. का क्रेडिट अधिक प्रदान किया गया। विभाग ने कोचीन के तीन मामलों तथा मदुरई के दो मामलों के बारे में 6.37 लाख रु. की आंशिक वसूली बताई है।

2.7 निर्यात आय की गैर-उगाही

परिशिष्ट 11-सी के साथ पठित कार्यविधि की पुस्तक खण्ड I 1997-2000 के पैरा 7.38 के अनुसार यदि निर्यात आय की निर्यात की तारीख से छः महीनों या ऐसी बढ़ाई गई अवधि जो भा.रि.बै. द्वारा अनुमत हो के अन्दर उगाही नहीं होती है, अनुमत शु.ह.पा.बु. क्रेडिट की निर्यातक से नकद रूप में वसूली होगी। अनुपातिक उगाही के मामले में, उगाही ना हुई निर्यात आय के आरोप्य अनुपातिक क्रेडिट की नकद वसूली होगी। शु.ह.पा.बु. जारी होने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर अप्रैल 1999 से आगे ब्याज भी उद्ग्राह्य था। जहाँ उगाही नहीं हुई है, वहाँ 15 जून 1998 से शु.ह.पा.बु. अहस्तान्तरणीय पृष्ठांकन सहित जारी की जानी चाहिये। तथापि उगाही की प्राप्ति पर शु.ह.पा.बु. हस्तान्तरण योग्य बनानी थी।

14 क्ष.अ.प्रा. के अभिलेखों की नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 1858 अनुज्ञप्तियों/अनुज्ञप्तिधारकों में निर्यात आय के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य की निर्यातों के छः महीनों के अन्दर उगाही नहीं हुई थी। इस प्रकार उनके प्रति 80.88 करोड़ रु. के ब्याज (31 मार्च 2000 तक) सहित अनुमत किया गया 222.52 करोड़ रु. का क्रेडिट अनुज्ञप्तिधारकों से अनुज्ञप्ति प्राधिकारियों द्वारा वसूल करना पड़ा था।

क्ष.अ.प्रा. अहमदाबाद द्वारा जारी एक निर्यात पूर्व शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति के प्रति भी 15.60 करोड़ रु. की निर्यात आय वसूल नहीं हुई थी। इसके प्रति अनुमत किये गये शु.ह.पा.बु. क्रेडिट की ब्याज सहित राशि 2.24 करोड़ रु. बनती थी। यह भी अनुज्ञप्तिधारकों से वसूल नहीं की गई थी।

2.8 अन्य अनियमिततायें

i) शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्ति की वैधता अवधि के बाद अनुमत आयात

एक्जिम नीति 1997-2002 के पैरा 7.27 के अनुसार शु.ह.पा.बु., अनुज्ञप्ति जारी होने की तारीख से 12 महीनों की अवधि के अन्दर सामान आयात करने के लिए निर्यातकों को समर्थ बनाने हेतु किये गये निर्यातों के आधार पर जारी किया जाता है।

अनुज्ञप्ति जारी करने की तारीख से एक वर्ष की वैधता अवधि के बाद शु.ह.पा.बु. के अन्तर्गत अनुमत आयात के 10 मामलों के परिणामस्वरूप शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियों के प्रति 38.90 लाख रु. तक के सीमा शुल्क का अनियमित मुजरा हुआ।

ii) अस्वीकृत/पुनः आयातित सामान पर शु.ह.पा.बु. क्रेडिट की वसूली न करना

कार्यविधि की पुस्तक खण्ड-२ के पैरा 7.38 के अनुसार ऐसे मामलों में जहाँ उगाही गई निर्यात आय की राशि, उस राशि जिसपर क्रेडिट की प्राप्ति हुई है, से कम है, अनुज्ञप्तिधारक शु.ह.पा.बु. के जारी होने की तारीख से जमा करने की तारीख तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित न उगाहे गये मूल्य पर शु.ह.पा.बु. पात्रता के बराबर एक राशि का नकद भुगतान करेगा।

(क) एक निर्यातक ने 3.50 करोड़ रु. के जहाज पर्यन्त निशुल्क मूल्य के लिये सामान का निर्यात किया जो विदेशी क्रेता द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ऐसे निर्यातों पर 57.90 लाख रूपए का कुल क्रेडिट दिया। स.म.नि.वि. ब्या. बंगलोर ने भविष्य में जारी होनेवाली शु.ह.पा.बु. अनुज्ञप्तियों के प्रति 18.80 लाख रु. तक के क्रेडिट का आंशिक समायोजन किया। चूकि योजना में ऐसे समायोजनों का प्रावधान नहीं है, इसलिए 26.30 लाख रु. के ब्याज सहित 57.90 लाख रु. का सम्पूर्ण क्रेडिट वसूली योग्य था।

(ख) इसी प्रकार ब्याज सहित 5.86 लाख रु. का क्रेडिट दो निर्यातकों से स.म.नि.वि. ब्या. अहमदाबाद/नई दिल्ली द्वारा वसूल नहीं किया गया था जहाँ परेषण विदेशी क्रेता द्वारा अस्वीकृत कर दिये गये थे।

2.9 निष्कर्ष

यद्यपि सरकार भी वाबाल योजना की त्रुटियों तथा इसके व्यापक दुरुपयोग से अवगत थी तथापि उनके (शु.ह.पा.बु.) निरूपित प्रतिस्थापी योजना ने सैकड़ों कमियों को नहीं रोका जिसके कारण राजस्व की हानि हुई जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में बताया गया है। वास्तव में, जब शु ह पा बु योजना के अन्तर्गत निर्यात बाध्यता पूरा करने के लिये अपेक्षित मात्रा से अधिक प्रयोज्य सामग्री के आयात को वाबाल अनुमत करती थी, नियामक आधार पर शुल्क क्रेडिटों को किसी भी मदों (ऋणात्मक सूची के इतर) के आयात को प्रयोग किया जा सकता था यद्यपि निर्यात की मदों में

2001 की रिपोर्ट संख्या 10 (अप्रत्यक्षकर - सीमाशुल्क)

प्रयुक्त करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त योजना के प्रचालन के पहले 27 महीनों में ऋणात्मक मूल्य वृद्धि रोकने में विफलता तथा मूल्य सीमा के विलम्बित प्रवेश के परिणामस्वरूप अनुपातिक निर्यात लाभों के बिना राजस्व का बहुत निःसरण हुआ।

समीक्षा प्रतिवेदन दिसम्बर 2000 में वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय को भेजा गया था। उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

अध्याय 3 : कर विवाद समाधान योजना

3.1 मुख्य बातें

- कर विवाद समाधान योजना (क.वि.स.यो.) कर प्रशासन की बाधाओं को हटाने तथा वित्तीय सार्थकता के राजस्व बढ़ाने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति में विफल थी। 22 सीमा शुल्क कमिश्नरियों में 31 अगस्त 1998 को लम्बित 3205.33 करोड़ रु. के राजस्व से अन्तर्ग्रस्त 21134 मामलों में से केवल 1178 मामलों का मात्र 124.89 करोड़ रु. की उगाही के बाद निपटान हुआ था जो कि बकाया कर का मात्र 3.9 प्रतिशत था।

(पैराग्राफ 3.4)

- लेखापरीक्षा में नमूना जाँच की गई 945 घोषणाओं में से 108 निपटान किये गये मामले निर्यात प्रोत्साहन योजना, सीमाशुल्क के अधिक भुगतान से सम्बन्धित प्रावधानों के उल्लंघन से अन्तर्ग्रस्त थे। इनमें अधिक कर देयताओं के कोई झगड़े/विवाद अन्तर्ग्रस्त नहीं थे और क.वि.स.यो. ने चुककर्ताओं के लिये एक बच निकलने का रास्ता मुहैया कराया जिसके परिणामस्वरूप 29.36 करोड़ रु. का राजस्व छोड़ना पड़ा।

(पैराग्राफ 3.5)

- दूसरे 59 मामले, क.वि.स.यो. के प्रावधानों/अक्टूबर 1998 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरणों के उल्लंघन में निपटारे गये जो कि 1.90 करोड़ रु. के ब्याज सहित 8.28 करोड़ रु. के राजस्व की हानि के कारण बने।

(पैराग्राफ 3.6)

- 10.39 करोड़ रु. के राजस्व की हानि से अन्तर्ग्रस्त 18 मामले न्यायित निर्णयों/सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन में निपटारे गये।

(पैराग्राफ 3.7)

- मांग मामलों के छः महीनों के अन्दर निपटान की लो.ले.स.की उसकी 84वीं रिपोर्ट में सिफारिशों के बावजूद अधिनिर्णय कार्रवाई के पूर्ण होने में विलम्ब ने 32 मामलों में क.वि.स.यो. के लाभ को उठाने में निर्धारितियों को समर्थ बनाया जिसके परिणामस्वरूप 11.79 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.8)

3.2 प्रस्तावना

कर विवाद समाधान योजना 1998 (क.वि.स.यो.), सरकार द्वारा 1998 के वित्त अधिनियम (सं.2) के हिस्से के रूप में लागू की गई थी। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने योजना से निम्नलिखित लाभों की घोषणा की (क) प्रणाली की बाधाओं को दूर करने से ईमानदार कर दाता प्रोत्साहित होंगे तथा (ख) सरकार अपने यथोचित प्राप्ति की काफी पहले उगाही में समर्थ होगी। योजना ने बकाया शुल्क के 50 प्रतिशत की कमी के साथ-साथ ब्याज, शास्ति को माफ करने तथा अभियोजना से छुटकारे पर विचार किया।

योजना के लाभ, बकाया करों के बारे में उपलब्ध थे जहाँ (क) एक कारण बताओ नोटिस/मांग नोटिस (का.ब.नो.) 31 मार्च 1998 को या पहले जारी किया गया था, या (ख) योजना के अन्तर्गत घोषणा दायर करने की तारीख को किसी अपीलिय प्राधिकारी/न्यायालय ने एक अपील या रिट याचिका स्वीकार कर ली थी और लम्बित थी। तथापि, योजना का लाभ उन मामलों में उपलब्ध नहीं था जहाँ किसी अप्रत्यक्ष कर अधिनियम के किसी प्रावधान के अन्तर्गत किसी दण्डनीय अपराध के लिये अभियोजन, घोषणा दायर करने की तारीख को या उससे पहले प्रारम्भ हो गया था।

योजना 1 सितम्बर 1998 से 31 दिसम्बर 1998 तक खुली थी जो कि एक महीने के लिए आगे 31 जनवरी 1999 तक बढ़ा दी गई थी।

3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

योजना का मूल्यांकन (क) सीमा जिस तक योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई का अध्ययन (ख) इसके प्रचालन के दौरान योजना के प्रावधानों से विचलन की पहचान (ग) उन मामलों जो योजना के अन्तर्गत निपटारे गये थे, के रूख का विश्लेषण तथा (घ) क्या योजना राजस्व को लाभदायक थी, का निर्धारण करने को किया गया था।

3.4 वृहत् विश्लेषण

मंत्रालय द्वारा दी गई सूचनाओं के अनुसार कुल 1179 मामले 130.48 करोड़ रु. की उगाही के साथ क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटारे गये थे। 29 में से 22 कमिश्नरियों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा से निम्नलिखित का प्रकटन हुआ:

(राशि करोड़ में)

31.8.98 को (22 कमिश्नरियों) राजस्व के बकाया के मामले	21134	3205.33
क.वि.स.यो के अन्तर्गत घोषणायें	2128	410.72
वास्तविक रूप से निपटान किये गये मामले	1178	124.89
बकायों के प्रतिशत के रूप में घोषणायें	10.07%	12.81%
बकायों के प्रतिशत के रूप में निपटान	5.57%	3.90%

यह स्पष्ट है कि कर बकायों के 4 प्रतिशत से कम से अन्तर्ग्रस्त मामलों के केवल 5.57 प्रतिशत योजना के अन्तर्गत निपटाये गये। इस प्रकार योजना के परिणामस्वरूप 42,110 करोड़ रु. के वार्षिक सीमाशुल्क राजस्व के केवल नाम-मात्र 0.30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकी थी। इसलिये न तो कर प्रशासन की प्रणाली की बाधाये दूर हुई थीं और न ही किसी सार्थक राशि द्वारा राजस्व में वृद्धि हुई थी।

योजना के समग्र उद्देश्य केवल आंशिक रूप से प्राप्त हुये थे, इसलिए उन मामलों का विश्लेषण तर्कसंगत है जो योजना के अन्तर्गत निपटान के लिये आये थे। इस उद्देश्य के लिये 22 कमिश्नरियों में कुल प्राप्त 2128 में से 945 घोषणाओं का विस्तार में विश्लेषण किया गया था। विश्लेषण से प्रकट हुआ कि क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटाये गये मामलों का एक सार्थक अनुपात इस प्रकार का था जिनमें कोई झगड़ा या विवाद नहीं था और पूर्ण उगाही की सम्भावना में पूरी तरह से राजस्व के पक्ष थी। निष्कर्ष के द्वारा विवादित मामलों के बारे में प्रतिक्रिया निरूत्साही थी।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक विहंगावलोकन आगे तालिका में दिया गया है:

क्रम सं.	विवरण	संख्या	वसूल की गई राशि	छोड़ दिया गया राजस्व
1.	मामलों का निपटान जहां कोई विवाद नहीं था	108	14.33	29.36
2.	योजना के अन्तर्गत कवर न हुये मामलों का निपटान	59	5.13	8.28
3.	राजस्व के पक्षीय मामलों का निपटान	12	7.19	8.40
4.	लम्बे समय से अधिनिर्णय में लम्बित मामलों का निपटान	32	9.48	11.79
	जोड़	211	36.13	57.83

1178 मामलों के बारे में छोड़ दिया गया कुल राजस्व 179.40 करोड़ रु. था जिसमें शुल्क के बकाया के प्रति 124.89 करोड़ रु. तथा शेष 54.51 करोड़ रु. ब्याज, जुर्माना आदि के प्रति सम्मिलित थे। बाद वाले में से, 21.70 करोड़ रु. या 40 प्रतिशत उपरोक्त तालिका में दिखाये गये 211 मामलों द्वारा लेखांकित किये गये हैं जबकि इन मामलों ने उगाही किये गये कर बकायों के 20 प्रतिशत से कम को लेखांकित किया था। दूसरे शब्दों में ब्याज, जुर्माने, शास्ति आदि के उच्च घटक को देकर इन मामलों में सरकार को 1 रुपया उगाही करने को लगभग 1.50 रु. छोड़ने पड़े थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का ब्योरा अनुवर्ती पैराग्राफों में दिया है।

3.5 मामलों का निपटान जहाँ कोई "विवाद" नहीं था

क.वि.स.यो. का आशय एक सामान्य क्षमा योजना होने का नहीं था। जैसा कि वित्त मंत्री ने बताया था, इसे कर प्रणाली की बाधाओं को दूर करने के लिए वादों तथा बकाया कर बकायों को

कम करने के उद्देश्य के साथ लागू किया गया था। तथापि, लेखा परीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि शुल्क रियायत/छूट अधिसूचनाओं के सैकड़ों चूककर्त्ताओं द्वारा योजना के लाभ उठाये गये थे।

(क) मामलों का निपटान जहाँ निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के लाभ उठाये गये थे

शुल्क के भुगतान से छूट निर्धारित निर्यात बाध्यता तथा विदेशी मुद्रा की उगाही के पूरा होने के अध्यक्षीन निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत अनुमत थी। आवश्यक बाध्यता पूरा करने में निर्धारिती की विफलता उसे ब्याज/शास्ति सहित शुल्क लाभों के पुनर्भुगतान के लिये दायी बनाती है। जबकि ऐसे मामलों में शुल्क देयता के बारे में कोई झगड़ा नहीं हो सकता है, नियमों में वसूली करने के लिये का.ब.नो. जारी करने तथा कमी के निपटान के बारे में अनुज्ञप्ति प्राधिकारी के साथ समन्वय करने का प्रावधान है। यह प्रक्रिया समय लेती है। इस प्रकार ये वैधानिक झगड़ों में बकाया नहीं थे। फिर भी का.ब.नो. जारी करने के कारण ये मामले क.वि.स.यो. के लिये समर्थ हो गये थे।

नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के बारे में सात सीमा शुल्क कमिश्नरियों (अर्थात् मुम्बई 44, कलकत्ता 6, चेन्नई 11, कोयम्बदूर 2, विशाखापत्तनम 2, कांडला 2 और दिल्ली 1) में चूक के 68 मामले क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटाये गये। शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी और ब्याज तथा शास्ति की पूर्ण माफी के परिणामस्वरूप इन मामलों में ब्याज सहित 20.58 करोड़ रू. के राजस्व को छोड़ना पड़ा।

उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे उल्लिखित हैं:

(i) कलकत्ता कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने 19 मई 1992 की अधिसूचना सं. 204/92 सी शु के अन्तर्गत 4.59 करोड़ रू. के शुल्क के भुगतान से छूट का लाभ उठाकर 23 नवम्बर 1994 की एक अग्रिम अनुज्ञप्ति के प्रति जनवरी 1995 से अप्रैल 1996 के दौरान 16.02 करोड़ रू. के कच्चे सिल्क का आयात किया। राजस्व सूचना निदेशालय (रा.सू.नि.) द्वारा एकत्रित सूचनाओं के आधार पर कि निर्यात उत्पादों के विनिर्माण में शुल्क मुक्त सामग्री को प्रयुक्त करने के बजाय सामग्री का अत्यधिक लाभ पर घरेलू बाजार में गुप्त रूप से निपटान कर दिया गया, 21 मार्च 1998 को सीमा शुल्क भवन कलकत्ता द्वारा एक का.ब.नो. जारी किया गया था। विभाग द्वारा जारी समन के उत्तर में अनुज्ञप्ति धारक ने पहले स्वीकार किया था कि सम्पूर्ण सामग्री की घरेलू बाजार में बिक्री कर दी गई थी। आयातक ने 25.00 लाख रू. का आंशिक भुगतान यह कहते हुये कर दिया कि शेष (4.34 करोड़ रू.) चरण बद्ध तरीके से जमा कर दिया जायेगा।

किसी अतिरिक्त राशि को जमा किये बिना, फर्म ने क.वि.स.यो. के अन्तर्गत 2.17 करोड़ रू. का भुगतान कर दिया जिससे उसको सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 112 के अन्तर्गत उद्ग्रहण योग्य 80.10 करोड़ रू. की अधिकतम शास्ति (16.02 करोड़ रू. ला.बी.भा. मूल्य के पाँच गुना) तथा 5.62 करोड़ रू. के ब्याज, शुल्क के रूप में शेष 2.17 करोड़ रू. के भुगतान से पूर्णरूप से विमुक्त कर दिया।

(ii) डी ई ई सी योजना के दुरुपयोग तथा तदनुसूची अधिसूचना के उल्लंघन के लिये 2.20 करोड़ रु. मूल्य के जिक के 645.349 मी.टन के आयात के बारे में 1.70 करोड़ रु. की राशि के आरोपित शुल्क अपवंचन के लिये एक अनुज्ञप्ति धारक (कलकत्ता) 1997) को एक का.ब.नो. जारी किया गया था (दिसंबर 1997)।

अनुज्ञप्ति धारक ने का.ब.नो. जारी होने से पूर्व 1.31 करोड़ रु. का एक स्वैच्छिक भुगतान तथा 16 मार्च 1998 तक 15 लाख रु. का दूसरा भुगतान कर दिया था। निर्धारिती के विरुद्ध कुल बकाया राशि की पुष्टि की गई थी और 10 मार्च 1998 को 170.07 लाख रु. तथा 184.95 लाख रु. का ब्याज सूचित किया गया था। क्योंकि निर्धारिती ने शुल्क के प्रति देयताओं का 85 प्रतिशत तक पहले ही निर्वहन कर दिया था, शुल्क के बारे में कोई विवाद नहीं था। शेष बकाया था क्योंकि निर्धारिती को शुल्क तथा ब्याज का किशतों में भुगतान करने का लाभ प्रदान कर दिया गया था। फिर भी अनुज्ञप्तिधारक ने क.वि.स.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा दायर कर दी थी और विभाग ने 12 लाख रु. के शुल्क के प्रति बकाया राशि के 50 प्रतिशत भुगतान को अनुमत करके तथा ब्याज के प्रति बकाया 185 लाख रु. की सम्पूर्ण राशि को पूर्ण रूप से माफ करके, उसे स्वीकार कर लिया। क.वि.स.यो. के अन्तर्गत मामले के निपटान ने सरकार को 1.97 करोड़ रु. अविवादित राजस्व (0.12 करोड़ रु. के शुल्क तथा 1.85 करोड़ रु. ब्याज) से वंचित किया।

(iii) कोयम्बटूर कमिश्नरी की एक इकाई ने 3 मई 1990 की नि.सं.पू.मा. अधिसूचना सं. 169/90 सी शु के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पर रियायती शुल्क के भुगतान पर 61.87 लाख रु. के लिये 'आटोमैटिक कोन बाईन्डिंग मशीन तथा टैस्टर' का आयात किया। सूचनाओं के आधार पर रा.सू.नि. ने अनुज्ञप्तिधारक के अभिलेखों का सत्यापन किया और पाया कि आयातक ने अनुज्ञप्ति के लिये आवेदन करते समय भूतकाल में निष्पादन के ब्यौरों की गलत घोषणा की थी। उन्होंने यह भी पाया कि टैस्टर का दूसरे परिसर को विपथन कर दिया गया था और निर्धारित निर्यात बाध्यता पूरी नहीं की गई थी। फलस्वरूप विभेदक शुल्क की वसूली के अतिरिक्त सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 112 (ए) के अन्तर्गत शास्ति के उद्ग्रहण के लिये तथा धारा 111 (डी) व (एम) के अन्तर्गत मशीन की जब्ती के लिये सीमा शुल्क आयुक्त मद्रास द्वारा अक्टूबर 1996 में एक का.ब.नो. जारी किया गया था। इसके बाद, 43.67 लाख रु. के विभेदक शुल्क तथा 43.67 लाख रु. की शास्ति के उद्ग्रहण सहित, मशीन की जब्ती के लिये 3.00 लाख रु. जुर्माने के भुगतान पर माल छुड़ाने के विकल्प के साथ, एक अधिनिर्णय आदेश दिया गया था।

आयातक ने सीगेट में एक अपील दायर की (दिसम्बर 1997)। बाद में, उसने क.वि.स.यो के लिये विकल्प दिया (दिसम्बर 1998) और शुल्क के 50 प्रतिशत, 21.83 लाख रु. के भुगतान द्वारा अपनी पूरी देयता का निर्वहन किया। इसके परिणामस्वरूप शास्ति तथा जुर्माने सहित 68.51 लाख रु. का राजस्व छोड़ना पड़ा।

क्योंकि नि.सं.पू.मा. योजना के अन्तर्गत छोड़ दी गई शुल्क की राशि का सम्बन्ध निर्यात बाध्यता के पूरा होने से था, एक्जिम नीति के प्रावधानों के अनुपालन में अनुज्ञप्तिधारक की विफलता से

सरकार को राजस्व की दोहरी हानि हुई अर्थात् न तो निर्यात आय की उगाही हो सकी थी और न ही शुल्क की पूर्ण राशि वसूल हुई थी।

(ख) चिकित्सा उपस्करों के बारे में अन्त उपयोग शर्तों के पूरा ना होने के अन्तर्गत मामले

1 मार्च 1988 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं.64/88-कस के अन्तर्गत शुल्क छूट का लाभ ऐसे अस्पतालों द्वारा उपस्करों, उपकरणों एवं यन्त्रों के किये गये आयातों पर देय है जो दे रहे हैं (क) अपने बाह्य रोगियों के कम से कम 40 प्रतिशत को तथा जैसा उसमें विशेष रूप से उल्लिखित है निम्न आय वर्ग के सभी अन्तरंग रोगियों को मुफ्त चिकित्सा और (ख) अन्य सभी रोगियों को उचित प्रभार पर चिकित्सा। मैसर्स मैडीवैल हास्पिटल्स एंड हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से सम्बन्धित मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 25(1) के अन्तर्गत जारी अधिसूचनायें अपने आप में पूर्ण नियम हैं और आयातक आयात पश्चात शर्तों के निर्वहन की निरन्तर वाध्यता के अन्तर्गत थे। विफलता की दशा में छोड़ दी गई शुल्क की राशि उनके द्वारा भुगतान योग्य थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में चिकित्सा उपस्करों के आयातकों के क.वि.स.यो के अन्तर्गत निपटाये गये ऐसे 22 मामले (मुम्बई 1, कोलकाता 2, दिल्ली 3, चैन्ई 15 और बेंगलौर 1) प्रकट हुये जिन्होने शुल्क छूट का लाभ उठाया था लेकिन अन्त उपयोग शर्तों को पूरा करने में असमर्थ थे और इसलिये उनके द्वारा निष्पादित बैंक प्रतिभूति/बॉन्ड के अनुसार पूर्ण शुल्क की वापसी को दायी थे। शुल्क के भुगतान के बारे में कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार क.वि.स.यो. के अन्तर्गत इन मामलों के निपटान के परिणामस्वरूप 2.70 करोड़ रु. के ब्याज सहित 8.20 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे दिए गए हैं

(i) नये सीमा शुल्क भवन मुम्बई के अन्तर्गत एक निर्धारिती, एक धर्मार्थ ट्रस्ट, ने दिनांक 1 मार्च 1988 की अधिसूचना सं. 64/88 -कस के अन्तर्गत किसी शुल्क भुगतान के बिना फरवरी 1988 तथा नवम्बर 1989 में 5.07 करोड़ रु. के मूल्य के लिथोट्रिपसी तथा एम आर आई उपस्कर का आयात किया। विभागीय छानबीन पर ये मशीनें एक प्राइवेट वाणिज्यिक डायग्नोस्टिक संस्था में स्थापित/कार्य करती पाई गई थीं। सीमा शुल्क आयुक्त मुम्बई द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 111 के अन्तर्गत माल की जब्ती की गई थी और शास्ति सहित पूर्ण शुल्क का उदग्रहण किया था (10 अप्रैल 1993)।

सीगेट में निर्धारिती की अपील 25 सितम्बर 1998 को अस्वीकृत कर दी गई थी। बकाया शुल्क के भुगतान करने के बजाय निर्धारिती ने योजना की बढ़ी हुई अवधि, योजना की समाप्ति से मात्र चार दिन पूर्व, के दौरान 27 जनवरी 1999 को सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी। उसने उसी दिन अर्थात् 27 जनवरी 1999 को क.वि.स.यो. घोषणा भी दायर की थी जो कि स्वीकार कर ली गई। उसे उपस्कर पर देय शुल्क की आधी अर्थात् 98.40 लाख रु. के भुगतान द्वारा अपनी देयता का निर्वहन करने की अनुमति दे दी गई थी।

क.वि.स.यो के अन्तर्गत मामले की स्वीकृति के परिणामस्वरूप 21.32 लाख रु. के ब्याज सहित 1.20 करोड़ रु. तक के राजस्व की हानि हुई।

(ii) कलकत्ता कमिश्नरी में एक निर्धारिती ने 1 मार्च 1988 की अधिसूचना सं. 64/88-कस के अन्तर्गत छूट के लाभ द्वारा अप्रैल -अगस्त 1992 के दौरान अस्पताल उपस्कर का आयात किया। महा निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं ने कथित अधिसूचना के अनुसार पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने से मना कर दिया था क्योंकि निर्धारिती ने आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया। 22 मार्च 1995 को एक कारण बताओ नोटिस तथा उसके बाद बॉन्ड प्रवर्तन नोटिस (24 मार्च 1995) जारी किये जाने पर निर्धारिती ने उच्च न्यायालय में अपील की। निर्धारिती ने क.वि.स.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा दायर की (31 दिसम्बर 1998) जो कि स्वीकार कर ली गई और उसकी देयता का 4.09 करोड़ रु. की उदग्रहण योग्य शुल्क के प्रति 2.04 करोड़ रु. के भुगतान द्वारा निर्वहन किया गया। इसलिये आयातक शर्त के पूरा ना करने के बावजूद शुल्क की 50 प्रतिशत की छूट प्राप्त करने में समर्थ था।

(iii) नई दिल्ली कमिश्नरी के एक डायग्नोस्टिक केन्द्र ने मार्च/अप्रैल 1990 में जापान से 62.29 लाख रु. के कम्प्यूटराइज्ड अल्ट्रासाउण्ड स्कैनर एंड कलर फ्लो इमेजिंग सिस्टम का आयात किया। माल का, अधिसूचना की शर्तों को पूरा करने के अध्याधीन, अधिसूचना सं. 64/88-कस के अन्तर्गत शुल्क मुक्त निपटान किया गया था। घोषणाकर्ता ने आयात की तारीख अर्थात् मार्च 1992 से दो वर्षों की अवधि के अन्दर उपस्करों के प्रतिष्ठापन तथा अस्पताल के कार्य करने के साक्ष्यों को दिखाने वाले प्रमाण पत्र नहीं दिये। उनके द्वारा निष्पादित बॉन्ड की शर्तों के अनुसार, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 112 व 114 ए के अन्तर्गत 24.91 लाख रु. के शुल्क, 1.99 करोड़ रु. के ब्याज तथा शास्ति (परिमाणित नहीं) की मांग करते हुये एक का.ब.नो. 20 फरवरी 1998 को अर्थात् आयात के आठ वर्ष तथा चूक के छः वर्षों बाद स.आ. (सीमाशुल्क) द्वारा जारी किया गया था।

का.ब.नो. जारी होने में असामान्य विलम्ब के बावजूद अधिनिर्णय प्रक्रिया शीघ्रतापूर्वक पूरी नहीं की गई थी। इसके बजाय स.आ. (सीमा शुल्क) कानुपुर ने अपने 30 सितम्बर 1998 के पत्र द्वारा क.वि.स.यो. के लाभ उठाने को निर्धारिती को आमन्त्रित किया। तदनुसार निर्धारिती ने 18 दिसम्बर 1998 को एक घोषणा दायर की जिसे स्वीकार कर लिया गया। उसने 12.45 लाख रु. का भुगतान किया और 2.12 करोड़ रु. की शेष राशि के साथ-साथ 3.11 करोड़ रु. शास्ति, अर्थात् माल के मूल्य की पाँच गुना जो कि उपरोक्त धारा 112 के अन्तर्गत उस पर उदग्रहीत की जा सकती थी, से मुक्त कर दिया गया था।

(ग) क.वि.स.यो. के अन्तर्गत फिरती मामलों का निपटान

निर्यातकों को उनके द्वारा निर्यातित माल के बारे में सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के भार की फिरती अनुमत है। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 75 ए (2) अनुबन्ध करती है कि जहाँ गलतरूप से वादी को फिरती का भुगतान हो गया है, वादी मांग की तारीख से निर्धारित अवधि के अन्दर इस प्रकार भुगतान की गई राशि का पुनर्भुगतान करेगा। फिरती के गलत

भुगतान की घटनायें सामान्य रूप से निर्यातों से अन्तर्ग्रस्त होती है जहाँ या तो विदेशी मुद्रा की बाद में उगाही नहीं हुई या योजना का निर्यातकों द्वारा निर्यात मूल्य का अधिक बीजक बनाने के द्वारा दुरुपयोग किया गया है। पहले के बारे में अधिनियम स्पष्ट रूप से अनुबन्ध करता है कि ऐसी फिरती को ऐसा माना जायेगा जैसे कि कभी अनुमत नहीं किया गया {धारा 75 ए (2)} और बाद वाले तरह के मामलों में किसी भी ऐसे माल के बारे में कोई फिरती अनुमत नहीं करनी है जिसकी बाजार कीमत उस पर दये फिरती की राशि से कम है (धारा 76)। इस प्रकार फिरती के गलत भुगतान के मामले किसी कर बकाया या झगड़े से अन्तर्ग्रस्त नहीं होते हैं। उन्हें प्रारम्भ से अदेय के रूप में माना जाना है। फिर भी ये क. वि. स.यो. के क्षेत्र में कवर थे।

अभिलेखों की नमूना जाँच ने दर्शाया कि 77.67 लाख रू. की फिरती के गलत भुगतान से अन्तर्ग्रस्त 18 मामले (कलकत्ता 1, दिल्ली 3 और चेन्नई सागर 14), जहाँ निर्याती राशि की वापसी के लिये दायी थे क्योंकि यह उन्हें देय नहीं थी, केवल 27.39 ~~लाख~~ रू. के पुनर्भुगतान को उनके लिये सम्भव बनाते हुये योजना के अन्तर्गत कवर थे जिसके कारण जुर्माने, शास्ति तथा ब्याज सहित 58.98 लाख रू. की राशि के राजस्व की हानि हुई।

उदाहरणार्थ एक मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

स.सू.नि. की जाँच-पडताल/पूछताछ से प्रकट हुआ कि कलकत्ता कमिश्नरी में एक निर्याती ने 2.35 रू. प्रति लैन्स की दर पर औपथालमिक लैन्सों के निर्यात के प्रति फिरती के रूप में 46.11 लाख रू. की राशि का दावा किया तथा प्राप्त की जबकि लैन्सों का बाजार मूल्य 20 से 30 पैसे से अधिक नहीं था। इस प्रकार कमिश्नरी ने निर्यातियों को 2.50 लाख रू. के जुर्माने तथा 5.00 लाख रू. की शास्ति सहित 46.11 लाख रू. के तीन महीनों के अन्दर पुनर्भुगतान के निदेश दिये (फरवरी 1996)। निर्याती ने क.वि.स.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा दायर की (25 नवम्बर 1998) जो कि स्वीकार कर ली गई तथा उसने मात्र 23.05 लाख रू. के भुगतान द्वारा अपनी देयता का निर्वहन किया। क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 76 के अनुसार इन निर्यातों पर किसी फिरती की पात्रता नहीं थी, गलत रूप से भुगतान की गई फिरती के मात्र आधे की वसूली द्वारा मामले के निपटान के परिणामस्वरूप 39.26 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

उनकी प्रतिक्रिया में, मंत्रालय ने इस मामले में अपनी असहायता व्यक्त की क्योंकि योजना एक तरफ वर्गीकरण, मूल्यांकन आदि से उत्पन्न हुये शुल्क के झगड़े और विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के अन्तर्गत निर्यात बाध्यता के पूरे ना करने से उत्पन्न शुल्क देयताओं में कोई भेद नहीं करती थी।

3.6 योजना के अन्तर्गत कवर ना होने वाले मामलों का निपटान

क.वि.स.यो. के प्रभावी कार्यान्वयन में उत्पन्न कठिनाइयों/सन्देहों को दूर करने के लिये कमिश्नरियों के साथ-साथ व्यापार एवं उद्योग द्वारा की गई पूछताछ की प्रतिक्रिया में, वित्त मंत्रालय ने योजना के क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण दिये थे (अक्टूबर 1998) (यहाँ के बाद स्पष्टीकरण के रूप में सन्दर्भित)

(क) कर बकायों के किसी झगड़े से अन्तर्गत न होने वाले मामलों का गलत निपटान

छः मामलों में (मुम्बई 4, कलकत्ता 1, कोचीन 1,) शुल्क की उद्ग्रहिता के बारे में 31 मार्च 1998 को कोई झगड़ा लम्बित नहीं था लेकिन क्षतिपूरण जुर्माना, शास्ति, जाँच रिपोर्ट आदि के कारण कारण बताओ नोटिस जारी किये गये थे। 1.55 लाख रू. के ब्याज सहित 82.04 लाख रू. की राशि के राजस्व को छोड़कर क.वि.स.यो के अन्तर्गत ऐसे मामलों का निपटान योजना के प्रावधानों के विपरीत था।

एक मामले का नीचे वर्णन किया गया है:

कलकत्ता कमिश्नरी के एक आयतक ने पीतल छीजन का आयात किया (दिसम्बर 1994/जनवरी 1995) और 43.41 लाख रू. की शुल्क देयता सहित 59.29 लाख रू. का निर्धारण योग्य मूल्य घोषित किया। एस आई आई वी जाँच-पडताल पर आधारित एक का.ब.नो. जारी किया गया और आयुक्त ने 57.45 लाख रू. के शुल्क प्रभार सहित 78.45 लाख रू. के आयात का मूल्य नियत किया।

इस मामले में विवादित राशि मात्र 14.04 लाख रू. थी अर्थात् निर्धारित मूल्य पर शुल्क और घोषित मूल्य पर शुल्क के बीच का अन्तर। तथापि, सम्पूर्ण बढ़े हुये मूल्य के 50 प्रतिशत नियत करने के द्वारा मामले का निपटान किया गया जिसमें घोषित मूल्य पर 43.41 लाख रू. की अविवादित/स्वीकृत राशि शामिल थी। इसके परिणामस्वरूप 20.46 लाख रूप के राजस्व की हानि हुई (पहले ही भुगतान किये गये 1.25 लाख रू. के समायोजन के बाद)।

उनकी प्रतिक्रिया में, मंत्रालय ने बताया कि योजना के निरूपण के समय सरकार ने उस प्रत्येक मामले के गुणावगुण जाँच के लिये मनोनीत प्राधिकारियों में कोई शक्तियाँ निहित नहीं की थी जहाँ घोषणाओं की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये कारण बताओ नोटिस जारी किये थे।

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत मांगों का गलत निपटान

एक भांडागार एक स्थान है जिसका माल रखने के लिये उपयोग करने के लिए आयतक निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर अनुमत है जहाँ वह माल के उपयोग या बिक्री से पूर्व सीमाशुल्क क्षेत्र से माल को सीधे बाहर ले जाने में या तो शुल्कों के भुगतान में कुछ कठिनाइयों या स्थान की उपलब्धता न होने के कारण समर्थ नहीं है। सार्वजनिक बद्ध तथा गैर-सरकारी बद्ध भांडागारों का प्रावधान सीमा शुल्क विशेषज्ञ की उपलब्धता तथा आयात के पत्तनो के समीप व्यापार तथा उद्योग की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर देश के अन्तस्थ में चयनित स्थानों पर किया जाता है।

भांडागारण की अनुमति देकर सीमाशुल्क विभाग आयातों पर लगने वाले शुल्कों के संग्रहण को केवल स्थगित करता है। सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 72 के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ किसी भांडागारित माल को उस अवधि की समाप्ति तक नहीं हटाया जाता है जिसके दौरान माल धारा 61 के अन्तर्गत भांडागार में रहने को अनुमत है, सीमाशुल्क अधिकारी ऐसे माल के सम्बन्ध में देय सभी शास्तियों, किराये, ब्याज तथा अन्य प्रभारों सहित ऐसे माल के कारण प्रभारित शुल्क

की पूर्ण राशि की मांग कर सकता है और ऐसे माल का मालिक तुरन्त भुगतान करेगा। मंत्रालय द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण में भी यह बताया गया था कि ऐसे मामले, जिनमें देय शुल्क विवादित नहीं रहा, समाधान योजना के अन्तर्गत कवर नहीं होंगे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि इन अनुदेशों के विपरीत, आठ मामलों (चेन्नई 2, मुम्बई 2, बेंगलूर 3 तथा अहमदाबाद 1) में निर्धारितियों को सरकार को 63.90 लाख रु. के राजस्व से वंचित करते हुये योजना के लाभ उठाने को अनुमत किया गया था यद्यपि वे क.वि.स.यो के अन्तर्गत कवर भी नहीं थे।

प्रतिक्रिया में, मंत्रालय ने बताया कि ये मामले क.वि.स.यो. के अन्तर्गत कवर थे क्योंकि वे फर्जी चालानों पर निष्कासित माल पर तथा यूलेज रिपोर्टों पर शुल्क निर्धारण, शुल्क की गणना करने के लिये प्रासंगिक तारीख के बारे में झगड़ों से सम्बन्धित थे। तथापि, क्योंकि इन मामलों में जारी किये गये का.ब.नो. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 72 के अन्तर्गत थे, क.वि.स.यो. का लाभ उन्हें उपलब्ध नहीं था जो कि अक्टूबर 1998 में मंत्रालय द्वारा स्पष्ट भी किया गया था।

(ग) क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटाये गये अपात्र मामले

वित्त मंत्रालय द्वारा जारी (अक्टूबर 1998) क्रम सं. 13 पर स्पष्टीकरण के साथ पठित वित्त अधिनियम 1998 की धारा 95 (ii) (सी) के अनुसार क.वि.स.यो. के प्रावधान उन मामलों में कर बकायों के निपटान के लिये लागू नहीं होंगे जहाँ घोषणा की तारीख को अपीलीय प्राधिकारी या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय/केन्द्र सरकार में कोई अपील या सन्दर्भ या रिट याचिका स्वीकार/लम्बित नहीं थी।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से प्रकट हुआ कि 19 मामले (मुम्बई 3, कलकत्ता 5, कोचीन 3, कांडला 2, नई दिल्ली 1, चेन्नई 4 तथा विशाखापत्तनम् 1) क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटाये गये थे जहाँ या तो मांगों की पुष्टि के बाद घोषणाकर्ता द्वारा फिर से कोई झगड़ा नहीं था या 3 महीने की निर्धारित अवधि के अन्दर अपील दायर करने में विलम्ब या अपील स्वीकार नहीं की गई थी। इससे 1.54 करोड़ रु. के ब्याज सहित 4.44 करोड़ रु. तक के अपने वैध देयों से सरकार वंचित हुई।

उदाहरणार्थ कुछ मामले नीचे दर्शाए गए हैं :

(i) कलकत्ता कमिश्नरी में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने 1967 में पंजीकृत ठेके के प्रति परियोजना आयात योजना के अन्तर्गत मशीन तथा पुर्जों का आयात किया। ठेके के अनुबद्ध मूल्य के अतिरिक्त अधिक माल के आयात पर शुल्क के कम उद्ग्रहण के कारण एक का.ब.नो एवं मांग नोटिस 48.97 लाख रु. के विभेदक शुल्क के लिये जारी किया गया था। इसके बाद में अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों सहित मिलान विवरण प्रस्तुत ना करने के लिये 69.96 लाख रु. के लिये 18 अप्रैल 1986 को एक बॉन्ड प्रवर्तन नोटिस जारी हुआ। 69.96 लाख रु. (पुर्जों पर विभेदक शुल्क सहित) के लिये 7 सितम्बर 1987 को मांग की पुष्टि की गई थी। इस प्रकार, इकाई ने कम उद्ग्रहीत शुल्क का भुगतान नहीं किया। कोई अपील फाइल नहीं की गयी। 13

साल से लम्बित रहा मामला, वित्त अधिनियम 1998 की धारा 95 (ii) (सी) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए क.वि.स.यो. में निपटाया गया। मूल परिमाणित शुल्क के 48.97 लाख रु. के आधार पर घोषणाकर्ता ने निपटारा की गयी राशि के रूप में 24.49 लाख रु. का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रु. {45.47 लाख रु. शुल्क (69.96 लाख रु. - 24.49 लाख) + 1 सितंबर 1995 से 31 मार्च 2000 तक 58.80 लाख रु. का ब्याज} की निवल हानि हुई।

(ii) कोचीन कमिश्नरी के एक निर्धारित ने 30 दिसम्बर 1998 को 15 घोषणाएं दाखिल की और 52.47 लाख रु. का भुगतान करते हुए क.वि.स.यो. के अन्दर मामले फरवरी 1999 में निपटाये गये। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि ये मामले अन्तिम रूप से 24 नवम्बर 1998 को राजस्व के पक्ष में सीगेट द्वारा निपटाये गये। उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय में आगे अपील करने के लिए अनुमति हेतु निर्धारित की सीगेट में 29 दिसम्बर 1998 की याचिकाएं केवल लम्बित थीं/घोषणा की तिथि को कोई अपील नहीं की गयी थीं/स्वीकार नहीं की गयी थी। इस प्रकार मामले क.वि.स.यो. के पात्र नहीं थे और उनकी स्वीकृति/निपटारे के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2000 तक 41.72 लाख रु. के ब्याज को शामिल करते हुए 94.19 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

(घ) किसी का ब नो के बिना क वि स यो के अन्तर्गत मामलों का निपटान

स्पष्टीकरण (अक्टूबर 1998) के क्रम संख्या 3 एवं 12 के साथ पठनीय वित्त (नं. 2) अधिनियम 1998 की धारा 95 (ii) (बी) ने परिकल्पित किया कि किसी मामले में, यदि 31 मार्च 1998 अथवा उससे पूर्व का ब नो जारी नहीं किया गया है तो योजना लागू नहीं होती है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 14 मामलों में (मुंबई 10, कलकत्ता 1 एवं चेन्नई 3) यद्यपि का ब नो जारी नहीं किये गये थे, क.वि.स.यो. के अन्तर्गत की गयी घोषणाएं स्वीकार की गयी थीं एवं निपटायी गयी थीं। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के 13.65 लाख रु. सम्मिलित करके 1.06 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

एक निदर्शी मामले पर नीचे चर्चा की गयी है:

एक आयातकर्ता (मुम्बई कमिश्नरी) को 1.80 करोड़ रु. के बकाया शुल्क के भुगतान के लिए 6 मार्च 1996 को एक का.ब.नो. जारी किया गया जिसका बाद में 23 मार्च 1998 को भुगतान किया गया। चूंकि शुल्क के विलंबित भुगतान के कारण आयातकर्ता धारा 28 ए ए के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान का दायी था, एक ओर का ब नो, ब्याज के 32.62 लाख रु. के भुगतान के लिए 11 सितम्बर 1998 को जारी की गयी (क.वि.स.यो. के 1 सितंबर 1998 को प्रभावी होने के बाद)। 16.31 लाख रु. ब्याज की राशि के 50 प्रतिशत भाग को छोड़ते हुए क.वि.स.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा स्वीकार की गयी यद्यपि का ब नो केवल 31 मार्च 1998 के बाद जारी की गयी थी।

(ड) क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटाये गये पूर्व जमा मामलों में भुगतान न किया जाना।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 129 ई में निहित प्रावधानों के अनुसार, यदि किसी निर्णय या आदेश के विरुद्ध अपील, उन माल के शुल्क एवं ब्याज से संबंधित है जो सीमाशुल्क प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन नहीं है या इस अधिनियम के अन्तर्गत शास्ति वसूल नहीं की गयी है, तो इस प्रकार के निर्णयों या आदेश के विरुद्ध अपील करने का इच्छुक व्यक्ति, अपील लम्बित रहने तक, वसूल किया गया शुल्क, ब्याज या शास्ति, उपयुक्त अधिकारी के पास जमा कर देगा। यदि एक अपीलकर्ता, अधिकरण के निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है तो उसकी अपील निरस्त हो जायेगी।

12 मामलों में (चेन्नई 3, नयी दिल्ली 3, मुम्बई 1, कलकत्ता 1, बैंगलूर 3 और कोचीन 1), 71.28 लाख रु. के पूर्व-जमा के अध्यक्षीन सीगेट/न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश अनुमत किये गये थे। घोषणाकर्ताओं ने न्यायालय/सीगेट के आदेशों का पालन नहीं किया और कोई पूर्व जमा नहीं किये गये।

शास्ति के 58.40 लाख रु. और ब्याज के 10.00 लाख रु. का मिला कर 1.32 करोड़ रु. के राजस्व को छोड़ते हुए क.वि.स.यो. के अन्तर्गत इन मामलों की स्वीकृति एवं निपटारा इस प्रकार अनियमित था। सूरज स्टील मिल्स बनाम भारत संघ 2000 (115) ई एल टी 280 (गुज) के मामले में गुजरात उच्च-न्यायालय के एक निर्णय ने भी लेखापरीक्षा के मत को बल प्रदान किया कि यदि अपीलीय प्राधिकारी के द्वारा निर्देशित पूर्व जमा की अनिवार्य शर्त का पालन नहीं किया गया था तो प्राधिकरण के समक्ष कोई विवाद लम्बित नहीं होगा।

कुछ मामलों का नीचे उल्लेख किया गया है:

(i) सीमाशुल्क समाहर्ता (एसीसी) मुम्बई के आदेशों दिनांक 11 दिसम्बर 1997 के अनुसार निर्धारिती के विरुद्ध 34.48 लाख रु. की मांग की पुष्टि की गयी थी और उसके द्वारा 17 फरवरी 1998 को 3.47 लाख रु. की एक राशि जमा की गयी थी। जब निर्धारिती ने अपील की तो सीगेट ने 21 जुलाई 1998 को 13.5 लाख रु. के 8 सप्ताह के अन्दर भुगतान हेतु आदेश पारित किया और अपील के लम्बित रहने तक बाकी राशि के भुगतान को स्थगित कर दिया। सीगेट ने यह भी टिप्पणी की कि प्रकटतया निर्धारिती का मामला प्रथम दृष्टया दमदार नहीं था।

सीगेट में मामले के आगे अनुसरण तथा पूर्व जमा दशाओं के आदेशों का पालन न किये जाने के लम्बित होने के कारण, 11 सितंबर 1998 को क.वि.स.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा दायर की और मामले का निपटारा मांग के 50 प्रतिशत पर हुआ जिससे सरकार को वैध शुल्क के 15.64 लाख रु. नहीं मिले। क.वि.स.यो. के अन्तर्गत मामले के निपटान के परिणामस्वरूप सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 129 ई के प्रावधानों का भी उल्लंघन हुआ।

(ii) एक निर्धारिती (चेन्नई) ने 'पोस्ते के बीज' का तेल तथा 'कैसिया' तेल के निर्यात की बाध्यता के लिए, 'पोस्ते के बीज' और कैसिया के आयात हेतु क्रमशः नवंबर 1992 तथा मार्च 1993 में जारी दो लाइसेंस प्राप्त किये। निर्यात की बाध्यता को पूरा करने के बाद, कम्पनी ने इन

लाइसेंसों को दूसरी कम्पनी को हस्तांतरित कर दिया। वैध वचनबद्धता महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा भी उन्मोचित कर दी गयी थी।

चूंकि निर्यात किये गये माल विनिर्दिष्ट मर्दों से अन्य थे, नि.रा.आ., चेन्नई द्वारा पोस्ते के बीज के आयात के लिए 14.37 लाख रु. के शुल्क की मांग करते हुए, हस्तांतरित कम्पनी को एक का.ब.नो. जारी की गयी (नवम्बर 1996)। मामले पर निर्णय लिया गया और 14.3 लाख रु. के शुल्क की पुष्टि की गयी। इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 114ए के अन्तर्गत 2 लाख रु. की शास्ति तथा 14.37 लाख रु. की अनिवार्य शास्ति भी लगायी गयी।

जबकि वसूली प्रक्रिया पर स्थगन आदेशित करते हुए, सीगेट ने हस्तांतरित कम्पनी को 3 लाख रु. की पूर्व जमा के लिए निर्देशित किया (अक्टूबर 1998)। चूंकि अपीलकर्ता ने सीगेट को सूचित किया था कि उन्होंने क.वि.स.यो. के अन्तर्गत घोषणा दायर करने का प्रस्ताव किया था, पूर्व जमा के लिए समय सीमा में 6 जनवरी 1999 तक समय में विस्तार अनुमत किया गया। बढ़ाये गये समय में पूर्व-जमा नहीं किया गया था।

इसी बीच, हस्तांतरित कम्पनी द्वारा क.वि.स.यो. के अन्तर्गत दायर की गयी घोषणा विभाग द्वारा स्वीकार की गयी और 7.19 लाख रु. की वसूली करते हुए निपटायी गयी। इसके परिणामस्वरूप शास्ति को शामिल करते हुए 23.55 लाख रु. के राजस्व की हानि हुई।

इसके उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि अपील दायर करने/स्वीकार करने के लिए कर या शास्ति की पूर्व जमा, दशा की नज़ीर नहीं है। यह मान्य नहीं है क्योंकि मंत्रालय का स्पष्टीकरण अधिनियम के प्रावधानों तथा ऊपर वर्णित न्यायिक घोषणाओं की अनदेखी नहीं कर सकता है।

3.7 क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटाये गये, ठोस रूप से विभाग के पक्ष वाले मामले

योजना का निरूपण करते समय, घोषणा को स्वीकार करने या उसकी अस्वीकृति के लिए, मुक़दमेबाजी में अंतर्गत प्रत्येक मामले के गुण अवगुण की जांच करने हेतु मनोनीत प्राधिकारी में सरकार ने आवश्यक शक्तियां निहित नहीं कीं। परिणामस्वरूप उन मामलों में भी, जहाँ विभागीय पक्ष मज़बूत था और सम्पूर्ण राजस्व की वसूली की संभावना बहुत अधिक थी, मनोनीत प्राधिकारी घोषणाओं को स्वीकार करने के लिए बाध्य था।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 12 मामलों में (कोचीन 2, चेन्नई 9 एवं अहमदाबाद 1), निर्धारिती भी, जिनके मामले सीगेट के पूर्व निर्णयों की दृष्टि में अत्यन्त कमजोर थे, घोषणा दायर कर सकते थे एवं क.वि.स.यो. के अन्तर्गत लाभ उठा सकते थे। इसमें ब्याज के 64.57 लाख रु. शामिल करके 8.40 करोड़ रु. के राजस्व की हानि अंतर्निहित थी।

कुछ मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

- (i) एक सार्वजनिक सीमित कम्पनी (चेन्नई) ने एक प्रमुख कस्टम हाउस के साथ एक परियोजना ठेके को पंजीकृत कराने के लिए मार्च 1994 की अधिसूचना संख्या 90/94-सी शुल्क के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ शीर्षक 98.01 के अन्तर्गत, अपने अमोनिया अंतस्थ प्लांट अपटट सुविधा के लिए आवेदन किया। परियोजना आयात छूट का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण

को विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया (मार्च 1996) क्योंकि भारत सरकार द्वारा इस प्रकार की पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए कोई विनिर्दिष्ट अधिसूचना जारी नहीं की गयी थी जैसा कि उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत आवश्यक था तथा कोई विनिर्माण कार्यकलाप अंतर्निहित नहीं था। तथापि समाहर्ता (अपील) चेन्नई ने आयातकर्ता के दावे को अनुमत किया (जनवरी 1997) और निर्णय दिया कि पाइपलाइन उर्वरक संयंत्र में विनिर्माण कार्यकलाप से सीधे संबंधित थी। निर्णय के समर्थन में रासायनिक तथा उर्वरक मंत्रालय की संस्तुति भी उद्धरित की गयी थी।

आगे अपील में, सीगेट ने विभाग की अपील को अनुमत किया (दिसंबर 1997) एवं निर्णय दिया कि (i) रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय के प्रमाणपत्र को निर्धारण के लिए निश्चायक के रूप में नहीं लिया जा सकता है यद्यपि यह एक पूर्वापेक्षी है। (ii) टैरिफ शीर्षक 98.01 की व्याख्या केवल सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा ही की जायगी (iii) फ्रैंकट्री के अन्दर कच्चा माल लाने के लिए कुछ भी किया जाना विनिर्माण प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में नहीं लिया जा सकता है और (iv) नेशनल अल्यूमिनियम कं लि. बनाम सीमाशुल्क समाहर्ता, मद्रास-1997(94) ई एल टी 409 (पैरा-12) में सूचित निर्णय, इस मौजूदा मामले में सुसंगत है।

तथापि आयातकर्ता की अपील पर उच्च न्यायालय ने सीगेट के निर्णय को जनवरी 1998 में स्थगित कर दिया। इस बीच, क.वि.स.यो. के अन्तर्गत एक घोषणा दायर की गयी (दिसम्बर 1998) जिसे स्वीकार किया गया और आयातकर्ता को 5.35 करोड़ रु. के दायित्व का निर्वहन अनुमत किया गया जिससे समान राशि का राजस्व छोड़ दिया गया यद्यपि मामला राजस्व के पक्ष में था।

(ii) वेसेल से निकाले गये और उनके भंडारण टैकों में प्राप्त किये गये कच्चे तेल की मात्रा पर शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में मामलों के निपटारे के लिए, दो निर्धारितियों (कोचीन कमिश्नरी) ने दिसम्बर 1998 में क.वि.स.यो. के अन्तर्गत घोषणाएं दायर कीं। मामलों को निपटारा गया यद्यपि नवंबर 1998 में निर्धारिती के इसी तरह के मामलों में, सीगेट ने विभाग के पक्ष में पूर्व में निर्णय दिया था जिसमें उसने निर्णीत किया था कि जब पोत द्वारा भूमि पर अपना कार्गो उतारना बाकी था तब गंतव्य पत्तन पर स्वतंत्र पर्यवेक्षकों द्वारा जारी और कभी-कभी सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित यूलेज रिपोर्ट, वास्तविक आयातित मात्रा निर्धारित करने के लिए प्राथमिक तथा मौलिक दस्तावेज है। क.वि.स.यो. की मिसिलों की लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि घोषणाओं को स्वीकार किया गया था यद्यपि यह पाया गया कि समान मामलों में अधिकरण के विशिष्ट निर्णयों की दृष्टि में विभाग अन्त में मामले जीत लेता। इसके परिणामस्वरूप ब्याज के 64.57 लाख रु. सहित 1.45 करोड़ रु. राजस्व का समर्पण हुआ।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि वे फ़र्म जो यह महसूस करती है उनका मामला दमदार है, स्पष्टतया इस योजना को प्राथमिकता नहीं देंगी।

3.8 क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटारे गये, लम्बे समय से न्यायनिर्णय हेतु लम्बित मामले

लोक लेखा समिति द्वारा उनकी 84वीं रिपोर्ट (1981-82) 7वीं लोक सभा की संस्तुति के आधार पर, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क मंडल ने पत्र संख्या एफ नं. 224/3/82-सी एक्स - 6 दिनांक

17 जनवरी 1983 द्वारा निर्देशित किया कि कारण बताओ एवं मांग नोटिस के जारी करने के अधिकतम छः माह की अवधि के अंदर मांग मामलों पर निर्णय दिया जाय।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 5 कमिश्नरियों ने 32 मामलों में (चेन्नई 9, दिल्ली 16, विशाखापटनम् 1, मुंबई 5 एवं कलकत्ता 1) का.ब.नो. के जारी करने की तिथि से 2 से 10 वर्षों की अवधि तक न्यायनिर्णय प्रक्रिया के पूर्ण होने में विलम्ब के फलस्वरूप निर्धारिती को क.वि.स.यो. का लाभ उठाने का अवसर मिला। यदि विभाग ने समय पर कार्यवाही की होती तो ब्याज के 1.54 करोड़ रु. को मिला कर 11.79 करोड़ रु. के राजस्व की हानि का परिहार्य किया जा सकता था।

कुछ निदेशी मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) मुंबई कमिश्नरी के एक निर्धारिती को, आयातित माल के अवमूल्यांकन के लिए 13.36 करोड़ रु. 52.55 करोड़ रु. एवं 14.03 लाख रु. की राशि को परिमाणित करते हुए क्रमशः 19 अक्टूबर, 1990 एवं 5 मार्च 1991 को, 3 का ब नो जारी किये गये। उन मामलों में न्यायनिर्णय 1998 तक पूरे नहीं किये गये थे जिससे निर्धारिती को क.वि.स.यो. के अन्तर्गत घोषणा दायर करने का अवसर मिला जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के 1.52 करोड़ रु. के अतिरिक्त 7.01 करोड़ रु. के राजस्व की हानि हुई।

(ii) कलकत्ता कमिश्नरी के एक निर्धारिती को, छूट की गलत अनुमति के कारण 1.72 करोड़ रु. शुल्क के कम उद्ग्रहण के लिए का ब नो जारी किया गया। 60 लाख रु. के दण्ड तथा 15 लाख रु. की शास्ति के साथ 1.72 करोड़ रु. के शुल्क की मांग करते हुए मामले का न्यायनिर्णयन मार्च 1990 में किया गया। तथापि आयातकर्ता की अपील पर सीगेट द्वारा उपरोक्त आदेश 27 अक्टूबर 1994 को निरस्त कर दिया गया और छूट अधिसूचना की पात्रता पर नये सिरे से विचार करने के लिए मामला प्रतिप्रेषित किया गया। तब से मामला विभाग में लम्बित है।

अक्टूबर 1994 से मार्च 1998 तक विभाग की निष्क्रियता और क.वि.स.यो. के अन्तर्गत मामले के निपटारे के परिणामस्वरूप ब्याज के अतिरिक्त 1.61 करोड़ रु. (शुल्क 86.08 लाख रु., शास्ति 15 लाख रु. एवं दण्ड 60 लाख रु.) के राजस्व की हानि हुई।

उत्तर में मंत्रालय ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के न्यायनिर्णयन से स्वतः यह अर्थ नहीं निकलता है कि चूककर्ता राशि का भुगतान करेगा। जबकि मंत्रालय स्पष्ट को बता रहा है, जो समानरूप से सत्य भी है कि सभी पुष्टीकृत आदेश अपील में परिणामित नहीं होते हैं। वास्तव में न्यायनिर्णयन में विलम्ब, सरकार तथा लो ले स दोनों के लिए चिन्ता का कारण बन गये हैं।

3.9 क.वि.स.यो. के लिए पात्र मामलों की अस्वीकृति

क.वि.स.यो. की अपेक्षित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले छः मामलों को (मुम्बई 1, विशाखापत्तनम् 2 और बँगलूर 3) विभाग द्वारा, कारण बताओ नोटिस जारी न करने, अन्तरिम निर्धारण मामलों को स्वीकार न करने आदि के आधार पर, गलती से अस्वीकृत कर दिया था जहां सितंबर 1980 से जनवरी 1994 तक मांगों के लम्बित रहने के परिणामस्वरूप 1.99 करोड़ रु. के

राजस्व की वसूली नहीं हो सकी जिसे योजना के अंतर्गत आसानी से एकत्र किया जा सकता था।

एक निदर्शी मामले का उल्लेख नीचे किया गया है:

(i) विशाखापत्तनम् कमिश्नरी में एक निर्धारिती (सा क्षे उ) ने कच्चे पेट्रोलियम तेल के एक परेषण का आयात किया। शुल्क को अनन्तिम रूप से निर्धारित करने के बाद, जांच तथा यूलेज सर्वे रिपोर्टों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लम्बित रहते, एक्स बॉन्ड बिल आफ इन्ट्री पर निकासी अनुमत की गयी। निर्धारिती ने अनुरोध किया कि केन्द्रीय उत्पादशुल्क प्राधिकारियों द्वारा सत्यापित कार्गो इन्टेक प्रमाणपत्र के आधार पर निर्धारण को अन्तिम रूप दिया जाय। तथापि, यूलेज सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्गो इन्टेक प्रमाण में निर्दिष्ट मात्रा से अधिक मात्रा विभाग ने पायी और 3.79 करोड़ रु. के शुल्क अन्तर के लिए जनवरी-मार्च 1994 में 3 का ब नो जारी किये। आदेशों से खिन्न होकर, निर्धारिती ने अपील की और दो मामलों में, जिनमें कमिश्नर (अपील) ने निर्धारण के आदेश को अस्वीकृत कर दिया, विभाग ने 30 मार्च 1995 को सीगेट के समक्ष अपील दायर की।

दिसम्बर 1998 में इन मामलों में निर्धारिती द्वारा दायर की गयी क.वि.स.यो. घोषणाएं विभाग द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दी गयी कि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत अनन्तिम निर्धारणों को अंतिमरूप देने के संबंध में जारी की गयी नोटिस, योजना के उद्देश्य से, कारण बताओ नोटिस/मांग नोटिस नहीं थीं।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (मार्च 2000) विभाग ने बताया कि विधि मंत्रालय की दिनांक 15.2.1999 की सूचना के अनुसार इन मामलों को अस्वीकृत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विधि मंत्रालय का मत था कि मामलों के क.वि.स.यो. के अन्तर्गत निपटान के लिए, तीन मुख्य अपेक्षाएं अर्थात् (i) संकल्प या नोटिस (ii) विवाद और (iii) कर बकाया, पूरी की जानी होती हैं। इस मामले में, विभेदी शुल्क अवधारित किया गया था और कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी, सीगेट के समक्ष एक विवाद लम्बित था ओर महत्वपूर्ण कर बकाये अंतर्निहित थे। चूंकि इन मामलों में सभी तीन दशाएं पूरी हो रही थी, इसलिए विभाग द्वारा प्रतिबाधित दृष्टिकोण अपनाने के परिणामस्वरूप 1.90 करोड़ रु. के राजस्व को छोड़ दिया गया, जिसे योजना के अन्तर्गत अन्यथा वसूल किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त यह सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम की इकाइयों को योजना के अन्तर्गत लाने के लिए उत्साहित करने के सरकार के निर्णय के विरुद्ध भी था।

मंत्रालय ने इसके उत्तर में बताया कि सभी छः मामलों में घोषणा दायर करने के दिन कोई भी विवाद लम्बित नहीं थे। विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष लम्बित मामलों के परिप्रेक्ष्य में यह मान्य नहीं है।

3.10 निष्कर्ष

कर विवाद समाधान योजना के परिणामस्वरूप 124.89 करोड़ रु. के राजस्व की वसूली करते हुए, 21134 लम्बित मामलों में से केवल 1178 मामलों का निपटान हुआ जो सीमाशुल्क से प्राप्त

वार्षिक राजस्व का 0.30 प्रतिशत था। इस प्रकार कर विवाद समाधान योजना, या तो प्रणाली की बाधाओं को साफ़ करने या उचित सरकारी प्राप्यों के महत्वपूर्ण भाग की वसूली करने में विफल रही। तथापि, इसने सरकार के चुनिंदा ऋणियों को बचाव का रास्ता उपलब्ध कराया जिनके दायित्व कम थे या कोई विवाद नहीं था। योजना के ऐसे दुरुपयोग के प्रति योजना ने कोई सुरक्षा उपाय उपलब्ध नहीं कराये। विवाद के वास्तविक मामलों से प्रतिक्रिया ठीक नहीं थी और इससे प्रणाली की बाधाएं जारी रहीं। इस प्रकार, राजस्व पर इसका समग्र प्रभाव नकारात्मक था।

अध्याय 4 : गलत वर्गीकरण के कारण कम उद्ग्रहण

माल के गलत वर्गीकरण से उद्भूत सीमाशुल्क के कम उद्ग्रहण के कुछ निदर्शी मामलों का नीचे संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

4.1 परिवहन उपस्कर

ज्वाइंट असेंबली

एच एस एन के व्याख्यात्मक नोट के अनुसार, सीमाशुल्क दर नियम की धारा XVII के वाहनों के उपयोग के लिए पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से अभिकल्पित किये जाने वाले नान-इंजन ट्रांसमिशन उपकरण, अध्याय 84 की सीमा से परे हैं और 87.08 शीर्षक के अन्तर्गत पुनः वर्गीकरणीय हैं।

एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा एक प्रमुख कस्टम हाउस के माध्यम से आयातित डबल ज्वाइंट असेंबली, आउटपुट शॉफ्ट, यू ज्वाइंट, डिस्क बुशिंग वाले छः परेषणों को 84.83 शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। चूंकि आयातित उपकरण मोटर वाहनों के लिए थे, इसलिए उपरोक्त व्याख्यात्मक नोट के संदर्भ में ये माल 8708.99 उप-शीर्षक के अन्तर्गत सही रूप से वर्गीकरणीय थे। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 29.44 लाख रु. का शुल्क कम उद्ग्रहीत हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (मई 1996 और दिसंबर 1997 के मध्य) विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2000) और 29.44 लाख रु. की मांग उठायी। तथापि, क वि स यो के अन्तर्गत स्वयं को दायित्व से मुक्त कराते हुए 14.91 लाख रु. का भुगतान किया (अप्रैल और अगस्त 1999 के बीच)।

4.2 मशीनें और यांत्रिक साधन

(क) विसरित सिलिकॉन वेफर

सेमीकंडक्टर यंत्रों के भाग होने के कारण विसरित सिलिकॉन वेफर सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के 8541 शीर्षक अध्याय के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने होते हैं।

1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से एक आयातकर्ता द्वारा आयातित "विसरित सिलिकॉन चिप्स/वेफर्स" के 13 परेषण 8541 की बजाय गलती से 3818 उप-शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये जिसके परिणामस्वरूप 24.72 लाख रु. का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (दिसंबर 1996 से जुलाई 1999) विभाग ने बताया कि 1992-93 में आयातों के संबंध में प्रकरण काल बाधित हो गये थे परंतु अगस्त 1998 और मार्च 1999 में किये गये आयात के लिए 2.86 लाख रु. की वसूली प्रभावी की गयी थी। बकाया आयातों के लिए विभाग ने बताया कि आयातित माल को डायोड बनाने के लिए उनको और संसाधित किया जाना था और इसलिए 3818 शीर्षक के अन्तर्गत कच्चे माल के रूप में वर्गीकृत किये गये थे।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बीजक के अनुसार, आयातित माल सेमीकंडक्टर यंत्रों के विनिर्माण के लिए हैं। इसके अतिरिक्त 3818 उप शीर्षक, इलेक्ट्रॉनिक्स में रासायनिक तत्वों के उपयोग को कवर करता है और वर्तमान प्रकरण में माल विसरित किये गये थे अर्थात् डोप किया गया सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर यंत्र में आगे के उपयोग के लिए मिश्रित ऑनटू मॉलीब्डेनम डिस्क है।

(ख) कम्पैक्ट डिस्क (सी डी) राइटर

‘कम्पैक्ट डिस्क (सी डी) राइटर’ एक साधन है जो कम्प्यूटरों से संयोजन में सीडी पर लेखन तथा पुनर्लेखन की क्षमता वाले सहायक के रूप में उपयोग किया जाता है, सीमा शुल्क टैरिफ मे अध्याय 8471.90 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है।

दो आयातकर्ताओं द्वारा एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से आयातित सीडी राइटर/रिआइटर 8471.90 उप शीर्षक के बजाय भण्डारण इकाइयों के रूप में उप-शीर्षक 8471.70 के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 13.65 लाख रु. का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर विभाग ने बताया कि प्राथमिक रूप से, सी डी राइटर, फ्लोपी डिस्क ड्राइव की भांति स्वयं एक भंडारण यूनिट थी यद्यपि सी डी लेखनीय (दर्ज करने योग्य) या पुनर्लेखनीय (पुनः दर्ज करने योग्य) पर आकड़े पढ़ना तथा लिखना इसका विशिष्ट कार्य था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि डाटा प्रोसेसिंग मशीन का सहायक होने के कारण सी डी राइटर में केवल पढ़ने तथा आंकड़ा लिखने की क्षमता है और इसमें केवल एक बाह्य 6 X सी डी रीडर, ड्राइव प्रतिष्ठापन गाइड (डी सी), साफ्टवेयर, ड्राइवर डेस्कट, पैरेलल डाटा केबल, विद्युत आपूर्ति आदि होते हैं। यह एक भंडारण इकाई के रूप में कार्य नहीं करती है।

(ग) वातानुकूलन संयंत्रों के लिए मोटरें

सीमा शुल्क टैरिफ की धारा XVI के नोट 2 (ख) के अनुसार माल, जो एक विशेष प्रकार की मशीन के साथ पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से एक भाग के रूप में या एक मशीन के पहचान योग्य भाग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, उस प्रकार की मशीन के साथ वर्गीकृत होंगे।

एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से आयात किये गये "वातानुकूलन संयंत्रों में उपयोग हेतु मोटरें का एक परेषण सामान्य मोटर के रूप में उप शीर्षक 8501.10 के अन्तर्गत वर्गीकृत तथा

निर्धारित किया गया। वातानुकूलन संयंत्रों में उपयोग के लिए विशिष्ट पुर्जा संख्या वाले आयातित माल उप शीर्षक 8415.90 के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाते हैं। गलत वर्गीकरण के कारण 9.56 लाख रू. के कम शुल्क का उद्ग्रहण हुआ।

विभाग का ध्यान इसकी ओर जून 200 में दिलाया गया। उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2000)।

(घ) रूटर्स

डाटा प्रोसेसिंग मशीन के साथ इंटरफेस के माध्यम से "लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) या "वाइड एरिया नेटवर्क" (वैन) के द्वारा संचार के लिए संबंध बनाने हेतु "रूटर्स" एक उपकरण हैं। चूंकि टेलीफोन लाइन का लैन या वैन से संबंध स्थापित करने में रूटर्स सहायता करते हैं, इनका वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय उप शीर्षक 8517.50 के अन्तर्गत "कैरियर-करेंट लाइन प्रणालियों या डिजिटल लाइन प्रणालियों के लिए अन्य उपकरणों" के रूप में होना चाहिए।

तीन आयातकर्ताओं द्वारा एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से आयात किये गये रूटर्स को, स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन के पुर्जे के रूप में सीमा शुल्क टैरिफ के उप शीर्षक 8517.50 के इतर उपशीर्षक 8473 के अन्तर्गत वर्गीकृत तथा निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 7.98 लाख रू. का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (अगस्त 1999) विभाग ने तर्क दिया कि जब तक 'रूटर' में आन्तरिक रूप से मोडेम नहीं होगा, यह अध्याय उप शीर्षक 8517 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं होगा।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 'रूटर' एक नेटवर्क उपस्कर है जो इंटरफेस केबल तथा टेलीफोन लाइनों के माध्यम से लैन एवं वैन लाइनों के साथ संचार की सुविधा प्रदान करता है। आन्तरिक मोडेम का प्रावधान माल के मूल चरित्र को परिवर्तित नहीं करता है।

4.3 फोटोग्राफिक एवं नपाई यंत्र

(क) इमेज सेटर

लेजर आउटपुट रिकार्डिंग डिवाइस होने के कारण इमेज सेटर का वर्गीकरण सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय उपशीर्षक 9008.30 के अन्तर्गत होना चाहिए।

दो आयातकर्ताओं द्वारा एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से आयातित (फरवरी 1997/अगस्त 1999) "इमेज सेटर" के एक परेषण को टाइप सेटिंग की मशीन तथा उपकरण के रूप में बजाय उपशीर्षक 9008.30 के, अध्याय उपशीर्षक 8442.20 के अन्तर्गत वर्गीकृत करते हुए निर्धारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप 14.40 लाख रू. का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (मई 1998/जनवरी 2000) विभाग ने बताया कि इमेज सेटर, मुद्रण उद्योग में प्रतिबिम्बों के कम्पोज में उपयोग में लायी जाने वाली एक मशीन थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अंतर्निहित प्रक्रिया लिनोग्राफिक मुद्रण के लिए प्रतिबिम्बों को बढ़ाने तथा घटाने की है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 90 द्वारा विशिष्ट रूप से कवर होती है।

(ख) प्रोसेसर

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा XVI के नोट 2 (ख) के अनुसार एक विशेष मशीन या मशीनों के प्रकार के साथ पूर्ण रूप से या प्रधान रूप से उपयुक्त " मशीन के पुर्जे " मशीन से संबंधित समान शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से अप्रैल 1999 में आयातित " उर्जा मीटर पुर्जे " के रूप में विशेष रूप से प्रयोज्य 'प्रोसेसर' का एक परेषण सीमाशुल्क टैरिफ के उप शीर्षक 8542.19 के अन्तर्गत " मोनोलिथिक डिजिटल इन्टीग्रेटेड सर्किट " के रूप में वर्गीकृत किया गया। उर्जा मीटर का एकीकृत अंग होने के कारण, आयातित माल उप शीर्षक 9028.90 के अन्तर्गत और उचित रूप से वर्गीकरणीय था जो गैस, द्रव या विद्युत आपूर्ति के पुर्जे एवं अनुषंगियों या कैलिबरेटिंग मीटर शामिल करते हुए, उत्पादन मीटर से संबंधित है। गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप 6.36 लाख रु. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (दिसंबर 1999) विभाग ने बताया (जून, 2000) कि मद को एकीकृत सर्किट्स से संबंधित शीर्षक के अन्तर्गत सही रूप से वर्गीकृत किया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उर्जा मीटरों के पुर्जे सही रूप से 9028.90 शीर्षक के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

4.4 मूल धातुओं के पदार्थ

मूल धातु से निर्मित लचीला ट्यूब होते के कारण 'बेलोज', सीमा शुल्क टैरिफ के अध्याय उप शीर्षक 83.07 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं।

एक प्रमुख कमिश्नरी के माध्यम से आयातित (मई 1996) 'बेलोज' के एक परेषण को सीमाशुल्क टैरिफ के शीर्षक 83.07 के बजाय अध्याय शीर्षक 85.38 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप 9.09 लाख रु. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर विभाग का ध्यान दिसंबर 1996 और अप्रैल 1997 में दिलाया गया। उनका उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2000)। तथापि, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 1992-93 के लेखा परीक्षा पैरा संख्या

1.16 (viii) के उत्तर में 'बेलोज' का उप शीर्षक 8307.10 के अन्तर्गत वर्गीकरण किया जाना मंत्रालय ने पूर्व में स्वीकार किया था।

4.5 अन्य मामले

1.61 करोड़ रु. के शुल्क के कम उद्गहन को अंतर्निहित करते हुए 39 आयात कर्ताओं द्वारा आयातित माल के गलत वर्गीकरण के 32 अन्य मामले विभाग/मंत्रालय को सूचित किये गये थे। इनमें से 1.40 करोड़ रु. के 26 मामलों को विभाग ने स्वीकार किया और निम्नलिखित विवरण के अनुसार 20 मामलों में 99.80 लाख रु. की वसूली को सूचित किया:

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	उत्पादन के विवरण	आयात कर्ताओं की संख्या	शीर्षक जहां वर्गीकरणार्थ है	शीर्षक जहां वर्गीकृत किये गये	कम उद्गृहीत राशि	स्वीकृत राशि	वसूली की गयी राशि
1.	डेस्कजेट असेम्बली	1	8417.60	8471.70	19.91	19.91	19.91
2.	सेंटर बियरिंग असेम्बली	1	8708.88	8483.20	14.34	14.34	15.73
3.	सेटलाइट रिसेवर्स	1	85.28	85.25	11.22	11.22	--
4.	बुडेन शैल्स	1	9403.60	4418.30	9.52	9.52	--
5.	सेलफ्लेक्स केबल	1	85.25	85.29	8.53	8.53	--
6.	ऑपरेशन टेबल	1	9402.90	9018.90	7.77	7.77	7.77
7.	एम एच एफ के रैबल आर्म	1	7325.99	7506.20	6.47	6.47	6.47
8.	सीट बेल्ट के पुर्जे	1	8708.29	7227.90 7320.90	6.28	6.28	4.55
9.	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	3	8460.31	8524.90 8525.91	6.19	6.19	6.19
10.	टोनर्स	2	3215.90	8473.30	5.66	--	--
11.	फिल्स प्रोसेसर्स	3	90.10	90.22	5.33	5.33	4.67
12.	सल्फर कंटेंट एनालाइजर	1	9031.49	9027.50	5.24	--	--
13.	पोलशू	1	85.11	85.08	4.96	4.96	3.81
14.	फोटोग्राफिक फिल्म	1	3701.99	3701.20	4.37	4.37	2.01
15.	अलार्म प्रणाली	1	8531.10	9030.89	4.14	4.14	4.14
16.	एक्स-रे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन	2	9022.90	9022.14	3.77	3.77	3.77
17.	फिन्ड ट्यूब्स	1	7304.90	8402.90	3.71	3.71	3.71
18.	मैग्नेट्रॉस	1	8540.41	8516.90	3.48	3.48	--
19.	जंक्शन बॉक्स	1	8536.90	4421.90	3.39	3.39	3.39
20.	यू पी एस	2	8543.89	8504.40	3.33	3.33	--
21.	कम्प्रेसर के फालतू पुर्जे	1	8414.90	4016.93	3.31	--	--
22.	स्विच डायल	1	8517.90	8536.50	3.12	3.12	3.12
23.	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग प्रणाली	1	8471.90	8471.10	2.30	--	--
24.	साबुन विनिर्माण उपकरण	1	8479.82	9027.80	2.27	--	--
25.	ए.सी. के लिए कुण्डलीदार ट्यूब्स आदि	1	8415.90	7609.00	2.25	--	--
26.	डिस्प्लेसमेंट पर्म्सों के लिए घटक	1	6914.90	8413.50	2.22	2.22	2.22

2001 की रिपोर्ट संख्या 10 (अप्रत्यक्षकर - सीमाशुल्क)

27.	मोडम	1	8517.40	8529.90	2.17	2.17	2.17
28.	डम्पर्स के लिए असेम्बली	1	87.08	84.83	1.47	1.47	1.47
29.	मैग्नेटिक टेप	1	85.24	9015.80	1.28	1.28	1.28
30.	सिरेमिक के आर्टिकल	1	6914.50	8479.70	1.25	1.25	1.25
31.	इंटरटेक सी एन ससी के फालतू पुर्जे	1	8538.90	8466.98	1.12	1.12	1.12
32.	मूल धातु के पदार्थ	1	83.11	8515.90	1.05	1.05	1.05
	जोड़	39			161.42	140.39	99.80

अध्याय 5 : गलत रूप से छूट प्रदान किये जाने के कारण कम उद्ग्रहण

गलत रूप से छूट प्रदान किये जाने के कारण कुल 11.86 करोड़ रू. के शुल्क का कम उद्ग्रहण मंत्रालय/विभाग को बताया गया। कुछ निदर्शी मामलों का उल्लेख नीचे किया गया है:-

5.1 छूट अधिसूचना का गलत प्रयोग

(क) (i) अधिसूचना सं. 11/97 सी शु (क्रम संख्या 173) दिनांक 1 मार्च 1997 के अनुसार कम्प्यूटर साफ्टवेयर को आधार भूत सीमाशुल्क के भुगतान से मुक्त रखा गया है। जबकि उपरोक्त अधिसूचना को अन्य अधिसूचना संख्या 3/98-सी शु दिनांक 11 फरवरी 1998 द्वारा संशोधित किया गया "कम्प्यूटर साफ्टवेयर" की परिभाषा का स्पष्टीकरण यह मानने के लिए किया गया कि "एक मशीन रीडेबल फार्म में रिकार्ड किये गये स्त्रोत कोड एवं ऑब्जेक्ट कोड को शामिल करते हुए निर्देशों, आंकड़ों, ध्वनि या इमेज का कोई भी प्रतिनिधित्व और शीर्षक 84.71 के अन्तर्गत पढ़ने वाली स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन के माध्यम से एक प्रयोक्ता को इंटरएक्टिविटी उपलब्ध कराने में और छलयोजित करा पाने में सक्षम परन्तु जिसमें डाटा प्रक्रमण तथा स्वचालित डाटा प्रक्रमण के संयोगी या संयोजन में काम कर रही के अतिरिक्त अन्य विनिर्दिष्ट कार्य का निष्पादन करने वाली किसी मशीन के परिचालन के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर सम्मिलित नहीं है।" इसलिए आपरेंटिंग मशीनों तथा दूरसंचार प्रणाली के लिए आयातित सॉफ्टवेयर, कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आते है और छूट के पात्र नहीं हैं।

20 आयातकर्ताओं द्वारा एक एअर कार्गो कामप्लेक्स के माध्यम से मशीनरी तथा दूरसंचार प्रणाली के लिए आयातित परिचालन साफ्टवेयर के 55 परेषण अध्याय शीर्षक 8524.90 के अन्तर्गत वर्गीकृत किये गये और अधिसूचना संख्या 36/96 एवं 11/97-सी शु दिनांक क्रमशः 23 जुलाई 1996 और 1 मार्च 1997 के अन्तर्गत निर्धारित किये गये।

मशीन तथा दूरसंचार प्रणाली के लिए परिचालन साफ्टवेयर होने के कारण माल, अधिसूचना संख्या 11/97 के लाभ के पात्र नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप 5.77 करोड़ रू. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (मई से नवंबर 1998) एक मामले में विभाग ने एक लाख रू. की वसूली की और यह बताते हुए कि सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 11/97 सभी प्रकार के कम्प्यूटर साफ्टवेयर को कवर करती है एवं इस प्रकार इसके अंतिम उपयोग पर ध्यान दिये बिना 'शून्य' दर के शुल्क के लिए दायी थी, बकाया मामलों को चुनौती दी। यह भी बताया गया था कि इसी प्रकार का एक मामला सीगैट (पूर्वी बेंच) कलकत्ता में लम्बित था और एक स्थगन अनुमत किया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना संख्या 3/98 अधिसूचना संख्या 11/97 का केवल स्पष्टीकरण मात्र था और छूट प्रारंभ से केवल 'कम्प्यूटर साफ्टवेयर' के लिए उपलब्ध थी और न "सभी साफ्टवेयर" के लिए। सीगैट (पूर्वी शाखा) द्वारा बताया गया अनुमत स्थगन, केवल अधिनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा आदेशित पूर्व जमा के लिये ही था।

(ii) अधिसूचना संख्या 23/98 -सी शु दिनांक 2 जून 1998 और 12/97 सी शु दिनांक 1 मार्च 1997, 1000 रु. प्रति पीस से अधिक मूल्य वाले सी आई एफ के इन्टीग्रेटेड सर्किट (आई सी) को शुल्क में छूट वाली दर और 'शून्य' दर की विशेष शुल्क की प्रावधान करती हैं। अधिसूचना संख्या 97/98 सी शु दिनांक 27 नवंबर 1998 द्वारा 27 नवम्बर 1998 से छूट वाली शुल्क की यह दर कम्प्यूटरों के लिए नयी पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर पर भी विस्तृत की गयी थी।

12 आयातकर्ताओं द्वारा 27 नवंबर 1998 की अधिसूचना जारी होने के पहले जून से नवंबर 1998 के दौरान आयात किये गये नयी पीढ़ी के माइक्रोप्रोसेसर के 38 परेषण उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित किये गये थे। नयी पीढ़ी माइक्रोप्रोसेसर जो पॉपुलेटेड प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड के रूप में थे और न कि आई सी के होने के कारण गलत छूट के परिणामस्वरूप 3.46 करोड़ रु. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाये जाने पर (दिसंबर 1998 से अप्रैल 1999), विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2000) और 5 परेषणों के प्रति 3.28 लाख रु. की वसूली सूचित की (अगस्त 2000)। बकाया राशि के वसूली विवरण प्रतीक्षित हैं।

(ख) सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 23/98 दिनांक 2 जून 1998 कच्चे पेट्रोल रिफाइनरी लगाने के लिए विनिर्दिष्ट माल को शुल्क के भुगतान से मुक्त करती है।

एक प्रधान समुद्र तट के माध्यम से आयात किये गये (जून 1998) "सीमलेस कंस्ट्रक्शन पाइप्स" (अध्याय 73) के एक परेषण को उसी अधिसूचना के अंतर्गत निर्धारित किया गया। आयातकर्ता की घोषणा के अनुसार (जून 1998) आयातित माल का उपयोग एक रिफाइनरी में मौजूद पाइपों को बदलने के लिए किया जाना था। इसलिए वे उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारण के पात्र नहीं थे। छूट की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 24.06 लाख रु. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (दिसंबर 1998) मंत्रालय ने कम उद्ग्रहण की वसूली को सूचित किया (दिसंबर 2000)।

(ग) सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 66/94 दिनांक 1 मार्च 1994 उर्वरक कारखानों के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक उपरोक्त मदों के विनिर्माण के लिए, (i) मशीन, उपस्कर, उपकरण एवं उपयंत्र या कच्चे माल या उपभोज्य भंडारों को छूट प्रदान करती है।

एक उर्वरक कारखाने के पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण के लिए एक प्रधान पत्तन के माध्यम से आयातित (जनवरी 1996) "सिंथेसिस कैटलिस्ट" के 156.220 मी टन को दिनांक 1 मार्च 1994 की अधिसूचना के अन्तर्गत छूट अनुमत की गयी थी यद्यपि अधिसूचना में दर्ज मदों की परिभाषा के अन्तर्गत कैटलिस्ट नहीं आते हैं। गलत छूट के परिणामस्वरूप 21.22 लाख रु. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसकी ओर ध्यान दिलाने पर (जून 1996 और मार्च 1998) विभाग ने निर्धारण को इस आधार पर न्यायसंगत बताया (नवंबर 1998) कि उपभोज्य होने के कारण कैटलिस्ट को रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण में सम्मिलित किया गया था (15 सितंबर 1995)।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि:

(i) कैटलिस्ट एक पदार्थ है जो एक रासायनिक प्रतिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है और अपरिवर्तित रूप तथा मात्रा में अनिवार्य रूप से वापस पाया जा सकता है। इसलिए कैटलिस्ट को एक उपभोज्य के रूप में नहीं माना जा सकता है।

(ii) कैटलिस्ट की उपस्थिति एक रासायनिक प्रक्रिया को सामान्यतः तीव्र कर देती है परन्तु यह प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है।

(iii) जब कोई अधिसूचना किन्ही विनिर्दिष्ट मदों को लाभ के लिए अनुमत करती है तो लाभ केवल उन्हीं मदों को मिलना चाहिए। अनिवार्यता प्रमाणपत्र किसी अधिसूचना की आधारभूत आवश्यकता को परिवर्तित नहीं कर सकते हैं जैसा उमा आर्ट्स स्टूडियो बनाम सीमाशुल्क समाहर्ता {1989 (40) इ एल टी 115 (ट्राई)} के मामले में सीगैट द्वारा निर्णय दिया गया है।

(घ) अधिसूचना संख्या 39/96-सी शु दिनांक 23 जुलाई 1996 यथा संशोधित के अनुसार भारतीय नौ सेना के पोतों के विनिर्माण या फिटिंग्स के लिए आवश्यक माल यदि भारत सरकार द्वारा या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या उस सरकार के एक विभाग के आदेश द्वारा प्रेषित और लदान के समय उस आदेश को विनियुक्त हों तो उन्हें सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क से मुक्त रखा गया था।

एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ने वी/यू एच एफ ट्रांस-रिसीवर्स की 62 मदों को भारतीय नौ सेना के पोतों के फिटिंग्स हेतु "ऑन बोर्ड औजारों एवं बेस डिपो औजारों के रूप में 23 जुलाई 1996 की अधिसूचना के अन्तर्गत आयात किया (अगस्त 1997)। रक्षा मंत्रालय ने केवल 42 मदों के लिए शुल्क मुक्त प्रमाणपत्र जारी किये थे। मदों की अधिक मात्रा (20 संख्या) को छूट मुक्ति की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप 9.06 लाख रु. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। इसकी ओर नवंबर 1999 में ध्यान दिलाया गया। विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (दिसंबर 2000)।

(ड.) सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 155/94 दिनांक 31 जुलाई 1994 कुछ निश्चित विनिर्दिष्ट माल को शुल्क भुगतान से मुक्त करती है यदि उनका उपयोग कुछ निश्चित दशाओं को पूरा करता हुए रक्षा सेवाओं द्वारा किया गया हो।

एक प्रधान समुद्री पत्तन के माध्यम से रक्षा मंत्रालय के अधीन एक अनुसंधान संगठन द्वारा आयातित (अप्रैल 1995) "अल्युमिनियम प्लेट्स" के एक परेषण को गलती से 13 जुलाई 1994 की अधिसूचना के अन्तर्गत मुक्ति दी गयी यद्यपि माल की "नागरिक विमानों के पुर्जों के रूप में घोषण की गयी थी। "रक्षा उद्देश्यों के अलावा अन्य" के लिए आयातित माल पर गलत मुक्ति अनुमत करने के परिणामस्वरूप 6.55 लाख रु. का कम उद्ग्रहण हुआ।

ध्यान दिलाने पर (अगस्त 1995) विभाग ने 6.55 लाख रु. की एक मांग नोटिस जारी की (सितम्बर 1995) तथापि, मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2001) कि मामला सी बी आई द्वारा अन्वेषण के अधीन है तथा इसके परिणाम प्रतीक्षित हैं।

मामले से पता चला कि रक्षा सेवाओं द्वारा आयातों के लिए अभिप्रेत छूटों का शुल्क से बचने के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा दुरुपयोग किया गया था।

5.2 ई ओ यू को गलत छूट का प्रदान किया जाना

(क) अधिसूचना संख्या 96/93 सी शु दिनांक 2 मार्च 1993 के अनुसार एक 100 प्रतिशत ई ओ यू अन्त उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए पूंजीगत माल, कच्चे माल, उपभोज्य आदि के शुल्क मुक्त आयात हेतु पात्र थी।

कम्प्यूटर हार्डवेयर प्रणालियों और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के विनिर्माण की अनुमति प्राप्त एक 100 प्रतिशत ई ओ यू ने दिनांक 2 मार्च 1993 की अधिसूचना के अन्तर्गत बिना शुल्क भुगतान किये 1994-95 के दौरान कम्प्यूटर हार्डवेयर मर्दों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल तथा उप यंत्रों की अधिप्राप्ति की।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि कम्प्यूटर हार्डवेयर के विनिर्माण तथा निर्यात के लिए लाइसेंसकर्ता द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी। इस प्रकार माल पर उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत 46.10 लाख रु. की शुल्क की छूट ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर 1998) विभाग ने बताया (सितंबर 1999) कि कारण बताओ नोटिस जारी की गयी है (नवंबर 1998)।

(ख) सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 138/91 दिनांक 22 अक्टूबर 1991 और 95/93 दिनांक 18 मई 1995, विनिर्दिष्ट माल को शुल्क मुक्त करती है जब वह निर्यात के लिए साफ्टवेयर विनिर्मित/विकसित करने के उद्देश्य से आयातित किये गये हों।

i) एक 100 प्रतिशत ई ओ यू को सॉफ्टवेयर विकसित करने की अनुमति दी गयी। दिनांक 22 अक्टूबर 1991 की अधिसूचना के अन्तर्गत 42.27 लाख रु. के शुल्क का भुगतान न करते हुए सितंबर 1993 से दिसंबर 1996 के दौरान पूंजीगत माल, जैसे कम्प्यूटर आयातित किये गये।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लाइसेंसकर्ता निर्यात के लिए सॉफ्टवेयर विकसित नहीं कर रहा था बल्कि विदेशी ग्राहकों के लिए आंकड़ों के प्रतिलेखन से संबंधित कार्यकलापों को निष्पादित कर रहा था। प्रशिक्षार्थियों की प्रतिलेखन कुशलता विकसित करने के उद्देश्य से भी लाइसेंसकर्ता आयातित माल का उपयोग कर रहा था।

ध्यान दिलाने पर (जून 1997) विभाग ने बताया (अगस्त 1997) कि पूंजीगत माल, कच्चे माल, उपभोज्य आदि के शुल्क मुक्त आयात के उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर विकास के कार्यकलाप के साथ साथ डाटा इन्ट्री, डाटा कन्वर्जन, डाटा प्रोसेसिंग आदि को योग्य कार्यकलापों के रूप में शामिल करने के लिए अधिसूचना संख्या 138/91 को नवंबर 1996 में संशोधित कर दिया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संशोधन ने अधिसूचना के कार्यक्षेत्र को केवल विस्तारित कर दिया और आयात, संशोधन के जारी होने के पहले किये जा चुके थे।

ii) एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई ने इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (ई पी ए बी एक्स) प्रणालियों का आयात किया। अधिसूचना संख्या 95/93 सी शु दिनांक 2 मार्च 1993 के लाभ को विस्तृत करते हुए माल को विभाग ने शुल्क मुक्त निर्धारित किया।

चूंकि आयातित माल अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल की श्रेणी में नहीं आते हैं इसलिए माल पर 10.22 लाख रु. की सीमा की शुल्क मुक्ति अनियमित थी और वसूली योग्य थी।

ध्यान दिलाने पर (मई 1998) विभाग ने बताया (अप्रैल 1999) कि एक कारण बताओ नोटिस जारी की गयी थी।

5.3 अन्त उपयोग का सत्यापन न किया जाना

(क) 1 मार्च 1994 और 1 मार्च 1997 के बीच में जारी सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 19/94, 36/96 एवं 11/97 किरोसीन को शुल्क भुगतान से मुक्त करती है यदि सामान्यतः इसका उपयोग तेल प्रज्ज्वलित लैंप में प्रदीपक के रूप में किया जाता है।

दिसंबर 1995 तथा मई 1997 के मध्य आयात किये गये निर्गन्धीकृत किरोसीन के 168 मी टन को उपरोक्त अधिसूचना के अन्तर्गत यह सुनिश्चित किये बिना शुल्क मुक्ति अनुमत की गयी कि

क्या इसका सामान्य उपयोग प्रदीपक के रूप में किया जा सकता है। बाद में विभाग ने सुनिश्चित किया कि मद का उपयोग मच्छर मार दवा बनाने में किया गया था और विभाग ने काल बाधित मांग उठायी जिसे आयातकर्ता ने अस्वीकार कर दिया। गलत शुल्क मुक्त निकासी के परिणामस्वरूप 16.88 लाख रू. के राजस्व की हानि हुई।

ध्यान दिलाने पर (जुलाई 1999) विभाग ने बताया (नवंबर 1999) कि मच्छर मार दवा तैयार करने में निर्गन्धीकृत किरोसीन के उपयोग की छूट अधिसूचना के लाभ का फायदा लेने के लिए, पात्रता तय करने के लिए बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा गया था।

विभाग का उत्तर प्रासंगिक नहीं है। आयातित माल छूट के फायदे के उपयुक्त नहीं था क्योंकि अधिसूचना में निहित दशाएं पूरी नहीं की गयी थीं।

(ख) एक अन्य आयातकर्ता ने अप्रैल 1998 में 382.262 मी टन उत्तम केरोसीन तेल का आयात किया। विभाग ने अधिसूचना संख्या 11/97 सी शु दिनांक 1 मार्च 1997 के अन्तर्गत माल का निर्धारण किया।

ध्यान दिलाने पर (जून 1999) कि आयातित किरोसीन तेल का उपयोग प्रज्वलनशील लैम्पों में ही किया गया था और अनुमत छूट अनियमित थी जिसके परिणामस्वरूप 9.21 लाख रू. का कम उद्ग्रहण हुआ, विभाग ने आपत्ति को स्वीकार किया (मार्च 2000) और बताया कि मांग की पुष्टि हो गयी थी।

(ग) अधिसूचना संख्या 11/97 सी शु दिनांक 1 मार्च 1997 ने निश्चित माल पर मूल सीमा शुल्क पर रियायती दरें अनुमत की जब उनका आयात चर्म उद्योग में उपयोग के लिये किया गया हो। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 9 अप्रैल 1997 के अनुसार इस छूट का लाभ उठाने के लिए इस माल के आयातकर्ता को यह साबित करना चाहिए कि माल का उपयोग वास्तव में अभिप्रेत उद्देश्य के लिए किया गया था। केन्द्रीय उत्पादशुल्क एवं सीमाशुल्क मंडल के दिनांक 6 अक्टूबर 1998 के परिपत्र ने भी स्थिति को यह बताते हुए दुहराया कि माल की निकासी के समय अन्त उपयोग दशाओं को अनुबद्ध किया जाना चाहिए।

अगस्त/दिसंबर 1997 और फरवरी 1998 के दौरान आयात किये गये 'पोली विनाइल अल्कोहल' के तीन परेषण उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत बिना यह निश्चित किये निर्धारित किये गये कि आयातित मदें चर्म उद्योग में उपयोग के लिए थीं। अन्त उपयोग शर्तों को अनुबद्ध किये और अन्त उपयोग के सबूत को निश्चित किये बिना माल की निकासी के परिणामस्वरूप 3.80 लाख रू. के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

ध्यान दिलाने पर (जून, जुलाई, एवं अगस्त 1998) विभाग ने बताया (जून 1999) कि अन्त उपयोग शर्त के अनुबद्ध करने की प्रथा प्रारंभ करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर के.उ.शु. और सी शु मं ने अक्टूबर 1998 में निर्देश जारी किये थे और इस मामले में निर्धारण के उ शु एवं सी शु मं द्वारा परिपत्र जारी करने के पूर्व किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना ने केवल चर्म उद्योग में उपयोग हेतु आयातित मर्दों पर रियायत अनुमत की थी। चूंकि आयातकर्ता केवल एक व्यापारी था और मद की अनेक उपयोगिता थी, विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि आयातित मद वास्तव में चर्म उद्योग में उपयोग हेतु अभिप्रेत थी।

5.4 अन्य मामले

छूट की गलत अनुमति के कारण 73.74 लाख रु. अंतर्निहित करते हुए 17 अन्य मामलों में विभाग/मंत्रालय को आपत्तियां जारी की गयी थीं। विभाग ने 12 मामलों में आपत्तियों को स्वीकार किया और 10 मामलों में 39.47 लाख रु. की वसूली सूचित की जैसा आगे दर्शाया गया है:

(रूपये लाख में)

क्रम सं.	उत्पाद जिन पर छूट अनुमत की गयी	उदग्रहीत राशि	स्वीकार की गयी राशि	वसूली की गयी राशि
1.	ग्लिसरील मानोस्टीक्स्ट	10.79	10.79	10.79
2.	इसो पैराफिन हाईड्रोकार्बन	8.58	--	--
3.	डायोड्स	7.45	7.45	3.72
4.	दायर्स	7.12	7.12	7.12
5.	विद्युत माल	7.08	--	--
6.	अलाइनिंग मशीन	5.97	5.97	4.96
7.	बेस ट्रांससीवर्स स्टेशन पोर्ट के लिए साफ्टवेयर	4.93	4.93	4.93
8.	वैल्यू असेंबली	4.61	4.61	2.30
9.	डायमोस्टिक किट	2.77	--	--
10.	रूपये गिनने की मशीन के लिए साफ्टवेयर	2.70	--	--
11.	एक्साइजर लेजर	2.27	2.27	1.51
12.	ब्लड बैग्स	2.03	2.03	1.36
13.	निकल कैडमियम बैट्रियां	1.86	1.86	--
14.	प्लास्टिक बोर्ड	1.73	1.73	1.73
15.	स्लाइड तरह के प्रॉग (बटन)	1.65	--	--
16.	ई पी ए बी एक्स प्रणाली	1.15	1.15	--
17.	चिलर एवं कन्डेन्सर	1.05	1.05	1.05
	योग	73.74	50.96	39.47

अध्याय 6 : अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अनुसार कोई वस्तु जो भारत में आयात की गई है, भारत में उत्पादित ऐसी ही वस्तु पर उस समय उद्ग्रह्य केन्द्रीय उत्पादशुल्क के बराबर 'अतिरिक्त शुल्क' के लिए भी दायी होगी।

नीचे यथा वर्णित 32 मामलों में 2.43 करोड़ रुपये की राशि के अतिरिक्त शुल्क के कम उद्ग्रहण मंत्रालय को सूचित किये गये थे:

6.1 छूट के गलत प्रदान किए जाने के कारण अतिरिक्त शुल्क का अनुद्ग्रहण

(क) संघटित मोटर के अलावा सिलाई मशीनों को केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिसूचना सं. 17/98 दिनांक 18 जुलाई 1998 और 5/99 दिनांक 28 फरवरी 1999 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादशुल्क से छूट प्राप्त है।

एक इनलैंड कन्टेनर डिपू और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स के माध्यम से तीन आयतकों (अगस्त 1998 से सितम्बर 1999) द्वारा आयातित औद्योगिक सिलाई मशीनों के 23 परेषण केन्द्रीय उत्पादशुल्क अधिसूचना सं. 17/98 और 5/99 के लाभ का विस्तार करते हुए निर्धारित किये गये थे।

चूँकि आयातित मशीनें संघटित मोटरों में रखी हुई थीं जिन्हें परिवहन सुविधा के लिए मात्र अलग से पैक किया गया था, माल पूर्वोक्त छूट के लिए उपयुक्त नहीं था। छूट अधिसूचना के गलत लागू करने के परिणामस्वरूप 90.59 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 1999 से जनवरी 2000) विभाग ने बताया (नवम्बर 2000) कि मोटरों को सिलाई की मशीनों के अन्तर्गत नहीं लगाया गया था। उन्हें बाह्य रूप से सज्जित करना है और वी बेल्ट का उपयोग करते हुए एक धिरनी तंत्र के माध्यम से प्रचालनात्मक रूप से मशीनों को जोड़ना है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूँकि आयात दस्तावेजों से पता चला कि मशीनें हस्त प्रचालित नहीं थी और उन्होंने मात्र मोटरों की सहायता से कार्य किया। कलक्टर बनाम अलकाव ओवरसीज {1999(106) ई एल टी 165 (टी)} के मामले में यह निर्णय दिया था कि सिलाई की मशीन में प्रयुक्त 'मोटर-क्लच मोटर' ऐसी मशीन का एक अभिन्न अंग है।

(ख) दिनांक 2 जून 1998 की अधिसूचना सं. 5/98-सी ई ने 'बैटरी शक्ति से चलने वाले सड़क वाहनों' को शुल्क की रियायत दर अनुमत की गई।

समुद्री सीमाशुल्क कमिश्नरी, मुम्बई (दिसम्बर 1998 और जनवरी 1999) के माध्यम से आयातित 'बैटरी प्रचालित 4 पहियों वाले गोल्फ कारस' के दो परेषणों को दिनांक 2 जून 1998 की अधिसूचना के अन्तर्गत सी वी डी की रियायत दर अनुमत की गई थी। चूँकि गोल्फ कार गोल्फ कोर्स पर चलाने के लिए बने हैं और न कि सड़क पर चलाने हेतु, इसलिए अनुमत छूट गलत थी और इसके परिणामस्वरूप 27.29 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (जून और जुलाई 1999) विभाग (अगस्त, दिसम्बर 1999) ने विचार दिया कि चूँकि गोल्फ कार को गोल्फ कोर्सेस के अंदर से सड़कों पर लगाया गया था इसलिए यह छूट का हकदार था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि रियायत का लाभ मात्र 'सड़क वाहनों' को जो बैटरी द्वारा प्रचालित थे को उपलब्ध था। यह लाभ गोल्फ कोर्सेस में प्रयुक्त वाहनों को नहीं दिया जा सकता जहाँ गोल्फ कोर्स के अन्दर सड़कों पर चलाया जाना केवल उनके मूल कार्य के प्रासंगिक है।

6.2 गलत दर के लागू करने के कारण अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण

68 से मी से बड़े स्क्रीन आकार के रंगीन टेलीवीजन सेटों को दिनांक 2 जून 1998 की केन्द्रीय उत्पादशुल्क की अधिसूचना सं. 5/98 की शर्तों के अनुसार 5400 रुपये प्रति सेट की दर पर अतिरिक्त शुल्क लगाया।

एक प्रमुख समुद्री कमिश्नरी के माध्यम से आयातित (नवम्बर 1998 और फरवरी 1999) 68 से मी से बड़े स्क्रीन आकार के रंगीन टेलीविजन सेटों के दो परेषण निम्न दर पर अतिरिक्त शुल्क के लिए निर्धारित किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप 30.90 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (मई से जुलाई 1999) विभाग ने कम उद्ग्रहण की वसूली सूचित की (दिसम्बर 1999)।

6.3 अन्य मामले

28 अन्य मामलों में छूट के गलत दिये जाने, गलत वर्गीकरण अथवा गलत संगणना के परिणामस्वरूप 84.20 लाख रुपये के अतिरिक्त शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ, जिसमें से 58.61 लाख रुपये वाले 25 मामले स्वीकार किये गये थे और 38.35 लाख रुपये की वसूली विभाग द्वारा नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार 20 मामलों में की गई थी:

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	माल जिस पर शुल्क कम उद्ग्रहीत किया गया	अनियमितता	कम उद्ग्रहीत राशि	स्वीकार्य राशि	वसूल की गई राशि
1.	सिगरेट्स	गलत वर्गीकरण	12.99	--	--
2.	रोलिंग मिल के लिए रोल्स	गलत वर्गीकरण	8.02	--	--
3.	सिगरेट की डिब्बियों के लिए खोल	गलत वर्गीकरण	5.50	5.50	--
4.	केबल्स	गलत वर्गीकरण	5.31	5.31	--
5.	नाइलोन टायर रेप शीट	गलत वर्गीकरण	5.08	4.13	0.64
6.	फिलामेंट यार्न	गलत संगणना	4.21	4.21	4.21
7.	टफेंड ग्लास	छूट	3.99	3.99	3.99
8.	केटेलाइटिक कनवरटर्स	गलत वर्गीकरण	3.80	3.80	3.80
9.	वूवेन फैब्रिक	गलत संगणना	3.63	--	--

10.	पम्प एसेम्बली घटक	गलत वर्गीकरण	3.19	3.19	3.19
11.	ग्रेनाईट इलेक्ट्रोडस	गलत संगणना	2.55	2.55	--
12.	फोटो प्लेटस	गलत वर्गीकरण	2.52	2.52	2.52
13.	कॉटन फैब्रिक्स	गलत संगणना	2.46	2.46	--
14.	ओवरहेड क्रेन	गलत संगणना	2.38	2.38	2.38
15.	फिल्टर एलीमेंट्स	गलत वर्गीकरण	1.77	1.77	1.77
16.	सिन्थेटिक केन्वाज	गलत संगणना	1.77	1.77	1.77
17.	ज्वायंट शेफट	गलत संगणना	1.63	1.63	1.63
18.	फ्यूजिंग प्रेस	गलत वर्गीकरण	1.47	1.47	1.47
19.	एक्रायलिक पीच फैब्रिक	छूट	1.46	1.46	2.95
20.	साउंड स्केनरस	गलत वर्गीकरण	1.27	1.27	--
21.	रेगुलेटरस	गलत वर्गीकरण	1.26	1.26	1.26
22.	पोलीप्रोपाइलीन	गलत संगणना	1.25	1.25	1.25
23.	हाइड्रोलिक ड्राइविंग यूनिटें	गलत संगणना	1.21	1.21	1.21
24.	पोली टेद्रा फ्लोरइथाइलीन	छूट	1.20	1.20	0.44
25.	केथोड रे ट्यूब	गलत वर्गीकरण	1.14	1.14	1.14
26.	कारटून्स	गलत संगणना	1.10	1.10	1.10
27.	प्रोपाइलीन	गलत संगणना	1.03	1.03	0.62
28.	स्वीच	गलत वर्गीकरण	1.01	1.01	1.01
	जोड़		84.20	58.61	38.35

अध्याय 7 : विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क का अनुदग्रहण

2 जून 1998 से समाविष्ट सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 ए के अनुसार कोई वस्तु जिसका भारत में आयात किया जाता है, विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क (वि अ सी शु) के लिए दायी होगी, जो भारत में उस वस्तु की बिक्री अथवा खरीद पर समय-समय पर उद्ग्राह्य बिक्री कर और स्थानीय उद्ग्रहणों को ध्यान में रखकर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दर पर लगाया जाएगा।

7.1 छूट अधिसूचना का अस्वीकार्य लाभ

अधिसूचना सं. 29/98-सी शु दिनांक 2 जून 1998 में उन सभी माल को विशेष अतिरिक्त शुल्क (वि अ शु) से छूट प्रदान की गई है जिन्हें सीमाशुल्क और अतिरिक्त सीमाशुल्क (केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ के अन्तर्गत देशीय माल पर उत्पादशुल्क के बराबर) से छूट प्रदान की गई थी। इस अधिसूचना का स्थान सीमाशुल्क टैरिफ में 'निःशुल्क दरों' और अतिरिक्त शुल्क से छूट प्राप्त के साथ विनिर्दिष्ट माल को शामिल करने के लिए 13 जून 1998 की अन्य अधिसूचना ने ले लिया था। सीमाशुल्क टैरिफ में 'सीमाशुल्क की निःशुल्क दरों' के साथ विनिर्दिष्ट माल और माल जो छूट से भिन्न कारणों के लिए केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ में उत्पादशुल्क योग्य नहीं थे, को अधिसूचना सं. 56/98 -सी शु दिनांक 1 अगस्त 1998 के अन्तर्गत केवल विशेष अतिरिक्त शुल्क के उद्ग्रहण से छूट प्राप्त थी।

(क) ट्यूटीकोरीन और कलकत्ता कमिश्नरियों के माध्यम से जून 1998 और अप्रैल 1999 के दौरान 39 आयातकों द्वारा आयातित सीमाशुल्क के अन्तर्गत शुल्क की निःशुल्क दरों और केन्द्रीय उत्पादशुल्क टैरिफ के अन्तर्गत 'शून्य' दरों के साथ कपास रॉक फोस्फेट सूचना प्रौद्योगिक सॉफ्टवेयर तैयार चमड़ा और कच्चा काजू इत्यादि के 67 परेषण वि अ शु के भुगतान किये बिना निपटाये गये थे। इसके परिणामस्वरूप 2.09 करोड़ रु.पये की राशि के शुल्क का कम संग्रहण हुआ।

इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 1998, मार्च, जुलाई और सितम्बर 1999) विभाग ने बताया (दिसम्बर 1998, अप्रैल और नवम्बर 1999) कि चूँकि आयातित माल पर सांविधिक रूप से 'शुल्क की निःशुल्क दरों' को लगाया गया इसलिए उन्हें वि अ शु से छूट प्राप्त थी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूँकि उद्ग्राह्य शुल्क से छूट टैरिफ में दिये गये 'निःशुल्क/शून्य' शुल्क के बराबर नहीं हो सकती। दिनांक 13 जून 1998 की अधिसूचना में मद का अनुगामी शामिल करने का तथ्य लेखापरीक्षा तर्क को प्रमाणित करता है।

(ख) सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 22/99 दिनांक 28 फरवरी 1999 में वि अ शु के भुगतान से अधिसूचना में यथा अनुबद्ध विशिष्ट प्रयोजनों के लिए आयातित माल को छूट प्राप्त है।

दिल्ली कमिश्नरी के माध्यम से 'परियोजना आयात' (अक्तूबर 1998) के अन्तर्गत और व्यापार (अप्रैल 1998, सितम्बर 1999 और फरवरी 2000) के अलावा प्रयोजन हेतु आयातित शुल्क योग्य माल के 11 परेषणों को वि अ शु भुगतान से छूट प्राप्त थी। चूँकि प्रयोजन जिसके लिए माल को

छूट प्राप्त है वे अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी भी शर्तों के अन्तर्गत नहीं आते हैं इसलिए 16.28 लाख रुपये की राशि की प्रदान की गई छूट की वसूल करने की आवश्यकता थी।

इसे बताए जाने पर (फरवरी/अगस्त 1999 और फरवरी/जून 2000) मंत्रालय ने एक मामले में 4.21 लाख रुपये की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2000)।

अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

7.2 अन्य

इसी प्रकार मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई कमिश्नरियों के माध्यम से जून से अक्टूबर 1998 के दौरान आयात किए गए माल के 18 अन्य परेषणों के संबंध में 21.70 लाख रुपये के विशेष अतिरिक्त शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

इसे बताए जाने पर (दिसम्बर 1998 से सितम्बर 1999) विभाग ने आठ मामलों में 16.55 लाख रुपये की वसूली सूचित की (मई 1999 और अप्रैल 2000 के मध्य)।

अध्याय 8 : शुल्क छूट योजना

8.1 निर्यात दायित्व को पूरा न करना

(क) अग्रिम लाइसेंसिंग योजना

कार्यविधियों की पुस्तिका 1992-97 खंड I के पैरा 128 के अनुसार यदि मात्रा और मूल्य दोनों के संबंध में निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया जाता है तो वाबाल और मा आ अ ला दोनों के लाइसेंस धारक को नियमानुकूलन के लिए निम्नलिखित अदा करना पड़ेगा:

- (i) अप्रयुक्त आयातित सामग्री पर सीमाशुल्क के साथ उस पर 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज सीमाशुल्क प्राधिकारी को,
- (ii) राशि जो आयातित अप्रयुक्त सामग्री के ला बी भा मूल्य के बराबर है और राशि जो निर्यात दायित्व में गिरावट के बराबर है, लाइसेंसिंग प्राधिकारी को।

इसके अतिरिक्त यदि योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त लाइसेंस का धारक लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो एफ टी (डी एण्ड आर) अधिनियम, 1992 की धारा 11(2) के अनुसार शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

(i) दो मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस (मा आ अ ला) 1.84 करोड़ रुपये के निर्धारित निर्यात दायित्व के प्रति 1.10 करोड़ रुपये के शुल्क मुक्त माल आयात के लिए वडोदरा में लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा मई और अक्टूबर 1995 के मध्य दो निर्यातकों को जारी किए गए। 1.12 करोड़ रुपये मूल्य के माल के आयात के प्रति लाइसेंसधारी लाइसेंस अवधि की वैधता अवधि के अन्तर्गत मात्र 1.69 लाख रुपये मूल्य के माल का निर्यात कर सके, इसके परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व में 1.83 करोड़ रुपये की गिरावट आई। लाइसेंसधारी (i) अप्रयुक्त आयातित सामग्री पर सीमाशुल्क के लिए 63.53 लाख रुपये और उस पर 58.94 लाख रुपये का ब्याज (ii) अप्रयुक्त आयात के बराबर 1.11 करोड़ रुपये की राशि और निर्यात दायित्व में गिरावट के बराबर 1.83 करोड़ रुपये की राशि अदा करने के लिए दायी थे।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 1997 से मार्च 1999) लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने सूचित किया (जुलाई 1999) कि एक मामले में लाइसेंसधारी को एक कारण बताओं नोटिस भेजा गया था। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

(ii) 30.17 लाख रुपये के लागत बीमा भाड़ा और 1.56 करोड़ रुपये के पोत पर्यन्त निःशुल्क सहित एक विशेष अग्रदाय लाइसेंस उप महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा सितम्बर 1996 में एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम को जारी किया गया। निर्यात दायित्व को पूरा करते समय आवेदन पत्र के प्रस्तुत करने से पूर्व किया गया 60 लाख रुपये की राशि का निर्यात लेखा में

लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप मात्रा और मूल्य दोनों में निर्यात दायित्व में गिरावट आई। इसलिए लाइसेंसधारी अप्रयुक्त आयात पर सीमाशुल्क के लिए 5.38 लाख रुपये और उस पर मार्च 2000 तक 3.12 लाख रुपये का ब्याज और निर्यात दायित्व और अधिक आयात के मूल्य में गिरावट के प्रति क्रमशः 60 लाख रुपये और 11.30 लाख रुपये की राशि लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को अदा करने का दायी है।

इसे बताए जाने पर (मई 1998), लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने सीमाशुल्क और उस पर ब्याज के लिए 8.57 लाख रुपये की वसूली और 22.61 लाख रुपये के एस आई एल के अभ्यर्पित करने को सूचित किया (मई 2000)।

(ख) ई ओ यू/ई पी जेड योजना

सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 133/94 दिनांक 22 जून 1994 ने इस शर्त के अध्यक्षीन कि यूनिट निर्धारित मूल्य वर्धन और निर्यात दायित्व को प्राप्त करेगी एक ई पी जेड में एक यूनिट को शुल्क मुक्त पूँजीगत माल और कच्ची सामग्री आदि के आयात करने की अनुमति दी। अधिसूचना सं. 65/99-सी शु दिनांक 19 मई 1999 अनुबद्ध निर्यात दायित्व और मूल्यवर्धन को प्राप्त करने की विफलता की दशा में शुल्क मुक्त आयातित माल पर शुल्क पर 20 प्रतिशत की दर पर शुल्क और ब्याज की माँग करने के लिए विभाग को अधिकार देती है। एक ई पी जेड यूनिट द्वारा हस्ताक्षरित एल यू टी के खंड 7 के अनुसार 18 प्रतिशत की दर पर ब्याज सहित सीमाशुल्क निर्यात दायित्व को पूरा करने की विफलता की दशा में वसूली योग्य है।

(ii) कोचीन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (सी ई पी जेड) में एक यूनिट ने पांच वर्ष के लिए 39.02 करोड़ रुपये के निर्धारित निर्यात दायित्व सहित इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विनिर्माण और निर्यात करने की अनुमति दी (फरवरी 1994)। इसके प्रति यूनिट मात्र 64.85 लाख रुपये की राशि का माल निर्यात कर सकी। यूनिट ने 1995-96 से आगे काम करना बन्द कर दिया। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि यूनिट 1994-95 के दौरान 20.49 लाख रुपये की राशि के शुल्क मुक्त पूँजीगत माल के आयात और 1995-96 के दौरान 49.36 लाख रुपये की राशि की कच्ची सामग्री के प्रति क्रमशः 1.36 और (-) 7.71 प्रतिशत की सीमा तक निर्यात दायित्व और मूल्य वर्धन प्राप्त कर सकी। चूँकि यूनिट निर्धारित निर्यात दायित्व और मूल्य वर्धन को प्राप्त करने में विफल रही इसलिए 29.98 लाख रुपये के ब्याज सहित 31.58 लाख रुपये की राशि के आयात पर छोड़ा गया शुल्क वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (अक्टूबर 1998), विभाग ने तर्क दिया (अक्टूबर 1999) कि मामला दाण्डिक कार्रवाई करने के लिए म नि वि व्या को भेजा गया है लेकिन सुसंगत अवधि के दौरान निर्यात दायित्व और मूल्य वर्धन के पूरा न करने के लिए छोड़े गये शुल्क की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

विभाग का तर्क मान्य नहीं है जैसा कि फर्म द्वारा हस्ताक्षरित एल यू टी इसे निर्यात दायित्व और मूल्य वर्धन को प्राप्त करने की विफलता की दशा में शुल्क मुक्त आयातित माल पर शुल्क और ब्याज अदा करने हेतु दायी बनाता है।

(ii) एक 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट ने 'टिशु क्लचर प्लान्ट्स' के विनिर्माण और निर्यात के लिए अक्टूबर 1993 तक वैध सचिवालय औद्योगिक अनुमोदन (स औ अ) की अनुमति माँगी और जिसे अक्टूबर 1994 तक बढ़ाया गया। यूनिट ने वाणिज्यिक उत्पादन सितम्बर 1995 में आरम्भ किया। 7.08 करोड़ रुपये के पूँजीगत माल के आयात के प्रति यूनिट 31 मार्च 1997 तक 81 प्रतिशत के न्यूनतम लक्ष्य के प्रति माइनस 1953 प्रतिशत का मूल्य वर्धन प्राप्त कर सकती थी। चूँकि यूनिट मूल्य वर्धन और निर्यात दायित्व को प्राप्त करने में विफल हुई इसलिए आयात पर 6.60 करोड़ रुपये के छोड़े गये शुल्क की वसूली करने की आवश्यकता थी।

इसे बताए जाने पर (फरवरी 1998), विभाग ने बताया (मई 2000) कि एक कारण बताओं नोटिस भेजा गया था। मामले का अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

(ग) निर्यात विकास पूँजीगत माल (ई पी सी जी) योजना

अधिसूचना सं. 160/92-सी शु दिनांक 20 अप्रैल 1992, कतिपय शर्तों के अधधीन नि वि पू मा योजना के अन्तर्गत निर्दिष्ट आयातकों द्वारा आयातित शुल्क के भुगतान से पूँजीगत माल को छूट प्रदान करती है।

156.34 मिलियन अमरीकी डालर के निर्यात दायित्व सहित एक नि वि पू मा लाइसेंस धारक 82.72 मिलियन अमरीकी डालर की गिरावट को छोड़ते हुए विस्तारित अवधि तक 73.62 मिलियन अमरीकी डालर की सीमा तक मात्र निर्यात करने के योग्य था। दिनांक 20 अप्रैल 1992 की अधिसूचना में यथा अनुबद्ध कोई माँग विभाग द्वारा उठाई नहीं गई है जिसके परिणामस्वरूप 71.46 करोड़ रुपये के ब्याज सहित 44.36 करोड़ रुपये के सीमा शुल्क की वसूली नहीं हुई।

इसे बताए जाने पर (सितम्बर 1999), विभाग ने सूचित किया (जनवरी 2000) कि माँग की पहले पुष्टि हो चुकी है।

8.2 देशी टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में अनियमित बिक्री

(क) यदि शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख यूनिट (ई ओ यू) द्वारा प्राप्त मूल्य वर्धन आयात निर्यात नीति में मद के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य वर्धन से कम नहीं है तब देशी टैरिफ क्षेत्र (डी टी ए) में बिक्री मात्र अनुज्ञेय होगी। इसके अतिरिक्त आयात निर्यात नीति 1992-97 के पैरा 119 के अन्तर्गत नोट 3 के अनुसार परियोजनाओं के मामले में जहाँ भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक हो जाता है तो माल का मूल्य परिशोधित करना होगा।

मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन (एम ई पी जेड), चेन्नई में 100 करोड़ रुपये से कम के निवेश सहित एक शतप्रतिशत ई ओ यू यार्न और फ़ैब्रिक के विनिर्माण और निर्यात में लगा हुआ था। जनवरी 1993 से मार्च 1994 तक और अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक की अवधि के दौरान, यूनिट ने 30 प्रतिशत के निर्धारित मूल्य वर्धन के प्रति क्रमशः (-) 127.45 प्रतिशत और 20.62 प्रतिशत मूल्य वर्धन प्राप्त किया। विकास आयुक्त, एम ई पी जेड ने जनवरी 1993 से दिसम्बर 1994 की अवधि के दौरान 5.75 करोड़ रुपये के कुल मूल्य के लिए डी टी ए बिक्री करने की यूनिट को अनुमति दी (जनवरी 1994, जुलाई 1994, मार्च 1995)। तथापि, यूनिट ने 3.85 करोड़ रुपये के रियायती सीमाशुल्क के भुगतान पर 8.31 करोड़ रुपये के मूल्य के लिए डी टी ए बिक्री की।

चूँकि यूनिट निर्धारित मूल्य वर्धन को प्राप्त नहीं कर सकी इसलिए डी टी ए बिक्री अनियमित थी। इसलिए पूरा सीमा शुल्क वसूली योग्य था। देय विभेदक शुल्क 4.20 करोड़ रुपये निकाला गया।

इसे बताए जाने पर (नवम्बर 1998 और जुलाई 1999) विकास आयुक्त ने अपनाया गया मूल्य वर्धन इस आधार पर उचित ठहराया (मई 2000) कि आयात निर्यात नीति के अनुसार पूँजीगत माल के मूल्य का मूल्य वर्धन की संगणना के लिए परिशोधन करना चाहिए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है चूँकि परिशोधन मात्र उस मामले में अनुज्ञेय है जहाँ भूमि, भवन, संयंत्र और मशीनरी में निवेश 200 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। तात्कालिक मामले में पूँजी निवेश का मूल्य 100 करोड़ रुपये से कम था।

(ख) एक ई ओ यू को 3.54 करोड़ रुपये की राशि की अग्रिम डी टी ए बिक्री की अनुमति दी गई (अप्रैल 1995)। इसके प्रति, यूनिट ने 1995-96 और 1997-98 के मध्य 7.44 करोड़ रुपये की डी टी ए बिक्री की। 3.90 करोड़ रुपये की अधिक डी टी ए बिक्री के लिए 1.35 करोड़ रुपये की राशि का शुल्क वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (जुलाई 1999) सीमाशुल्क विभाग ने राशि की उगाही के लिए कार्रवाई आरम्भ की (अगस्त 1999)।

मामले का अन्तिम परिणाम प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

8.3 विशेष आयात लाइसेंसों (एस आई एल) का अल्प अभ्यर्पण

क्रियाविधि पुस्तिका 1992-97 के पैरा 128-ए (i) के अनुसार निर्यात दायित्व यदि मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस के संबंध में मात्रा की शर्तों में पूरा होता है लेकिन मूल्य की नहीं तो लाइसेंस धारक नियमानुकूलन के लिए निःशुल्क विदेशी विनिमय में व्यक्त किये निर्यात दायित्व में गिरावट के बराबर की राशि का लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भुगतान करेगा। वैकल्पिक रूप से लाइसेंसधारी निःशुल्क विदेशी विनिमय में व्यक्त किये गए निर्यात दायित्व में गिरावट की दुगुनी राशि के मूल्य के विशेष आयात लाइसेंस को लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अभ्यर्पित कर सकता है।

(क) 2.55 करोड़ रुपये के ला बी भा मूल्य और 3.39 करोड़ रुपये के पोत पर्यन्त निःशुल्क सहित संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार हैदराबाद द्वारा दिसम्बर 1994 में अधिक मात्रा में औषध के एक विनिर्माता को एक मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस जारी किया गया था। लाइसेंसधारी ने निर्यात दायित्व मात्रा की शर्तों में प्राप्त किए लेकिन मूल्य की शर्तों में 76.47 लाख रुपये की कमी थी। तदनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने वास्तविक निर्यातों का आनुपातिक रूप से ला बी भा मूल्य को कम किया था और अधिक आयात का मूल्य 33.45 लाख रुपये के रूप में निकाला गया। 66.89 लाख रुपये मूल्य के विशेष आयात लाइसेंसिंग का अभ्यर्पण करने पर लाइसेंस निष्क्रीत हो गया था (जनवरी 1999)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अधिक आयात को मूल्य की निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य से लाइसेंसधारी द्वारा देय कमीशन की कटौती किये बिना गलती से संगणना की गई थी। निर्यात दायित्व में गिरावट के नियमानुकूलन की गलत संगणना के परिणामस्वरूप 66.39 लाख रुपये मूल्य के विशेष आयात लाइसेंसिस का अल्प अभ्यर्पण हुआ था।

इसे मई 1999 में बताया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

(ख) 1.44 करोड़ रुपये के ला बी भा और 2.21 करोड़ रुपये के पोत पर्यन्त निःशुल्क सहित संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जून 1994 में एक वाबाल जारी किया गया था। लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने मार्च 1997 में लाइसेंस में पोत पर्यन्त निःशुल्क और ला बी भा मूल्य को संशोधित किये बिना निर्यात उत्पाद और मात्रा में संशोधन किया। लाइसेंस किये गये वास्तविक निर्यातों के संदर्भ के यथानुपात आधार पर संशोधित निर्यात दायित्व सहित फरवरी 1999 में निष्क्रीत हो गया था। निर्यात दायित्व की गिरावट के नियमानुकूलन के लिए, लाइसेंसधारी ने राशि में दो बार गिरावट होने पर 84.32 लाख रुपये के लिए विशेष आयात लाइसेंस (एस आई एल) का अभ्यर्पण किया।

संगणना के लिए संशोधित निर्यात मात्रा के न अपनाये जाने के परिणामस्वरूप निर्यात दायित्व में गिरावट और आयातों के अधिक मूल्य के प्रति 51.89 लाख रुपये की कम उगाही हुई थी।

इसे बताए जाने पर (मई 1999) लाइसेंसिंग प्राधिकारी ने आपत्ति को स्वीकार किया और लाइसेंसधारी (अप्रैल 2000) से देय राशि की माँग की। उगाही के ब्यौरे प्रातीक्षित हैं (जनवरी 2001)।

8.4 अधिक आयात

(क) आयात की यूनिट कीमत बढ़ाकर बताना

क्रियाविधियों की पुस्तिका 1992-97 के पैरा 109 (डी) और 110 के अनुसार एक मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस (वाबाल) के लिए एक आवेदक निर्यातक को आयातित की जाने वाली अपेक्षित

प्रत्येक मद की मात्रा और प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय कीमत के आधार पर इसके ला बी भा मूल्य को आवेदन पत्र (एच बी पी का परिशिष्ट XVII) में घोषित करना अपेक्षित था। उन मामलों में जहाँ आयातक आवेदन पत्र में दायर की गई राशि के 20 प्रतिशत से अधिक वास्तविक आयातों की कीमतों में उतार-चढ़ाव को उचित ठहराने में विफल रहा वहाँ दिनांक 19 अप्रैल 1996 के वित्त मंत्रालय के परिपत्र सं. 23/96 की शर्तों में संबंधित सीमा शुल्क/लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी।

चार मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस जुलाई 1993 और अक्टूबर 1993 के दौरान संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार अहमदाबाद द्वारा एक निर्यातक को जारी किये गये थे। आवेदन पत्र में घोषणा के रूप में एक प्रयोज्य सामग्री होने के कारण कच्ची नेथलीन की कीमतों में आयात की वास्तविक यूनिट कीमत के सन्दर्भ में 178.25 प्रतिशत से 261.81 प्रतिशत के उतार चढ़ाव में होने का अन्तर रहा जिसके कारण 25.84 लाख रुपये तक की कच्ची सामग्री का अधिक आयात हुआ। मार्च 2000 तक 28.78 लाख रुपये के ब्याज के अतिरिक्त किये गये अधिक आयात पर 22.39 लाख रुपये का सीमाशुल्क वसूली योग्य था।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 1998) संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार ने उत्तर दिया (मई 1999) कि जारी किये गये कुल चार लाइसेंसों में से दो लाइसेंसों के लिए निर्यातक चूककर्ता घोषित किया गया था और अन्य दो मामलों की महानिदेशक विदेश व्यापार नई दिल्ली द्वारा जाँच की जा रही है। अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

(ख) उपभोज्य सामग्री के आयात पर अप्रतिबन्ध

सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 204/92 दिनांक 19 मई 1992 और 80/95 दिनांक 31 मार्च 1995 के अनुसार सीमाशुल्क आयुक्त लाइसेंस के कुल मूल्य के अन्तर्गत आयातों के एक मात्र मूल्य को समायोजन करने की अनुमति दे सकता है। तथापि, हाई टेन्साइल प्रीसीजन फास्टरस के विनिर्माण के लिए अपेक्षित उपभोज्य सामग्री पर फास्टरस के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति दी गई थी। इस प्रकार मूल्य प्रतिबंधित मदों के संबंध में अधिसूचना के अनुसार आयात का ऐसा समग्र समायोजन सम्भव नहीं है।

आठ मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जो 1994-95 और 1995-96 के दौरान एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी को जारी किये गये फास्टरस के निर्यात के लिए उपभोज्य सामग्री के आयात की निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत पर की संगणित 5,68,572.29 अमरीकी डालर के प्रति 7,78,145.32 अमरीकी डालर की सीमा तक अनुमति दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2,09,573.03 अमरीकी डालर का अधिक आयात हुआ। लाइसेंसधारी उन पर ब्याज सहित 30.90 लाख रुपये का सीमाशुल्क, सीमाशुल्क प्राधिकारियों को और आयातित अधिक उपभोज्य सामग्री के मूल्य होने के कारण 69.52 लाख रुपये की राशि लाइसेंसिंग प्राधिकारी को अदा करने का दायी है।

इसे बताए जाने पर (जनवरी 1998, अप्रैल और जून 1999) सीमाशुल्क विभाग ने बताया (जुलाई 1999) कि मामले की जाँच करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। लाइसेंसिंग प्राधिकारियों ने आपत्ति को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2000) कि वसूली करने के लिए कदम उठाये जा रहे थे।

8.5 अन्य मामले

11 अन्य मामलों में 1.09 करोड़ रु. की राशि के निर्यात दायित्व के पूरा न होने के कारण शुल्क का अनुद्ग्रहण और डी टी ए बिक्री पर शुल्क का गलत उद्ग्रहण निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार बताया गया था। सात मामलों में गलतियाँ विभाग द्वारा स्वीकार की गई थी।

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	अनियमितता का स्वरूप	आपत्ति की गई राशि	क्या विभाग/मंत्रालय द्वारा स्वीकार किया गया
1.	अनियमित डी टी ए बिक्री	44.84	—
2.	निर्यात दायित्व का पूरा न करना	23.79	हाँ
3.	अनियमित डी टी ए बिक्री	8.30	—
4.	अनियमित डी टी ए बिक्री	7.55	हाँ
5.	अनियमित डी टी ए बिक्री	5.11	—
6.	निर्यात दायित्व का पूरा न करना	4.96	—
7.	अनियमित डी टी ए बिक्री	4.50	हाँ
8.	निर्यात दायित्व का पूरा न करना	3.61	हाँ
9.	निर्यात दायित्व का पूरा न करना	2.85	हाँ
10.	अनियमित डी टी ए बिक्री	2.43	हाँ
11.	निर्यात दायित्व का पूरा न करना	1.02	हाँ
	जोड़	108.96	

अध्याय 9 : ध्यान देने योग्य अन्य विषय

9.1 अधिग्रहीत/जब्त माल के निपटान में विलम्ब

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110(1ए) के अनुसार दिनांक 5 फरवरी 1986 की अधिसूचना संख्या 31/86 सी शु में सूचीबद्ध जब्त माल को माल के नाशवान् अथवा खतरनाक स्वरूप, समय बीतने के साथ माल के मूल्य में मूल्यहास, भंडारण जगह और मूल्यवान स्वरूप इत्यादि के प्रतिबंधों को ध्यान रखते हुए बेचने के लिए केन्द्र सरकार को शक्ति प्राप्त है।

(क) 1984 से 1998 तक की अवधि के दौरान जब्त किए गए 12 करोड़ रुपये (लगभग) मूल्य के बुलियन और अन्य रूपों में 300.288 कि.ग्रा. भार के सोने के सात परेषण एक वर्ष से पन्द्रह वर्षों के बीच की अवधि के लिए प्रमुख सीमाशुल्क गृह में निपटान के लिए बकाया थे। दिनांक 5 फरवरी 1986 की अधिसूचना में यथा अपेक्षित कोई प्रभावी कार्रवाई सोने के जल्दी निपटान के लिए नहीं की गई थी जिसके परिणामस्वरूप 12 करोड़ रुपये के राजस्व का अवरोधन हुआ।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल 1999) विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2000) कि पूर्व परीक्षण निपटान अनुमति माननीय न्यायालय से 43.899 कि ग्रा की कुल मात्रा के लिए मार्च 1999 में माँगी गई है। यह भी बताया गया कि सोने की बिक्री नहीं की जा सकी क्योंकि बिक्री कर की दर तमिलनाडु में घट गई थी और सीमाशुल्क गृह चेन्नई द्वारा अनुसरण की जाने वाली मुम्बई में कीमत उच्चतर थी। यह भी बताया गया था (फरवरी 2000) कि मामला बोर्ड के ध्यान में लाया गया था।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रमुख सीमाशुल्क गृह में सोने की बिक्री सरकारी टकसाल में सोना जमा करने की पूर्ववर्ती कार्यपद्धति के बदले किन्तु मात्र अतिरिक्त कार्यपद्धति के रूप में चालू नहीं की गई थी। बिक्री की उचित अनुक्रिया के अभाव में नजदीकी टकसाल में सोना जमा करने की पूर्ववर्ती कार्यपद्धति का अनुपालन किया जाता रहा है।

(ख) 1994 और 1998 के बीच आयातित, जब्त/अधिग्रहीत 4.55 करोड़ रुपये मूल्य के सिंथेटिक पालीयूरेथेन लाइनिंग, वाइकल्स और बाल बियरिंग दो वर्ष से छः वर्षों की अवधि के लिए प्रमुख सीमाशुल्क गृह में निपटान के लिए बकाया थे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि अक्टूबर 1995 में आयातित सिंथेटिक पालीयूरेथेन लाइनिंग के सम्बन्ध में नोटिस जारी करने की समापन प्रक्रिया में 18 महीने लगे और माननीय उच्च न्यायालय से दो सप्ताह के भीतर मामले को अंतिम रूप देने के निर्देश (जुलाई 1998) के बावजूद मामले न्यायनिर्णयन के लिए लम्बित हैं।

पालीयूरेथेन लाइनिंग के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन और वाहनों और बाल बियरिंग की नीलामी में अत्यधिक विलम्ब ने 6.91 करोड़ रुपये (2.36 करोड़ रुपये के शुल्कराशि सहित) के संभाव्य राजस्व से सरकार को वंचित किया है।

इसे बताये जाने पर (अप्रैल 1999) विभाग ने माल के निपटान न करने के तथ्य की पुष्टि की (फरवरी 2000)।

(ग) पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार नाशवान् अथवा खतरनाक स्वरूप के विभिन्न माल जैसे इलेक्ट्रॉनिक माल, दवाई, रसायन इत्यादि के सात परेषण कलकत्ता और अहमदाबाद कमिश्नरियों में अक्टूबर 1986 से दिसम्बर 1997 के बीच जब्त/अधिग्रहण किए गए जिनका निपटान नहीं किया गया। अधिकांश माल अप्रचलित और बिक्री न होने योग्य हो गए थे। माल के निपटान न करने के परिणामस्वरूप 82.66 लाख रुपये (12.32 लाख रुपये के शुल्क प्रभाव सहित) के राजस्व का अवरोधन हुआ।

इसे बताये जाने पर (मार्च 1997, जून 1998 और मार्च 2000 के बीच) अहमदाबाद कमिश्नरी ने बताया (अप्रैल 2000) कि नीलामी फरवरी और मार्च 2000 में हुई थी किन्तु माल यथोचित बोलियों के अभाव के कारण निपटान नहीं किए जा सके। कलकत्ता कमिश्नरी ने सूचित किया (फरवरी 1999) कि सोने के जब्तीकरण के सम्बन्ध में माल न्यायनिर्णयन प्रक्रिया के समापन के बाद निपटान किया गया होगा। विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विचाराधीन माल (सोना) पूर्वोक्त अधिसूचना के रूप में न्यायनिर्णयन के पहले ही निपटान किया जा सकता है।

अन्य मामलों के सम्बन्ध में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

(घ) एक कमिश्नरी के अन्तर्गत तीन प्रतिरोधी यूनिट द्वारा मार्च 1994 और मार्च 1997 के बीच जब्त 3.56 करोड़ रुपये के माल का म्यमार मूल के ठीक लाग की अभिरक्षा साधारण वचनबद्धता की शर्त पर माल के मालिक को दी गई थी। माल न्यायनिर्णयन के बाद अन्ततः जब्त किए गए थे किन्तु विभाग जब्ती अधिकारियों द्वारा अनुचित भूमिका के कारण कब्जा करने में विफल रहा था। परिणामस्वरूप 3.56 करोड़ रुपये के सरकारी राजस्व की हानि हुई। तथापि, पथभ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1998) विभाग ने बताया (नवम्बर 1999) कि मामला सतर्कता को सन्दर्भित करने के सुझाव के साथ उच्चतर प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.2 जब्त माल की कमी

बोर्ड के दिनांक 13 जून 1961 के अनुदेशों के अनुसार, जब्त और अधिग्रहीत माल का पूर्ण प्रत्यक्ष सत्यापन प्रत्येक छः महीने पर किया जाना अपेक्षित है। इसको दिनांक 25 जुलाई 1968 के अन्य पत्र में दोहराया गया था।

पूर्वी क्षेत्र की दो कमिश्नरियों के अंतर्गत दो केन्द्रीय गोदामों में जुलाई/अगस्त 1996 और अक्टूबर/नवम्बर 1998 में जब्त किए गए माल के स्टॉक का पूर्ण सत्यापन से 44.21 लाख रुपये

मूल्य के माल की कमी का पता चला था। गोदाम में स्टॉक का निर्धारित आवधिक प्रत्यक्ष सत्यापन कई वर्षों से नहीं किया गया था परिणामस्वरूप 44.21 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

अपने उत्तर में विभाग ने बताया (जून और नवम्बर 1999) कि अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियाँ शुरू की गई थीं।

9.3 भांडागारित माल की निकासी में विलम्ब के कारण राजस्व की हानि

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 72(1) (बी) के अनुसार जहाँ कोई भांडागारित माल अवधि की समाप्ति पर भांडागार से नहीं हटाया जाता है जिसके लिए धारा 61 के अन्तर्गत भांडागारित करने के लिए अनुमति दी गई थी, सभी शास्तियों, किराया, ब्याज और अन्य प्रभार के साथ ऐसे माल पर प्रभार्य शुल्क की पूर्ण राशि देय होती है। यदि इस प्रकार माँग की गई राशि के भुगतान करने में मालिक विफल होता है तो भांडागारित माल रोका जा सकता है और उचित अधिकारी द्वारा बेचा जा सकता है।

तीन फर्मों द्वारा आयातित एल बेस केमिकल्स के 11 परेषण मई 1994 और अक्टूबर 1994 के बीच भांडागारित किए गए थे जो भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद बिना निपटारे पड़े थे। इन मामलों में धारा 72 (1) (बी) के अन्तर्गत वसूली योग्य शुल्क 50.03 लाख रुपये बना।

इसे बताये जाने पर (फरवरी 2000) विभाग ने बताया (मार्च 2000) कि सभी तीन विनिर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। आगे की संवीक्षा से पता चला कि यद्यपि नोटिस अप्रैल 1997 में जारी किए गए थे। तथापि माल को रोकने एवं बेचने के लिए कोई कार्रवाई विभाग द्वारा शुरू नहीं की गई थी।

मामले का अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.4 भांडागार से निकासी किए गए माल पर राजस्व की हानि

सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 61 (1)(बी) के अनुसार, निर्धारित भांडागारण अवधि के बाद मालिकों द्वारा विनिर्दिष्ट श्रेणियों के भांडागारित माल को हटाने में विफलता पर पूर्ण शुल्क, किराया ब्याज और अन्य प्रभार के अलावा धारा 72 के अन्तर्गत शास्ति लगती है। अगस्त 1996 में {1996(86) ई एल टी 464 (एस सी)} सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायोचित रूप से यह निर्णय दिया गया है कि मामलों में जहाँ भांडागारण अवधि की समाप्ति के बाद माल निकासी किए जाने के लिए अनुमत किए गए हैं, माल को हटाना 'आयतक द्वारा हटाया गया' माना जाना चाहिए और देय सीमाशुल्क की दर उस तारीख को लागू दर पर होनी चाहिए जिस पर अनुमत भांडागारण अवधि समाप्त होने को थी।

निजी आयतक द्वारा आयातित (नवम्बर 1992) जम्बो रोल में फोटोग्राफिक कलर पेपर के दो परेषण उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के उल्लंघन में हटाने की तारीख को लागू दरों पर शुल्क भुगतान कर अनुमत भांडागारण अवधि (दिसम्बर 1992) की समाप्ति के बाद भांडागार (फरवरी

1997) से निकासी किया जाना अनुमत किया गया था। परिणामी कम संग्रहण सभी माल के भांडागारण अवधि की समाप्ति की तारीख से निकासी की तारीख तक (दिसम्बर 1992 से फरवरी 1997 तक) के ब्याज सहित 19.20 लाख रुपये निकाला गया था।

इसे बताये जाने पर (जुलाई 1997) विभाग ने आपत्ति स्वीकार की (मार्च 2000) और जून 2000 में 19.20 लाख रुपये की माँग की पुष्टि की गई।

वसूली विवरण प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.5 प्रतिदाय का अनियमित भुगतान

दो परेषणों के सम्बन्ध में 'सेटेलाइट मॉडेम्स' और 'प्लेटर्स' के गलत वर्गीकरण के कारण 64.19 लाख रुपये के शुल्क के अधिक प्रतिदाय निर्यातकों को किए गए थे। इसे बताये जाने पर (नवम्बर 1999), एक मामले में मंत्रालय ने अनियमितता को स्वीकार किया (दिसम्बर 2000) और बताया कि वसूली विवरण सूचित किए जायेंगे और दूसरे मामले में विभाग ने बताया कि (नवम्बर 1999) कि आयातित प्लेटर्स उच्चस्तरीय तकनीकी आरेखणों के आरेखण प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए प्लेटर्स और आरेखण यंत्र मूल रूप से विशेष गुणवाले हैं और शीर्ष 90.14 के अन्तर्गत सही रूप में वर्गीकरणीय हैं।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मॉडेम्स और सी बैंड सेटेलाइट टर्मिनल एकमात्र उपस्कर हैं और तथापि आरम्भ से अध्याय 8525.20 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय हैं और एच एस एन के अनुसार (पृष्ठ 1299) प्लेटर्स एनालॉग मशीन की परिधीय यूनिट हैं और शीर्ष 90.14 के अन्तर्गत न होकर सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 84.71 के अन्तर्गत वर्गीकरणीय है जैसाकि विभाग द्वारा वर्गीकरणीय किया गया था।

9.6 गलत संगणना के कारण कम उद्ग्रहण

मूल शुल्क की गलत दरों को लागू करने के कारण सीमाशुल्क के अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण, शुल्क की गलत संगणना, गलत विनिमय दरों के अपनाने के 12 मामलों के परिणामस्वरूप 53.46 लाख रुपये के शुल्क का कम संग्रहण हुआ जिसे अप्रैल 1998 से दिसम्बर 1999 के दौरान सम्बन्धित सीमाशुल्क गृहों को सूचित किया गया था। विभाग ने सात मामलों में गलती स्वीकार की और आठ मामलों में 32.20 लाख रुपये की वसूली सूचित की। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.7 एन्टी डम्पिंग ड्यूटी का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण

(क) दिनांक 21 नवम्बर 1997 की अधिसूचना संख्या 85/97-सीशु के अनुसार कोरिया आर पी से उद्भूत अथवा निर्यातित प्युरीफाइड टेशीथेलिक एसिड (पी टी ए) पर उसमें निर्धारित एन्टी डम्पिंग ड्यूटी लगती है।

नवम्बर 1997 और मार्च 1998 के दौरान निजी आयातक द्वारा प्रमुख पत्तन के माध्यम से कोहाप पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन, समसुंग कारपोरेशन और समसुंग एशिया पी टी ई लि., कोरिया से

आयातित 'प्योरीफाइड टैरीथेलिक एसिड' (पी टी ए) के दस परेषण में एन्टी डम्पिंग ड्यूटी दिनांक 21 नवम्बर 1997 की अधिसूचना में निर्धारित दर पर उद्ग्रहण नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 47.34 लाख रुपये की एन्टी डम्पिंग ड्यूटी का कम उद्ग्रहण हुआ।

इसे बताये जाने पर (मई से अगस्त 1998) विभाग (अगस्त 1998) ने तर्क दिया (दिसम्बर 1998) कि आपूर्तिकार दिनांक 21 नवम्बर 1997 की अधिसूचना में निर्दिष्ट कम्पनियों की सहयोगी कम्पनियों से थे।

विभाग का उत्तर निम्नलिखित कारणों से स्वीकार्य नहीं है।

- i) दिनांक मार्च 1998 के परिपत्र में वित्त मंत्रालय (डी आर) ने स्पष्ट किया कि मामलों में जहाँ अधिसूचना में सूचीबद्ध कम्पनी द्वारा विनिर्मित माल अन्य निर्यातकों द्वारा निर्यात किए गए थे, ए डी डी उच्चतर दर पर उद्ग्रहण था।
- ii) मार्च 1998 में वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की अनुरूपता पर ए डी डी की निम्नतर दर मैसर्स सामसुंग पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन (अधिसूचना में विशिष्ट रूप से उल्लिखित) से और आपूर्तिकारों के सम्बन्ध में नहीं जो सहयोगी कम्पनियाँ थीं प्रभावी आपूर्तियों के सम्बन्ध में मात्र लागू होगी।

(ख) डेनमार्क अथवा चीन से भारत में आयातित विनिर्दिष्ट माल पर दिनांक 2 फरवरी 1998, 8 अक्टूबर 1998 और 24 नवम्बर 1998 की सीमाशुल्क अधिसूचनाओं के अन्तर्गत निर्धारित दर पर एन्टी डम्पिंग ड्यूटी उद्ग्रहण है।

इन विनिर्दिष्ट माल के नौ विभिन्न परेषण निर्धारित एन्टी डम्पिंग ड्यूटी के उद्ग्रहण के बिना प्रमुख सीमाशुल्क गृहों के माध्यम से आयात किए गए थे। जब 38.98 लाख रुपये के शुल्क का कम संग्रहण बताया गया था, विभाग ने गलती स्वीकार की और छः मामलों में 3.45 लाख रुपये की वसूली सूचित की। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.8 उत्तराई प्रभारों के शामिल न करने के कारण शुल्क का कम उद्ग्रहण

मूल्यांकन नियमावली 1988 के नियम 9 (2) के साथ पठित सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 के अनुसार आयातित माल का मूल्य आयात करने के समय और स्थान पर सुपुर्दगी के लिए ऐसे माल का मूल्य होगा और जिनमें (क) आयातन के स्थान को आयातित माल का परिवहन, (ख) बीमा लागत और (ग) उपरोक्त (क) और (ख) में उल्लिखित परिवहन और बीमा लागत के अलावा माल के पोतपर्यंत निःशुल्क मूल्य के एक प्रतिशत पर आयातित माल की सुपुर्दगी के साथ जुड़े लदान, उत्तराई और प्रहस्तन प्रभार की लागत शामिल होगी।

विशाखापत्तनम कमिश्नरी में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कम्पनी द्वारा वहन किए गए वास्तविक भाड़ा के छिपाव के बारे में डी आर आई द्वारा इकट्ठा अन्वेषण के आधार पर विभाग ने जनवरी/अक्टूबर 1998 में 1994-95 से 1995-96 तक की अवधि 1993-94 के लिए 32.41 करोड़ रुपये के क्रमशः दो का ब न जारी किए। तथापि, आयातक ने 32.41 करोड़ रुपये के का ब न के जारी

करने से पहले ही 32 करोड़ रुपये का भुगतान किया (अगस्त, सितम्बर और नवम्बर 1997) और 41 लाख रुपये की शेष माँग का क वि स यो 1998 के अन्तर्गत निपटान किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर (मार्च 1999) सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली 1988 के नियम 9(2) के अन्तर्गत लदान, उतराई और प्रहस्तन प्रभार में सम्मिलित करने योग्य विभेदक भाड़ा का एक प्रतिशत विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करते समय हिसाब में नहीं लिया गया था इसके परिणामस्वरूप 35.53 लाख रुपये के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ। विभाग ने उत्तर दिया (मार्च 2000) कि निर्धार्य मूल्य में सम्मिलित करने योग्य सभी घटकों को सम्बन्धित आगम पत्रों के अनन्तिम निर्धारण को अंतिम रूप देने के समय ध्यान में रखा जायेगा।

विभाग का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कर विवाद समाधान योजना 1998 के अन्तर्गत निपटाया गया मामला, विभेदक शुल्क की अधिक माँग बढ़ाने का मामला उस योजना के अन्तर्गत प्रदान की गई क्षमा के मद्देनजर नहीं उठता है।

9.9 फिरती का अधिक भुगतान

माल के निर्यात पर संघटक एवं कच्ची सामग्री पर प्रदत्त उत्पाद एवं सीमाशुल्क के प्रतिदाय का सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार फिरती के रूप में दावा किया जा सकता था। 25 मामलों में जहाँ 35.41 लाख रुपये की फिरती के अधिक भुगतान को बताया गया था, विभाग ने 24 मामलों में गलती स्वीकार की और 18 मामलों में 25.40 लाख रुपये की वसूली सूचित की।

9.10 उपकर का अनुद्ग्रहण

गेहूँ, अन्नक, प्राकृतिक रबड़ और मसाले पर 'उपकर' के अनुद्ग्रहण के पाँच मामलों के परिणामस्वरूप 16.04 लाख रुपये का कम उद्ग्रहण हुआ जिसको विभाग को बताया गया था (फरवरी 1998 से दिसम्बर 1999) जिसमें से विभाग ने चार मामलों में अनियमितता स्वीकार की और तीन मामलों में 3.40 लाख रुपये की वसूली सूचित की। अन्य मामलों में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.11 विशेष सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण

तीन मामलों में कुल 41.42 लाख रुपये के विशेष सीमाशुल्क का कम उद्ग्रहण तीन विभिन्न सीमाशुल्क गृहों को बताया गया। विभाग ने दो मामलों में गलती स्वीकार की और 3.76 लाख रुपये की वसूली सूचित की। तीसरे मामले में उत्तर प्रतीक्षित है (जनवरी 2001)।

9.12 अन्य मामले

15 मामलों में लेखापरीक्षा ने अनियमितताएं बताई जिसमें 1.27 करोड़ रुपये अन्तर्ग्रस्त थे जैसाकि नीचे विवरण दिया गया है। विभाग/मंत्रालय ने नौ मामलों में आपत्ति स्वीकार की (0.97 करोड़ रुपये का शुल्क प्रभाव) और इन मामलों में से सात में 19.87 लाख रुपये की वसूली सूचित की।

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	विषय	कम उद्ग्रहीत राशि	स्वीकृत राशि	वसूल की गई राशि
1.	स्थापना लागत की वसूली न करना	41.94	41.94	5.32
2.	स्टाक सामग्री का अनियमित निपटान	26.23	26.23	0.66
3.	पुनः निर्यात न किए गए माल	12.68	12.68	--
4.	विलम्बित भुगतान पर ब्याज	7.15	--	--
5.	शुल्क की गलत दर को लागू करना	6.96	--	--
6.	अभिरक्षा शुल्क का अनुद्ग्रहण	6.93	--	--
7.	पुनः निर्यात न किए गए माल	5.33	5.33	5.33
8.	ब्याज प्रभारित करने की गलत विधि	3.54	--	--
9.	टैरिफ मूल्य का संशोधन न करना	3.52	--	--
10.	अधिभार का अनुद्ग्रहण	3.20	2.80	2.80
11.	शुल्क का अधिक प्रतिदाय	2.16	2.16	2.16
12.	अभिरक्षा शुल्क का अनुद्ग्रहण	2.05	2.05	1.58
13.	उपकर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज	2.02	2.02	2.02
14.	बिक्री प्राप्तियों का गलत संविभाजन	1.74	1.74	--
15.	भांडागारित माल की अनियमित निकासी	1.24	--	--
	जोड़	126.69	96.95	19.87

9.13 विविध

213 अन्य आपत्तियां, जिनमें 53.55 लाख रुपए का शुल्क अन्तर्ग्रस्त था, भी बताई गई। विभाग ने सभी आपत्तियां स्वीकार की हैं और 50.03 लाख रुपए की राशि की वसूली सूचित की है।

नई दिल्ली
दिनांक

8 मार्च 2001

सुनील बाहरी
(सुनील कुमार बाहरी)
प्रधान निदेशक (अप्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

8 मार्च 2001

विजय शृंगलू
(विजय कृष्ण शृंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

